लोक-सभा

मंगलवार, ११ दिसंबर १९५६

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३—६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७—७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७—८७

दैनिक संक्षेपिका ... १८८—९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१—२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२—२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२—३८

दैनिक संक्षेपिका २३९—४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२—८४

दैनिक संक्षेपिका ... ... २८५—८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९—३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०—१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९—२८

दैनिक संक्षेपिका ... ... ३२९—३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ ... ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ ... ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ ... ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ ... ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ ... ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ ... ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ ... ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका ... ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ ... ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ ... ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ... ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि ... ५६४

दैनिक संक्षेपिका ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५६, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५६ से ५८८ और ५६० से ५६६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२६, ८३४, ८३६, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१६, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४६ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३६

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८६०, ८६२, ८६६, ६०३, ६०४, ६०६, ६०७ और ६१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७६, ८८३, ८८४, ८८६, ८६१, ८६३, ८६४, ८६७ से ६०२, ६०५, ६०८ से ६१४ और ६१६ से ६२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ७१५ ... ८७८–६४

दैनिक संक्षेपिका ८६५–६८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६३०, ६३३ से ६३८, ६४२, ६४५, ६४६, ६५७, ६४७, ६४६, ६५०, ६५२ और ६६३ ... ८६६–६२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ६२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४८, ६५१, ६५३ से ६५६, ६५८ से ६६२ और ६६४ से ६६६ ... ६२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ६३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ६४६–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाढ़ से हुई क्षति

+

†*१०२०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद
श्री रा० न० सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री दशरथ देब
श्री वीर स्वामी :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भीखा भाई :
श्री नि० बि० चौधरी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री काजरोल्कर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कामत :
श्री झूलन सिंह :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :
श्री क० कु० बसु :
श्री विभूति मिश्र :
पंण्डित चं० ना० मालवीय :
श्री संगण्गा :
श्री धुलेकर :
श्री बुचिकोटय्या :
श्री ह० रा० नथानी :

†मूल अंग्रेजी में।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

(क) सितम्बर और अक्तूबर, १९५६ में बाढ़ के परिणामस्वरूप धान तथा अन्य फसलों की राज्यवार कितनी क्षति हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा दी गई सहायता का स्वरूप क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). इस वर्ष जून से नवम्बर तक विभिन्न राज्यों में बाढ़ें आई थीं अत: केवल सितम्बर और अक्तूबर, १९५६ की हानि का निर्धारण करना संभव नहीं है। पूरी अवधि में बाढ़ से उत्पन्न हानि की जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४**]

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता किसी योजना के आधार पर दी है अथवा राज्य सरकारों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सहायता का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों पर निर्भर है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसका समुचित समाधान कर दिया है क्योंकि जहां भी मैं गया मुझे संतोष ही हुआ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : सार्वजनिक संस्थाओं, स्कूलों और नालियों आदि की जो क्षति हुई है उनके बारे में क्या उपबन्ध है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्थाओं अथवा भवनों व मकानों की क्षति हुई है उन्हें सहायता देने के लिये उपबन्ध है।

डा० राम सुभग सिंह : इस बार जो बाढ़ आई है वह ज्यादा ऐसे स्थानों पर आई है जहां बांध हैं या रेल की सड़कें चलती हैं। वहां पर कल्वर्ट (पुलिया) बनाने के लिये, रेल की लाइन पर या बड़ी-बड़ी सड़कों पर पुल बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ताकि आगे से बाढ़ न आवे ?

डा० पं० शा० देशमुख : यह एक अलग सवाल है। यह सवाल तो केवल फ्लड डेमेज (बाढ़ से उत्पन्न क्षति) और इमीडियेट रिलीफ (तात्कालिक सहायता) के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कृषि मंत्री केवल बाढ़ सम्बन्धी प्रश्नों का ही उत्तर दे सकते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : बाढ़ों से कुछ क्षेत्रों में और विशेष रूप से दुर्गावति, चांद और बनारस और गाजीपुर जिलों के अन्तर्गत कुछ स्थानों में पानी के बहाव की जगह न होने से नई रेलवे लाइनों और नहरों को क्षति पहुंची है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वर्ष में जो अनुभव हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अधिक नालियों, मोरियों और पूलों का निर्माण करेगी ताकि अगले वर्ष अधिक हानि न हो ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : गंगा आयोग ने एक समिति नियुक्त की है जो पानी के बहाव के लिये पुलों और सड़कों के प्रश्न पर विचार करेगी। जहां कहीं भी पानी के निकास में कठिनाई होगी समिति उस पर विचार करेगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : गंगा पुल योजना का यहां कोई सम्बन्ध नहीं है। इन बाढ़ों का कारण कुछ और है।

†**श्री हाथी** : मेरा अभिप्राय गंगा नदी से नहीं प्रत्युत गंगा के कछार से है।

†मूल अंग्रेजी में।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष जो बहुत ज्यादा वर्षा हुई है और फ्लड आये हैं क्या वे हाइड्रोजन बमों के विस्फोटों के कारण आये हैं ?

डा० पं० शा० देशमुख : चन्द लोगों का ख्याल है कि यह वर्षा इन विस्फोटों के कारण हुई है। मगर काफी एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं जो कहते हैं कि ज्यादा वर्षा होना या बाढ़ आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि जो रिलीफ दिया गया है उसका बटवारा ठीक तरह से नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि लोग उन गांवों में जहां रिलीफ (सहायता) दिया जा रहा था आसानी से नहीं पहुंच पाये थे क्योंकि बोट्स (नावें) वगैरह नहीं थीं। क्या सरकार इस बात का आगे से ख्याल रखेगी कि लोगों को ठीक तरह से रिलीफ मिले ?

डा० पं० शा० देशमुख : अगर यह शिकायत सच है तो स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) के पास करनी चाहिये। रिलीफ पहुंचाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हो सकता है कि कहीं कुछ खराबी हो गई हो मगर उद्देश्य तो यही है कि ठीक तरह से इसका वितरण हो।

श्री ति० सु० अ० चेट्टियार : चूंकि ये बाढ़ें हर साल ही आती हैं तो क्या सरकार ने हिमालय के जंगलों में वृक्षों की कटाई और जो वृक्ष पानी को रोक लेते हैं उनकी कटाई, इन बातों पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० पं० शा० देशमुख : बाढ़ के कारण हमें इतनी चिंता हुई है कि इन सब बातों पर विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री ब० द० पांडे : मैं यह पूछना चाहता हूं कि पैडी और दूसरी जो फसलें हैं उनका कितना नुकसान हुआ है और आगे के लिये यू० पी० में उन जगहों के लिये भोजन सुरक्षित रखा गया है या नहीं ?

डा० पं० शा० देशमुख : यू० पी० में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। एस्टीमेट (अनुमान) है कि साढ़े २१ करोड़ का नुकसान हुआ है। मगर जहां तक भोजन का सम्बन्ध है जहां-जहां भी ऐसी मुसीबात आई है वहां स्टेट गवर्नमेंट ने काफी इंतिज़ामात किए हैं ताकि जिनका नुकसान हुआ है उनको कुछ न कुछ इमदाद दी जा सके ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम दाम पर गेहूं बेचने की एक योजना शुरू कर दी है और उन्होंने हमसे एक बड़ी तादाद में गेहूं मांगा है। हमने उन्हें काफी गेहूं दे दिया है और वे बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में १३ रुपये प्रति मन की दर से गेहूं का वितरण कर रहे हैं ।

राजमाता कमलेंदुमति शाह : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि प्रान्तीय सरकार के जिम्मे वितरण का काम है। क्या मैं जान सकती हूं कि प्रान्तीय सरकार के नुमाइंदे जो जिलों में हैं वे इस वितरण के काम को ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं और क्या इस बात की खबर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार को कर देगी ?

डा० पं० शा० देशमुख : इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। अगर कोई शिकायत है तो उसे यू० पी० गवर्नमेंट के पास किया जाना चाहिये। मगर जहां तक हमें मालूम है वितरण काफी हद तक ठीक ढंग से हुआ है ।

श्री साधन गुप्त : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि इन बाढ़ों के फलस्वरूप जो हानि हुई उसका अगले वर्ष के खाद्य उत्पादन पर क्या संभाव्य प्रभाव पड़ेगा ?

डा० पं० शा० देशमुख : जो अनुमान लगाये गये हैं वे मोटे तौर पर लगाये गये हैं और संभव है कि हमें कई लाख टन खाद्यान्नों की हानि हो। किन्तु सौभाग्य की बात है कि देश में खाद्य उत्पादन की गति इतनी अधिक हो गई है कि खाद्यान्न की इस कमी का अधिकांश भाग उन क्षेत्रों के उत्पादन से पूरा हो जायेगा जहां बाढ़ न आई हो या सूखा न पड़ा हो।

†**श्री च० द० पांडे** : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा है कि गेहूं १३ रुपये प्रति मन की दर से बेचा जा रहा है। किन्तु हाल ही में मैं उत्तर प्रदेश के केन्द्र में गया था और वहां मैंने देखा कि गेहूं रुपये का ढ़ाई सेर यानी १६ रुपये प्रति मन की दर से बेचा जा रहा है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : माननीय सदस्य अवश्य ही किसी अन्य स्थान को गये होंगे क्योंकि गेहूं दो योजनाओं के अन्तर्गत बेचा जा रहा है। एक तो सहायता योजना है जहां गेहूं १४-८-० रुपये प्रति मन की दर से बेचा जा रहा है। दूसरी है गेहूं विक्रय योजना जहां गेहूं १३ रुपये प्रति मन की दर से बेचा जा रहा है।

†**श्री च० द० पांडे** : जी नहीं, गेहूं १६ रुपये प्रति मन है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जहां अभाव की स्थिति मौजूद है ऐसे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सूखे-से क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है। हम इस समय बाढ़ के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं और मेरे पास आंकड़े हैं जो मैं दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं।

फल परि-रक्षण उद्योग

†*१०२२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फल परि-रक्षण उद्योग के विकास के लिये पिछले दो वर्षों में सहायता के बतौर कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) पिछले दो वर्षों में इस उद्योग का कितना विकास हुआ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) सात लाख रुपये।

(ख) भारत में फल परि-रक्षण उद्योग को पिछले दो वर्षों में बढ़ावा दिया गया है। डिब्बों में बन्द किये गये फलों का उत्पादन १९५४ में लगभग ११,५४१ टन था जो १९५५ में बढ़ कर लगभग १४,०६१ टन हो गया। लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं की संख्या १९५४ में ६६२ थी जो १९५६ में बढ़ कर ७१८ हो गई।

†**श्री झूलन सिंह** : जहां तक डिब्बों में बन्द किये गये तथा परिरक्षित फलों का सम्बन्ध है क्या देश स्वावलम्बी हो गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह बताना तो कठिन है। किन्ही स्थानों में उत्पादन आवश्यक से अधिक है तो किन्ही स्थानों में वह कम है। हम स्वावलम्बी हो गये हैं या नहीं यह निश्चित रूप से कह देना मेरे लिये संभव नहीं है।

†**श्री झूलन सिंह** : देश की जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिये इस उद्योग के अपरिहार्य महत्व को देखते हुए क्या सरकार उसका इस हद तक विकास करने के लिये पर्याप्त रूप से सतर्क है कि इस सम्बन्ध में देश स्वावलम्बी हो जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हम इतने सतर्क नहीं थे किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम देश के लिये फल उद्योग के महत्व को भलीभांति जान गये हैं।

सेठ अचल सिंह : फ्रूट प्रिज़रवेशन इंडस्ट्री (फल परि-रक्षण उद्योग) के लिये जो रुपया दिया गया है, वह कौन-कौन सी फर्मों को दिया गया है और कहां-कहां दिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह तो खास तौर से आसाम का सवाल है। मेरे पास फर्मों के नाम तो नहीं हैं किन्तु विभिन्न मदों के अन्तर्गत रुपये का वितरण किस प्रकार किया गया है यह मैं बता सकता हूं। धन-राशियां इस प्रकार हैं :—

टीन की कलई की हुई प्लेटों पर अवहार[1]	२३·५ लाख रुपये।
वाणिज्यिक दरों पर दिये गये ऋण :	
(क) बड़े आकार के डिब्बों के लिये ...	३५ लाख रुपये।
(ख) छोटे पैमाने पर डिब्बों में फलों को बन्द करने वाले एकक[2]	२० लाख रुपये।
(ग) शीत संग्रहागारों[3] की स्थापना	४० लाख रुपये।
किस्म नियंत्रण प्रशासन और विकास के लिये कर्मचारी-वर्ग	१४·२ लाख रुपये।
संवेष्टन क्रिया सम्बन्धी गवेषणा[4]	१ लाख रुपये।
प्रादेशिक गवेषणा केन्द्रों की स्थापना के लिये योजना	१२ लाख रुपये।
कुल	१४५·७ लाख रुपये

†**श्री बोस** : किन-किन फलों का परि-रक्षण किया जा रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं पूरी सूची तो नहीं दे सकूंगा। जिन फलों की अच्छी कीमत प्राप्त होती है उनमें से अधिकांश फलों को डिब्बे में बन्द किया जाता है।

†**श्री ब० द० पांडे** : रामगढ़ म हाल ही में जो फल परि-रक्षण एकक स्थापित किया गया है क्या उसे सरकार कोई अनुदान दे रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : वह तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसे राज्य सरकार ने स्थापित किया है। यदि वह हमारे नियमों के अन्तर्गत अनदान प्राप्त करने के लिये पात्र है तो उसे वह अवश्य प्राप्त होगा।

†**श्री हेडा** : किन-किन शहरों में शीत संग्रहागार बनाये गये हैं और उनकी क्षमता कितनी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास यहां सूची नहीं है। मैं समय चाहता हूं।

†**श्रीमती जयश्री** : क्या सरकार परि-रक्षित फलों के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है और यदि हां, तो परि-रक्षित फलों का निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

१ Rebate.

२ Small scale caning Units.

३ Cold Storage.

४ Research on packaging.

†**डा० पं० शा० देशमुख** : प्रोत्साहन देने के लिये हम प्रयत्न तो अवश्य करते हैं तथापि फलों के निर्यात को हम संभवतः कोई राजकीय सहायता नहीं देते हैं। हमारा यह उद्देश्य है कि हमारे देश में फलों का भक्षण संसार के यथासंभव अधिक देशों द्वारा किया जाये।

बाढ़-नियंत्रण योजनायें

+

†*१०२४. **श्री साधन गुप्त** :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रा० न० सिंह :
सरदार इक़बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री गिडवानी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० द० पांडे :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की योजनायें राज्य सरकारों से प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, योजनाओं के ब्योरे क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा किये गये निश्चय का स्वरूप क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जो योजनायें चल रही थीं उनके अतिरिक्त कुछ नई योजनायें, जिनमें से प्रत्येक १० लाख रुपये से अधिक लागत की हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये प्राप्त हुई हैं। इन योजनाओं के बारे में अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस० ५५४/५६]**

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच है कि सरकार राज्यों को उतनी राशि स्वीकृत करने को तैयार है जितनी वे बाढ़-नियंत्रण योजनाओं पर व्यय कर सकते हैं जैसा कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा लखनऊ में दिए गये वक्तव्य के आधार पर समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है ?

†**श्री हाथी** : सरकार कोई भी राशि नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य के लिये आवण्टित अधिकतम राशि तक कोई भी राशि व्यय करने को तयार है।

†**श्री साधन गुप्त** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ?

†**श्री हाथी** : जी, हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन। इस योजना के अधीन निश्चित अधिकतम राशि ६० करोड़ रुपये है। उसी आधार पर विभिन्न राज्यों को भिन्न-भिन्न राशियां आवण्टित की गई हैं। बाढ़-संरक्षण निर्माण कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करना वांछनीय है। अतः अधिकतम राशि तथा धन की उपलब्धता के अनुसार उन्हें राशियों को व्यय करने का अधिकार होगा।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिकतम राशि को कितनी अवधि में व्यय किया जा सकेगा ? क्या बाढ़-नियंत्रण योजनाओं के मामले में बाढ़-नियंणत्र की अतीव अविलम्बता के कारण पांच वर्ष की अवधि को घटाया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हाथी** : जी हां, जितनी जल्दी यह कार्य पूरा कर लिया जाये उतना ही अच्छा है; और अवधि को घटाया जा सकता है ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या सरकार को पंजाब सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो कब प्राप्त हुई और क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हाथी** : पंजाब से एक योजना प्राप्त हुई है जिसकी लागत १० लाख रुपये है। ६४ लाख रुपये या इसके लगभग के लागत की २४ अन्य छोटी-छोटी योजनायें थीं। इनमें से २० योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण से मुझे पता लगता है कि बिहार राज्य सरकार से लगभग १६ योजनायें भेजी गई हैं और अन्य चार योजनायें अभी हाल में ही भेजी गयी हैं। पर इन योजनाओं में से कोई भी योजना उन नदियों के बारे में नहीं है जिनमें पिछले दो या तीन वर्षों में वर्षा के मौसम में बाढ़ आई थीं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई अभिकरण है कि जिससे वह पता लगाये कि वर्षाकाल में किन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और वहां भी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को शुरू करे ?

†**श्री हाथी** : साधारणतया, बाढ़ संरक्षण क लिये योजनायें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। राज्यों में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड हैं जो इन बातों की देखभाल करते हैं। उसके पश्चात, योजनाओं को छानबीन के लिये यहां भेजा जाता है। यदि उनमें कोई टेक्निकल बात अन्तर्ग्रस्त होती है तो केन्द्रीय जल शक्ति आयोग के पदाधिकारी वहां जाकर उन लोगों को परामर्श देते हैं। पर, जांच-पड़ताल साधारणतया राज्य सरकारें ही करती हैं ।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट (विवरण) को देखने से पता चलता है कि बूढ़ी गंडक के लिये दो स्कीम्ज (योजनायें) रखी गयी हैं। यह नदी चम्पारन से निकलती है और मुंगेर ज़िले में गंगा नदी में गिरती है। चम्पारन के बाद ही इस नदी में बांध है, लेकिन चम्पारन में इस नदी में यथेष्ट बांध नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इंजीनियरी का यही कायदा है कि जहां बूढ़ी गंडक नदी गंगा में मिले, वहां पर स्कीम बनाई जाये और उद्गम-स्थान पर कोई स्कीम न बनाई जाये ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके बारे में मैं बिहार राज्य सरकार से पूछताछ करूंगा ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने योजना आयोग की इस प्रस्थापना पर कि बाढ़ नियंत्रण के आवण्टन को ११७ करोड़ रुपये से घटा कर ६० करोड़ रुपये कर दिया जाये, बहुत चिन्ता प्रकट की है, और यदि हां, तो क्या संघ मंत्रालय ने अधिक अनुदान के लिये योजना आयोग से आग्रह किया है, और यदि प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर हां में है, तो योजना आयोग पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**श्री हाथी** : इस समय ६० करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण के लिये आवण्टित किये गये हैं। यह सच है कि जब योजनायें तैयार की गयी थीं और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा परीक्षात्मक रूप से भेजी गयी थीं तो उनके लिये आवश्यक राशि ११७ करोड़ रुपये थी। पर, जैसा कि अन्य क्षेत्रों में योजना आयोग द्वारा पूरा-पूरा उपबन्ध नहीं किया गया है, इस मामले में भी केवल ६० करोड़ रुपये का ही उपबन्ध किया गया है। पर, यदि योजनायें अविलम्बनीय और तुरन्त की जाने वाली हैं तो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि धन की कमी के कारण तुरन्त की जाने वाली और अविलम्बनीय योजनायें रुकने न पायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार को विदित है कि जो बांध बनाये गये हैं उनमें से पानी निकलने के लिये पर्याप्त मार्ग नहीं बनाया गया है इसलिये जब घोर वर्षा होती है तो वर्षा के पानी से गांवों में बाढ़ आ जाती है ?

†**श्री हाथी** : जहां ऐसे बांध बनाये गये हैं वहां साधारणतया, पानी निकलने के लिये छेद या पानी निकलने के दरवाजे बनाये गये हैं। हो सकता है कि किसी विशेष समय तक वे बन कर तैयार न हो पाये हों; अन्यथा छेदों या पानी निकलने के दरवाजों की व्यवस्था करने के लिये पूरी-पूरी सावधानी रखी जा रही है ।

†**श्री हेडा** : कभी-कभी बड़े-बड़े जलाशयों के फूट जाने के कारण बाढ़ आ जाती है । अमेरीका में इस बात को रोकने के लिये या तो नदी के तल को गहरा करने या वैकल्पिक नहर बनाने के प्रभावी उपाय को काम में लाया गया है ताकि पानी शीघ्रता से बहकर निकल जाये । क्या सरकार का ध्यान इस उपाय की ओर गया है ?

†**श्री हाथी** : जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है हमें, हमारे देश में किसी बड़े जलाशय का फूट जाने का अनुभव नहीं है । हमारे देश में नदियों, उनकी सहायक नदियों तथा नहरों की समस्या है । हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बड़े जलाशय के फूट जाने से उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो । पर यह सुझाव विचारणीय है ।

†**श्री च० कृ० नायर** : क्या दिल्ली में यमुना के पश्चिम की ओर एक बांध बनाने की कोई योजना है ?

†**श्री हाथी** : वह विचाराधीन है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी हाल में कुछ बहुत गम्भीर दुर्घटनायें हुई हैं पर इन योजनाओं में यद्यपि यह योजनायें विस्तृत हैं, सम्बन्धित नदियों का कोई उल्लेख नहीं है । क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ऐसी योजनाओं को तैयार करने में राज्य सरकार सावधानी रखे ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने बताया कि यह योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं । पर यदि किसी विशेष क्षेत्र को खतरे की आशंका हो और यह बात केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाई जाती है तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को परामर्श दे सकती है कि उस योजना को तुरन्त चालू कर दिया जाये ।

ग्राम-क्षत्रों में परिवार आयोजन

*१०२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम-क्षेत्रों में परिवार-नियोजन का प्रचार करने की जिस योजना पर विचार किया जा रहा था, क्या उसके बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना की मोटी रूप-रेखा तथा वित्तीय पहलुओं को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि परिवार आयोजन का प्रचार करने के लिये दो हजार केन्द्र खोले जायेंगे और लगभग पांच करोड़ रुपया उन पर व्यय किया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितने केन्द्र खोले जा चुके हैं और उन्हें कितनी सफलता मिल रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जैसा कि विवरण में बताया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ग्रामीण क्षेत्रों में २,००० केन्द्र (क्लिनिक) खोले जायेंगे। ये प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयों से सम्बन्धित होंगे। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सहायता दी जायेगी, उसका विवरण इस प्रकार है :

अनावर्त्तक : ...		१०० प्रतिशत
आवर्त्तक : पहले वर्ष		८० ,,
दूसरे वर्ष		७० ,,
तीसरे वर्ष		५० ,,
चौथे वर्ष		३० ,,
पांचवें वर्ष	...	२० ,,

श्री भक्त दर्शन : मेरा प्रश्न यह था कि इन दो हजार केन्द्रों में से अभी तक कोई केन्द्र खोला भी गया है, और यदि खोला गया है तो उसे अपने कार्य में सफलता भी मिल रही है या नहीं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां, कई केन्द्र खोले गये हैं। अब तक जिन केन्द्रों की स्थापना की गई है, उनका विवरण इस प्रकार है :

राज्य सरकारों द्वारा	१८८
स्थानीय संस्थाओं द्वारा	३४
स्वैच्छिक संगठनों द्वारा	९४
कुल जोड़	३१६

श्री भक्त दर्शन : ये जो केन्द्र विभिन्न राज्यों को दिये जायेंगे ये किस आधार पर दिये जायेंगे ? क्या जनसंख्या के आधार पर इनका वितरण किया जायेगा या कोई और आधार इनके वितरण के लिये निश्चित किया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह मुख्यतया जनसंख्या के आधार पर होगा।

†**श्री केलप्पन** : मैं देखता हूं कि सरकार इस मृग-मरीचिका के पीछे बहुत-सा धन नष्ट करने जा रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन स्वैच्छिक योजनाओं को वित्तीय सहायता किस प्रकार से दी जायेगी ? क्या यह राज्य सरकारों की सिफारिश के आधार पर दी जायेगी अथवा किसी जाली संस्था को भी अनुदान मिल जायेगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जो अनुदान दिये जाते हैं उनमें से अधिकांश राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर होते हैं।

†**श्री गिडवानी** : परिवार आयोजन बोर्ड ने जिस कार्यकारिणी समिति की सिफारिश की थी क्या उसकी नियुक्ति की गई है, और यदि हां, तो कब ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उसकी नियुक्ति कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य स्वयं उस समिति के सदस्य होने के नाते यह बात तो जानते ही होंगे।

†मूल अंग्रेजी में।

मेडिकल कालेजों में नेपाली छात्र

*१०२७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विभिन्न राज्यों के विभिन्न मैडिकल कालेजों में प्रति वर्ष कितने नेपाली छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं;

(ख) क्या सरकार विभिन्न मैडिकल कालेजों में नेपाली छात्रों के लिये सीटें बढ़ाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और कब ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) इस बारे में एक विवरण जिसमें आवश्यक जानकारी दी हुई है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

(ख) इस मतलब के लिये सीटों का कोई कोटा मुकर्रर नहीं है। कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत किसी खास वर्ष के लिये नेपाली छात्रों की सीटों की संख्या नेपाल सरकार की वास्तविक मांग पर निर्भर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विभूति मिश्र : नैपाल के विद्यार्थी किसी साल नाम लिखाने के लिये ज्यादा संख्या में आ जाते हैं और किसी साल कम आते हैं। इस कारण जिस प्राविंस (राज्य) के कालेज में वे जाते हैं वहां के लड़कों को दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन नैपाल के विद्यार्थियों के लिये कोई संख्या निश्चित करने पर विचार कर रही है कि फलां कालेज में इतने विद्यार्थी लिये जायेंगे और फलां में इतने ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : जो विद्यार्थी नैपाल से आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्वीकार करती है कि उनको इतनी सीटें दी जायेंगी और जहां तक हो सकता है कि हम उनको जगह देते हैं। उनकी मांग पर भी यह बात निर्भर करती है। लेकिन हम उनको ज्यादा सीटें तो नहीं देते। हम अपने लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनको जहां तक हो सकता है पहले जगह देते हैं।

श्री बिभूति मिश्र : क्या सरकार हर साल नाम लिखवाने के ६ महीने पहले नैपाल सरकार से पता चला लिया करेगी कि उसके यहां के कितने विद्यार्थी आने वाले साल में हमारे यहां मैडिकल कालिजों में नाम लिखाने आवेंगे और उसी के अनुसार सीटों का प्रबन्ध करें ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी, हां। उनको काफी वक्त में पूछा जाता है कि आप कितने विद्यार्थी इस साल में भेजना चाहते हैं। वह भी कहीं और नहीं भेज सकते इसलिये हमारे ऊपर उनकी मांग ज्यादा रहती है और वह बढ़ती चली जा रही है।

†**श्री मास्तन** : विदेशी छात्रों की भर्ती के लिये मंजूरी देते समय क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगी कि अपने देश में ही डाक्टरों की बड़ी मांग है, हमारे मेडिकल कालेजों में स्थान सीमित हैं और ऐसे छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक है जिनको प्रवेश नहीं दिया जाता ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। स्वाभाविक है कि हमारे छात्रों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिये। परन्तु विदशों के प्रति भी भारत सरकार के कुछ कर्त्तव्य हैं और इस विषय में हम वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर आश्रित हैं; विदेशी छात्रों के बारे में उनका जो निर्णय होता है हम उसका पालन करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

बम्बई में परिवार आयोजन केन्द्र

†*१०२८. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई विधान परिषद् में ९ अक्तूबर, १९५६ को बम्बई राज्य सरकार के स्वास्थ्य उपमंत्री द्वारा दिये गये उस उत्तर की ओर आकृष्ट हुआ है जिसका आशय यह था कि राज्यों में परिवार आयोजन केन्द्रों की स्थापना क लिये संघ सरकार ने जिस सहायता का प्रस्ताव किया था उसे बम्बई सरकार ने लेने से इन्कार कर दिया है क्योंकि गर्भरोधक उपकरणों जैसे कृत्रिम उपायों द्वारा परिवार नियोजन करने में राज्य का विश्वास नहीं है और वह वित्तीय सहायता द्वारा ऐसे केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं देगी जो उसकी नीति के विरुद्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बम्बई राज्य में परिवार आयोजन केन्द्र खोलने के लिये कुछ उपाय निकाले हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई राज्य में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिवार आयोजन योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता से परिवार आयोजन केन्द्र खोले गये हैं ।

इन केन्द्रों की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये सहायक अनुदानों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री गिडवानी : क्या कोई राज्य सरकार संघ द्वारा निर्धारित नीति को लागू करने से इंकार करने अथवा उसके कार्यान्वय में सहयोग देने से इन्कार करने के लिये स्वतन्त्र है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो सामान्य नीति सम्बन्धी प्रश्न है ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : माननीय सदस्य जानते हैं कि स्वास्थ्य के विषय के बारे में राज्य सरकारें स्वायतशासी हैं और वे मनचाही नीति निश्चित कर सकती हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है ? क्या वे केन्द्र द्वारा निर्धारित किसी ऐसी नीति को भी कार्यान्वित करने से इन्कार कर सकती हैं जो हमारे योजना कार्यक्रम का एक अंग हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संवैधानिक विवाद के विषय में, कि जो क्षेत्र अनन्य रूप से राज्यों को दिये गये हैं क्या उनमें राज्यों को अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है अथवा वे योजना आयोग या केन्द्र द्वारा निर्धारित की गयी नीति से बंधे हुए हैं, माननीय सदस्य संविधान को ही देख सकते हैं ।

†**श्री केलप्पन** : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य मंत्री भी परिवार आयोजन के कृत्रिम उपायों में विश्वास नहीं करतीं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : इस बात से ही कि परिवार आयोजन के कार्यक्रमों का श्रीगणेश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ही किया है, उनके प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा ।

डा० जयसूर्य : क्या बम्बई सरकार ने आपके उपायों से विपरीत अपना कोई विशेष तरीका अपनाया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : बम्बई सरकार ने मदन-तरंग प्रणाली अपनायी है । वे गर्भरोधक उपकरणों के पक्ष में नहीं थे ।

डा० जयसूर्य : क्या बम्बई सरकार ने मदन-तरंग प्रणाली को इसलिये अपनाया है कि वह अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

राजकुमारी अमृत कौर : मदन-तरंग प्रणाली को जहां भी बुद्धिमानी से एवं आवश्यक संयम के साथ लागू किया गया है वहां वह शत प्रतिशत सफल सिद्ध हुई है ।

अमेरिका के लिये भारतीय इंजीनियर

†*१०३०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाढ़ नियंत्रण के तरीकों का अध्ययन करने के लिये भारतीय इंजीनियरों के एक दल को हाल ही में अमेरिका भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दल वहां की किसी विशेष नदी प्रणाली का अध्ययन करेगा;

(ग) अध्ययन की अवधि कितनी होगी; और

(घ) क्या इस दल का खर्च अमरीकी प्राविधिक सहकारिता मंडल[१] देगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दो से छः महीने तक । यह इस बात पर निर्भर होगा कि वह विषय, जिसका अध्ययन दल के प्रत्येक सदस्य को करना होगा, किस प्रकार का है ।

(घ) जी, हां ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मेरे प्रश्न के भाग (ख) उत्तर में माननीय मंत्री ने 'नहीं' कहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि वे बाढ़ नियंत्रण के किन कार्यों का अध्ययन करेंगे ?

†**श्री हाथी :** वे बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का, अर्थात् बाढ़-जल-विज्ञान, नमूना प्रयोग, बाढ़ के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना, नदियों के प्रवाह को मोड़ना और उनको इधर-उधर न बहने देना, किनारों को मजबूत करना, भूमि संरक्षण, और भूमि गवेषणा आदि सम्बन्धित विषयों का जिनका बाढ़ के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से अध्ययन करना ही पड़ता है, अध्ययन करेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या अन्य स्थानों पर स्थित बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को देखे बिना व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना उनके लिये संभव होगा ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं । अपने अध्ययन के दौरान में वे कुछ स्थानों पर जा सकते हैं । परन्तु इसमें मुख्यतया सिद्धान्तों की ही शिक्षा दी जायेगी ।

खाद्य के आयात की योजनायें

†*१०३३. **श्री काजरोल्कर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष देश में खाद्य निरंतर रूप से मंगाते रहने की गारंटी के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) अगले वर्ष किन-किन देशों से खाद्य सामग्री मंगायी जाने वाली है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस समय तो संयुक्त राज्य अमेरिका और बर्मा की सरकारों के साथ हमारे करार हैं ।

†**श्री काजरोल्कर :** देश में इस समय खाद्य के स्टाक की क्या स्थिति है ? क्या वह पर्याप्त है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१] U. S. Technical Co-operation Mission.

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां ।

†**श्री काजरोल्कर** : स्वेज नहर की समस्या और उसके फलस्वरूप यहां जहाज न मिलने का खाद्य के आयात पर किस सीमा तक प्रभाव हुआ है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जहाजों का मिलना कुछ कठिन अवश्य हो गया है । परन्तु यदि पूरे तौर पर देखा जाये तो हमें खाद्य सामग्री काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रही है ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या समय पर खाद्य का आयात करने के लिये सरकार ने पर्याप्त मात्रा में जहाज प्राप्त कर लिये हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम समय-समय पर जहाज चार्टर कर (किराये पर) लेते हैं । मैं समझता हूं कि अपने प्रयोजन के लिये हमें काफी जहाज मिल जाते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : विदेशों से खाद्य सामग्री का आयात करने से पूर्व सरकार क्या सभा को यह आश्वासन देगी कि उन्हें सरकारी गोदामों में रखा जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : अवश्य ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तथ्यों को मालूम करने की अपेक्षा आश्वासन मांगने को अधिक उत्सुक हैं । "क्या आयात किये गये खाद्य को रखने के लिये पर्याप्त संख्या में गोदाम मौजूद हैं, और यदि नहीं तो कितने कम हैं" की तरह के प्रश्न का विशद उत्तर मिल जाता । यदि माननीय सदस्य कोई आश्वासन मांगते हैं तो मंत्री महोदय आश्वासन दे देंगे और बात वहीं समाप्त हो जायेगी ।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि चावल के आयात के लिये बर्मा के साथ करार है । १९५६-५७ और १९५७-५८ में बर्मा से कुल कितने चावल का आयात किया जाने वाला है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमारा हिसाब पत्री-वर्षों के आधार पर चलता है । १९५६ में हम तीन लाख टन मंगाने मे सहमत हुए थे, जिसमें से मेरे विचार में अभी २०,००० से २५,००० टन आयात होना शेष है । इसे अगले वर्ष में मंगा लिया जायेगा और १९५७ में हम ५०,००० टन मंगाने वाले हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बर्मा से आयात किये गये चावल का मूल्य किस प्रकार चुकाया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : नकद ।

†**श्री मास्तन** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि खाद्य का आयात करने के लिये वह अनेक जहाज चार्टर करते (किराये पर लेते) हैं । इस वर्ष के आरम्भ से अब तक कुल कितने जहाज चार्टर किये (किराये पर लिये) गये और उनको चार्टर करने (किराये पर लेने) के लिये वह कौन-सा तरीका अपनाते हैं, अर्थात क्या वह अपने मंत्रालय के जरिये अथवा परिवहन मंत्रालय के जरिये या किसी और तरीके से उन्हें चार्टर करते (किराये पर लेते) हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम अपनी माहवारी आवश्यकताओं के आधार पर जहाजों को चार्टर करते (किराये पर लेते) हैं । हम उनका यथाशीघ्र उपयोग करने का प्रयास करते हैं । इनमें से ५० प्रतिशत अमेरिकी फ्लैग शिप हैं और ५० फीसदी गैर-अमेरिकी फ्लैग-शिप ।

†**श्री मास्तन** : इस वर्ष कितने जहाज़ चार्टर किये (किराये पर लिये) गये ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं कुल संख्या तो दे नहीं सकता। हम उन्हें समय-समय पर चार्टर करते (किराये पर लेते) हैं।

पत्तनों का विकास

†*१०३४. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख पत्तनों द्वारा प्रस्तुत विकास योजनाओं की अनुमानित राशि को ५७ करोड़ रुपये से कम करके ३७ करोड़ के लगभग कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस आधार पर की गयी थी;

(ग) क्या यह सच है कि सबसे बड़ी कमी श्रमिकों के लिये आवास, अस्पताल और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं जैसी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था में की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा आवास व्यवस्था को बहुत ही महत्व दिये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए इस भारी कमी के किये जाने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (घ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया प्रमुख पत्तनों की विकास योजनाओं का अनुमानित व्यय कोई ८० करोड़ रुपये है। इस राशि का कुछ भाग सरकारी सहायता से तथा कुछ पत्तनों के अपने संसाधनों से प्राप्त होगा। इसमें ५·१ करोड़ रुपये आवास, अस्पताल और कल्याणकारी सेवाओं के लिये हैं, इनके लिये पत्तन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान ८·१ करोड़ रुपये के थे। इन मामलों में की गई कटौती को पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री मात्तन** : क्या मैं अपने प्रश्न के भाग (क) का उत्तर जान सकता हूं।

†**श्री शाहनवाज खां** : यह एक ही संयुक्त उत्तर है।

†**श्री मात्तन** : क्या वह यह विश्वास करते हैं कि कटौती को लागू किया गया तो आवास की व्यवस्था सन्तोषजनक रहेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : प्रारम्भ में बम्बई ने ४ करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की थी। इस विचार से दो करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई कि क्वार्टर तो उच्चाधिकारियों के लिये अपेक्षित थे। परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि क्वार्टर तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये अपेक्षित हैं। इसलिये कटौती के प्रतिस्थापित कर दिये जाने की हमें आशा है।

श्री मात्तन : श्रमिकों के आवास के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? क्या श्रमिकों की आवास व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध में भी कोई कटौती की गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसे भी योजना में सम्मिलित किया गया है।

†**श्री राघवैय्या** : क्या इस कटौती का प्रभाव विशाखापतनम् पत्तन पर भी पड़ा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं।

सहकारी आन्दोलन

†*१०३५. { + **श्री कामत** : **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : **श्री देवगम** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ने ७ नवम्बर, १९५६ को राष्ट्रीय विकास और भंडार बोर्ड का उद्घाटन करते हुए सहकारी कानूनों की सख्ती, सहकारी नियन्त्रण

†मूल अंग्रेजी में।

और गरीब वर्गों को सहकारी संस्थाओं द्वारा कर्जा देने में निरोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था, उसे ध्यान में रखते हुए क्या गरीब जनता को सहकारी संस्थाओं में सम्मिलित होने की प्रेरणा देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : सहकारी विधि सम्बन्धी समिति सहकारी विधियों को सरल बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

प्रस्ताव यह है कि पुनर्गठित सहकारी संस्थाओं में सरकारी प्रतिनिधि निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे, यद्यपि अंशपूंजी में सरकार का भाग ५१ प्रतिशत होगा। सरकारी प्रतिनिधियों से इन संस्थाओं के दिन प्रति दिन के प्रशासन कार्य में हस्तक्षेप न करने की आशा की जाती है ।

अंश-पूंजी को सरल किस्तों में एकत्रित करने की सुविधा और रुपये की कमी की दशा में ऋणों के सम्बन्ध में दी गई प्राथमिकता गरीब किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के शुभ संकल्पों के अनपेक्ष भी बहुत से राज्यों द्वारा इसके प्रति दिखाई गई उदासीनता देश में सहकारी आन्दोलन की तुलनात्मक असफलता का एक बड़ा कारण रहा है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं नहीं कह सकता कि मेरे माननीय मित्र पुरानी बातें कह रहे हैं। जहां तक पुरानी बातों का सम्बन्ध है उसके लिये तो सर्वेक्षण समिति की एक उपपत्ति है जिसमें कहा गया है कि यह आन्दोलन कुछ अधिक सफल नहीं हुआ है। परन्तु जब से हमने पुनर्गठन का कार्य आरम्भ किया है मेरा विचार है कि हम वे परिणाम नहीं निकाल सकते हैं जो कि हमारे माननीय मित्र ने निकाले हैं ।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि यह जो सहकारी संघ हैं इनके जो अन्न के गोदाम हैं वे खत्ती के रूप में बनाये जायेंगे या घरों के रूप में बनाने का विचार है क्योंकि खत्ती गोदाम बनाने से सस्ती पड़ती है ?

डा० पं० शा० देशमुख : हमारा इरादा कोई कीमती मकान बनाने का नहीं है, जितने भी सस्ते वे बन सकें उनको बना कर इस्तेमाल करने का इरादा है ।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या खत्तियों को रखेंगे ?

डा० पं० शा० देशमुख : गोदाम बनाये जायेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा कि मामले का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति केवल अधिकारियों ही की है ? यदि यह पूर्ण रूप से अधिकारियों की ही है, तो यदि यह समिति इस नियन्त्रण के सम्बन्ध से सिफारिश करती है, तो क्या वर्तमान व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण की प्रणाली के बदले में कोई दूसरा ढंग निकालना संभव होगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : प्रथम तो इस समिति में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य हैं और हमें समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी से ही कोई कल्पना नहीं कर लेनी चाहिये ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्योंकि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे देश में सहकारिता का उचित विकास न होने का एक मुख्य कारण इस कार्य के लिये उचित प्रबन्ध व्यवस्था का न होना रहा

†मूल अंग्रेजी में ।

है, इसलिये क्या सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्रों में अर्थात् कुछ राज्यों के प्रमुख जिलों में सहकारिता के विकास के लिये इस संस्था अथवा आन्दोलन को गैर-सरकारी निकायों अथवा संस्थाओं को सौंपने की संभावना पर विचार किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जहां तक प्रबन्ध व्यवस्था का सम्बन्ध है, संसद् ने पहले ही एक विधि पारित कर दी है। उस विधि में एक राष्ट्रीय सहकारी विकास और भंडार बोर्ड की स्थापना की प्रस्थापना की गई है जो नीति सम्बन्धी प्रश्नों को सुलझायेगा और वित्तीय सहायता देगा। राज्य स्तर पर सहकारिता सम्बन्धी राज्य विभाग कार्य करता रहेगा। हमारी इच्छा अधिक से अधिक मात्रा में गैर-सरकारी सहयोग प्राप्त करने की है। हम भारतीय सहकारी संघ के निरन्तर सम्पर्क में हैं और उसका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सहकारी आन्दोलन का अर्थ ही यह है कि गैर-सरकारी व्यक्तियों से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये कर्मचारी

+

†*१०३६. { **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नदी घाटी परियोजनाओं के कर्मचारियों के लिये समन्वय बोर्ड द्वारा नियुक्त उप-समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अभी नहीं, श्रीमान्।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रविधिक कर्मचारियों की कमी को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार इन कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त आयु में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : नहीं, श्रीमान्, परन्तु विशेष मामलों में पदावधि को बढ़ाया जा सकता है अथवा उन कर्मचारियों को पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या सरकार के पास ऐसी कोई एकीकृत योजना है, ताकि एक परियोजना के पूर्ण होने पर उसके अधिकारियों को दूसरी परियोजना में स्थानान्तरित किया जा सके ?

†**श्री हाथी** : यह इस उप-समिति के निर्देश पदों में से एक है, और वही उप-समिति इस पर विचार करेगी।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : आय-व्ययक सत्र में मंत्री महोदय ने कहा था कि वह राष्ट्रीय निर्माण निगम जैसा कोई निकाय अथवा विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं का समन्वय करने के लिये कोई समिति स्थापित करने जा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?'

†**श्री हाथी** : ये दो विभिन्न बातें हैं। राष्ट्रीय निर्माण निगम की स्थापना की जा रही है। प्रारम्भिक प्रक्रिया तथा अन्य बातों का निर्णय कर लिया गया है और यह शायद दो-तीन महीने में काम करना आरम्भ कर देगा। जहां तक कि विभिन्न परियोजनाओं के फालतू कर्मचारियों के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारी योजना के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में कर्मचारियों के अतिरेक या उनकी कमी की सूचना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को दी जा रही है और वह आयोग यह देखता है कि क्या एक परियोजना के अतिरेक कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में स्थान दिया जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत-सी नदी घाटी परियोजनाओं को प्रविधिक कर्मचारियों, विशेषकर इंजीनियरों की कमी के कारण हानि उठानी पड़ती है, तो क्या सरकार ने एक अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री हाथी** : सिंचाई के लिये एक अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना की प्रस्थापना है, परन्तु इसमें अभी कुछ प्रगति नहीं हो सकी है। हम इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से पत्र-व्यवहार और बातचीत करते रहे हैं ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या सरकार को ज्ञात है कि निचली श्रेणियों में भी, प्रविधिक कर्मचारियों, जैसे कि ओवरसियरों इत्यादि की कमी है ? पंजाब में ऐसा ही है। क्या सरकार नदी घाटी परियोजनाओं के लिये ओवरसियरों का एक पुंज बनाने का विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी** : यह ठीक है कि ओवरसियरों की कमी है। इस उद्देश्य के लिये विभिन्न राज्यों से ओवरसियरों के लिये १८ मास का एक संघनित-सा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये स्कूल खोलने को कहा गया है, और बहुत से राज्यों ने ऐसा किया भी है। विभिन्न राज्यों के ओवरसियरों का एक पुंज बनाये जाने के अन्य प्रश्न पर भी उप-समिति द्वारा ही विचार किया गया है, परन्तु क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि समिति की सिफारिशें क्या हैं—रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या एक अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की स्थापना में हो रही देरी का एक कारण विभिन्न राज्यों द्वारा इस योजना में सहयोग देने के सम्बन्ध में मतभेद होना है ? यदि हां, तो वह कौन-से राज्य हैं जिन्होंने इस योजना में सहयोग न देने की इच्छा प्रकट की है ।

†**श्री हाथी** : वास्तव में, वह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय सेवा की स्थापना से असहमत होने के विषय में अपने दृष्टिकोण व्यक्त किये हैं। मुख्य कारण यह है कि स्थान-स्थान के वेतनक्रमों में अन्तर है, और कुछ राज्यों में इंजीनियर पर्याप्त संख्या में हैं, और इसलिये, वे सहमत नहीं हैं। किन्तु हम इस बारे में राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं। मैं राज्यों के नाम तो नहीं बता सकता, जिन राज्यों ने सहमति या असहमति प्रकट की है उनकी विस्तृत सूची मेरे पास नहीं है ।

राष्ट्रीय राजपथ

*१०३९. **श्री ख़ू० चं० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सागर और देवरी के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर पड़ने वाली नदियों और नालों पर पुलों और पुलियों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है; और

(ग) निर्माण-कार्य कब से फिर शुरू किये जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) . सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री ख़ू० चं० सोधिया : जो पुल बनने वाला था, उसका काम बन्द हो गया है। तो मिनिस्टर साहब ने जो यह फरमाया था कि एक नये किस्म का पुल बनने वाला है, वह सब क्या आप भूल गये ?

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री शाहनवाज खां : आनरेबुल मेम्बर साहब को रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी पोजीशन (स्थिति) एक्स्प्लेन (स्पष्ट) की है। एक पुल बनाने के लिये कुछ पहले से काम करना पड़ता है, उसकी जमीन देखनी पड़ती है। इसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन वह काम शुरू हो रहा है।

श्री खू० चं० सोधिया : कब शुरू होगा ?

श्री शाहनवाज खां : शुरू है।

पीलिया रोग

†*१०४०. { **श्री कामत** :
श्री काजरोल्कर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८० तथा उसके अनुपूरकों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या हाल ही में दिल्ली या नई दिल्ली में पीलिया रोग के किन्हीं मामलों की सूचना मिली है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : दिल्ली और नई दिल्ली में पिछले तीन महीनों में पीलिया रोग के केस इस प्रकार हुए हैं :—

सितम्बर, १९५६	१०३
अक्तूबर, १९५६	८२
नवम्बर, १९५६ ... (२३ नवम्बर, १९५६ तक)	६२
कुल	२४७

पीलिया रोग के कुछ केस सारे वर्ष ही होते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली या नई दिली में इस रोग के बढ़ने की कोई सूचना नहीं मिली है।

†**श्री कामत** : पीलिया रोग के केसों के ये आंकड़े कहां से लिये गये हैं—अस्पतालों के रजिस्टरों से या और कहीं से ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अस्पतालों और दवाखानों से यह रिपोर्टें मिलती हैं।

†**श्री कामत** : क्या यह सम्भव नहीं है कि गत वर्ष पीलिया रोग में दिल्ली के अस्पतालों में बहुत अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने के कारण दिल्ली के निर्धन निवासियों ने यह सोचा हो कि उन्हें घर पर रह कर और एलोपैथिक के अतिरिक्त अन्य प्रणाली से इलाज करा कर अधिक लाभ की संभावना है, और इसलिये वे अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : मुझे खेद है कि यह बात ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि अस्पतालों में संख्या बढ़ती ही जा रही है।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि इस सभा के एक सदस्य सरदार बलदेव सिंह इस रोग से सख्त बीमार हैं और क्या जिस रोग से वह पीड़ित हैं उसे पीलिया रोग निर्धारित कर दिया गया जिसका कारण दूषित जल का सेवन बताया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजकुमारी अमृत कौर** : ऐसा कहना सर्वथा गलत है। मैं सरदार बलदेव सिंह को भलीभांति जानती हूं। उनको बहुत पहले पीलिया हुआ था। जल के दूषित होने से बहुत पहले से वह इस रोग में ग्रस्त हैं; और उनके बीमार होने का कारण इससे बिल्कुल भिन्न था।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्री और दिल्ली के भूतपूर्व राज्य मंत्री, गत वर्ष की महामारी और उसके परिणामस्वरूप मरने वालों को प्रतिकर देने के मामलों में अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर बहुत ही अशोभनीय तरीके से डाल रहे हैं, और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री कम से कम इस वर्ष तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती हैं और यदि राजधानी में अवस्था बिगड़ जाती है तो क्या वह भूतपूर्व रेलवे तथा परिवहन मंत्री के उदाहरण का अनुसरण करेंगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

†**श्री कामत** : कम से कम पहले भाग का उत्तर तो दिया जाये। दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। माननीय सदस्य ने गत वर्ष की घटनाओं के उत्तरदायित्व के दूसरों पर डालने की बात कही और यह आश्वासन मांगा है कि स्वास्थ्य मंत्री पूर्ण उत्तरदायित्व लेंगी। वह तो है ही। जहां तक उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, वह पूर्णतया उत्तरदायी है। जहां तक दूसरे मामलों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य यहां कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री ने, अक्तूबर में विदेशों से अपनी व्यस्त छुट्टी से लौटकर यह जानने की चिंता की थी कि कितने दिनों तक दिल्ली की जनता को दूषित पानी पीना पड़ा ?

†**श्री गाडगील** : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में क्या माननीय सदस्य ऐसी असंगत और अपमानजनक बातें कह सकते हैं, जिनका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कल भी मैंने यह कहा था कि जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये। कुछ अवसर ऐसे हो सकते हैं जबकि ऐसी बातें कहना उचित हो, और उनकी संगतता का वहीं उसी समय निर्णय किया जायेगा। प्रश्नों के बारे में कोई तर्क या उत्तेजक बात नहीं कही जानी चाहिये। सीधा और स्पष्ट और वास्तविकता पर आधारित प्रश्न होना चाहिये, कि क्या यह ठीक है या नहीं; वस्तुस्थिति क्या है; आदि। अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। माननीय सदस्यों को बार-बार यह बताना मेरे लिये कष्टकर है। प्रस्तावना नहीं होनी चाहिये।

†**श्री कामत** : आपकी बात से मुझे दुःख पहुंचा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने केवल यह पूछा है कि विदेश में व्यस्त रहने के बाद, यहां अक्तूबर में लौट आने पर क्या उन्होंने यह जानने की चेष्टा की है कि अक्तूबर मास में दिल्ली संयुक्त जल तथा नाली बोर्ड ने दिल्ली की जनता को कितने दिनों तक गन्दगी मिश्रित जल दिया ?

†**एक माननीय सदस्य** : कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाई गई कि उनके विदेश प्रवास के समय यहां जल दूषित हुआ था ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : इस सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे उन पर बड़ी आपत्ति है। किसी भी समय मेरे विदेशों में छुट्टी मनाने के लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। सुरक्षित जल संभरण के बारे में मैंने एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है और कई प्रश्नों के इस सभा में उत्तर दिये हैं। जैसा कि तथ्यों से ज्ञात हुआ है इस वर्ष जल दूषित नहीं हुआ है। मैं संयुक्त जल तथा नाली

†मूल अंग्रेजी में।

बोर्ड के लिये उत्तरदायी हूं । एक संसदीय स्वास्थ्य समिति भी है, जो सभी बातों की देखभाल करती है और यह भी देख सकती है कि इस सभा में जो आश्वासन मैंने दिये हैं वह पूरे किये गये हैं या नहीं । यदि इस प्रकार से मुझसे प्रश्न पूछे जायेंगे तो मैं उनका उत्तर देने से इन्कार कर दूंगी ।

†**श्री श्यामनंदन सहाय** : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि कई बार इस रोग के लक्षण आंख पर या मुख पर नहीं, बल्कि मस्तिष्क में दिखायी देते हैं ?

†**श्री देवेश्वर सर्मा** : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब जो जल दिया जाता है, उसे बिना उबाले पिया जा सकता है ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : जी, हां । कुछ सप्ताह पूर्व एक प्रेस टिप्पणी जारी की गई थी कि पानी को बिना उबाले पीने के लिये काम में लाया जा सकता है ।

माल, बुकिंग और पार्सल क्लर्क

†*१०४१. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में माल, बुकिंग और पार्सल क्लर्कों के पास जो ऊंचे वेतनक्रम वाले पद हैं उनकी प्रतिशतता निम्नतम है;

(ख) क्या यह सच है कि इन क्लर्कों को इन्स्पैक्टरों के पदों पर पदोन्नति पाने का कोई निश्चित मार्ग नहीं दिया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उच्च वेतनक्रम वाले पदों के २५ से कम करके १५ प्रतिशत कर दिये जाने से उपरोक्त भाग (ख) में वर्णित रूप में पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) . जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वेलायुधन** : इन्स्पैक्टरों के पदों पर पदोन्नति किस प्रकार की जाती है ? क्या केवल पार्सल क्लर्कों की पदाली से की जाती है या बाहर से ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं कुशलता के आधार पर की जाती हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या पदोन्नतियां इसी पदाली से नहीं की जाती हैं बल्कि बाहर से अर्थात् सामान्य पुंज से भी की जाती हैं, यद्यपि उस पुंज में सम्मिलित कर्मचारियों को वित्तीय मामलों और लेखा का कोई अनुभव नहीं होता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां इस विषय में जो नियम और विनियमन हैं उनके अनुसार की जाती हैं ।

केन्द्रीय घास क्षेत्र सर्वेक्षण दल

†*१०४४. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय घास क्षेत्र सर्वेक्षण दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सुझाव दिये हैं और सिफारिशें की हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० दशमुख)** : (क) जी, नहीं । सर्वेक्षण कार्य पूरा करने में २-३ वर्ष और लगेंगे । केन्द्रीय घास क्षेत्र सर्वेक्षण दल ने अभी तक पंजाब (पैप्सू समेत), पश्चिम उत्तर प्रदेश, आसाम, मनीपुर, दिल्ली, आंध्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मद्रास, मैसूर, बम्बई के कुछ

†मूल अंग्रेजी में ।

भाग (सौराष्ट्र और बड़ौदा समेत) तथा भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन और कुर्ग राज्यों के घास क्षेत्रों का पूर्व-परीक्षण सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ।

(ख) घास क्षेत्र सर्वेक्षण दल के १९५४-५५ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों और सुझावों का एक संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि यह जो घास उगाने के स्थान हैं वह हर गांव में जानवरों के चरने के वास्ते खेती की भूमि से किस अनुपात में रखे जायेंगे ?

डा० पं० शा० देशमुख : यह सवाल तो ग्रास (घास) के सर्वे (सर्वेक्षण) के बारे में है ।

जिया भराली नदी पर पुल

†*१०४५. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **परिवहन** मंत्री १६ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में जिया भराली नदी पर प्रस्तावित पुल के लिये स्थान चुने जाने के बाद कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-सा स्थान अन्तिम रूप से चुना गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या अभी तक स्थान चुना ही नहीं गया है ?

†**श्री अलगेशन** : स्थान चुन लिया गया है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या मैं स्थान के बारे में जान सकता हूं ?

†**श्री अलगेशन** : यह स्थान वर्तमान नौका घाट से दो मील नीचे की ओर है । राज्य के इंजीनियरों ने इस पर भी विचार किया था । अग्रेतर निरीक्षण पर, अतिरिक्त परामर्शक इंजीनियर द्वारा पहले चुना गया स्थान स्वीकार कर लिया गया, अतः स्थान चुन लिया गया है ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या नदी को बहुत दूर तक बदलना आवश्यक होगा, ताकि पुल उस स्थान पर बनाया जा सके ?

†**श्री अलगेशन** : नदी को अपने मार्ग पर रखने के लिये नदी को बांधने के कार्य समेत बहुत से कार्य करने पड़ेंगे ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : निर्माण कार्य के कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार से प्राक्कलन अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं । उनकी पड़ताल करनी होगी । प्राक्कलनों के अन्तिम रूप दिये जाने में अनुमोदित हो जाने पर कार्य आरम्भ होगा ।

उड़ीसा की चीनी की फैक्टरियां

†*१०४७. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में चीनी की नई फक्टरियों की स्थापना के लिये कोई नये लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर; और

(ग) क्या यह लाइसेंस सहकारी संस्थाओं को दिये गये हैं या किसी और को ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां । एक लाइसेंस दिया जा रहा है ।

(ख) अस्का, जिला गंजम ।

(ग) सहकारी संस्था ।

†**श्री संगण्णा** : क्या 'कर्वे समिति' के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नये लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी, नहीं । हमने किसी विशेष सीमा तक लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया था । वह सीमा अब लगभग पूरी हो चुकी है और हम निर्धारित की गयी नीति के अनुसार लाइसेंस जारी कर रहे हैं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या, सरकार ने हाल ही में यह लाइसेंस जारी किया है, उसका वर्तमान चीनी कारखाने पर और राज्य में चावल उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं इस प्रश्न का वास्तविक भाव नहीं समझ सका । सम्भव है कि कुछ क्षत्रों में, जिनमें इस समय चावल की खेती होती है, गन्ने की खेती होने लगे । परन्तु ऐसा क्षेत्र बहुत कम होगा ।

रेलवे कर्मचारी

†***१०५१. श्री राधा रमण** : क्या **रेलवे** मंत्री ४ अप्रैल तथा २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः ५४१ तथा ११८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों पर वेतनवृद्धि के रोक लेने के किसी दण्ड के लगाने के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या पीड़ित कर्मचारियों द्वारा रेलवे प्रशासन के विरुद्ध कोई मामले दायर किये गये ह; और

(ग) यदि हां, तो उन मामलों का क्या परिणाम हुआ है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वेतनवृद्धियों को रोक देना सेवा नियमों के अधीन पूर्णरूपेण उचित था ।

(ख) जिन कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गयी थी, उनके द्वारा कुछ मामले दायर किये गये हैं ।

(ग) कुछेक मामलों में तो वेतनवृद्धियों का रोका जाना मजूरी भुगतान अधिनियम से शक्ति पुरस्तात् माना गया है और अन्य मामलों में नहीं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या कर्मचारियों द्वारा चलाये गये कोई ऐसे मामले भी हैं जिनमें सरकार हार गयी है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां, बम्बई में । परन्तु पंजाब उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है यह मजूरी भुगतान अधिनियम से शक्ति पुरस्तात् नहीं है, और वहां पर कर्मचारी हार गये हैं । इसलिये सरकार मजूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भोपाल-बीना रेलवे लाइन

†*१०१८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल से बीना तक दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में कोई पक्का फैसला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) रेलवे बोर्ड इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सर्वेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर और उस पर विचार कर लेने के बाद ही करेगा ।

राष्ट्रीय राजपथ (मैसूर)

†*१०१९. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में मंजूर किये गये मुख्य राष्ट्रीय राजपथों सम्बन्धी मूल कार्यों का प्राक्कलित परिव्यय क्या होगा; और

(ख) इस राशि में से कितना धन वास्तव में खर्च किया गया है और कितना व्यपगत हो गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) क्रमशः १० लाख ७४ हजार रुपये, तथा ७ लाख ७७ हजार रुपये ।

(ख) अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १९५५-५६ में ६ लाख २४ हजार रुपये, और १९५६-५७ में ११ हजार रुपये । क्योंकि प्राक्कलित राशि काम पूरा होने तक के समय के लिये है और प्रति वर्ष के आधार पर मंजूर नहीं की गयी है, अतः राशि के व्यपगत होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

सहायक चिकित्सा कार्यकर्त्ता

†*१०२१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक चिकित्सा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने का द्वि-वर्षीय कोर्स कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) सहायक चिकित्सा कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण का द्वि-वर्षीय कोर्स अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा प्रस्थापित मार्ग पर कोई भी योजना नहीं भेजी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

रेलवे दुर्घटनायें

†*१०२३. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३-५४ में पश्चिमी रेलवे में प्रति दस लाख मीलों में जितनी दुर्घटनायें हुई हैं वे अनुपातत: अन्य रेलों की दुर्घटनाओं की अपेक्षा बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह था कि इंजन और डिब्बे खराब हो जाते थे, और कभी-कभी ढोर गाड़ी के नीचे आ जाते थे ।

इंजन और डिब्बों के खराब हो जाने के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि एकीकरण के बाद भारतीय राज्यों की बहुत सी गैर-सरकारी रेलों के एकीकरण के कारण यह रेलवे पिछड़ गयी है। संकलन का आधार सदा एक समान नहीं रहा है ।

रेलवे प्रतिनिधिमण्डल की जापान यात्रा

†*१०२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन तथा जापान की रेलवे व्यवस्थाओं के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिये वहां पर जो प्रतिनिधिमण्डल गया था, उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) प्रतिनिधिमण्डल का औपचारिक प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खण्डवा-अजमेर लाइनों पर चलने वाली रेलगाड़ियां

†*१०२९. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के खण्डवा-अजमेर सेक्शन पर कोई गाड़ी चलाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक भीड़-भाड़ में कमी हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टियां

†*१०३१. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी रेलवे में प्रत्येक स्टेशन मास्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने अधीनस्थों को आकस्मिक छुट्टियां दे सके;

(ख) इस प्रकार की छुट्टी के लिये आवेदन करने और स्वीकृति प्राप्त करने का सामान्य तरीका क्या है—क्या ऐसा टेलीफोन, टेलीग्राम अथवा साधारण पत्र-व्यवहार से होता है;

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या यह एक आम शिकायत है कि कर्मचारियों को आवश्यकता के समय छुट्टी नहीं मिलती: और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर हां में है तो, क्या सरकार आकस्मिक छुट्टी देने के तरीके को बदल देगी ताकि कर्मचारियों को सुविधा हो सके ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । केवल २००-३०० रुपये तथा ऊपर के वेतनक्रम वाले स्टेशन मास्टरों को ही इस बात का अधिकार है कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करें ।

(ख) मानान्य तरीका यह है कि आवेदन-पत्रों के द्वारा ही प्रार्थना की जाये । उनकी स्वीकृति की सूचना साधारण पत्र व्यवहार के द्वारा भेजी जाती है, और यदि मामला अत्यावश्यक हो तो उसकी सूचना टेलीफोन के द्वारा अथवा तार के द्वारा भेज दी जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परिवार आयोजन पदाधिकारी

†***१०३२. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार आयोजन बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में एक-एक परिवार आयोजन पदाधिकारी नियुक्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सिफारिश केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) उक्त पदाधिकारी के मुख्य कार्य क्या-क्या होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी, हां ।

(ख) वह सिफारिश अभी विचाराधीन है । राज्य सरकारों के परामर्श से कोई निर्णय किया जायेगा ।

(ग) प्रस्थापित राज्य परिवार आयोजन पदाधिकारियों के मुख्य कार्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[दखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**

राप्ती नदी योजना

†***१०३७. श्री राम शंकर लाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने राप्ती नदी को नियंत्रित करने वाली किसी योजना अर्थात् जल-कुंडी योजना की स्वीकृति के लिये प्रार्थना की है;

(ख) उससे कितनी बिजली उत्पन्न होने की आशा है और कितना क्षत्र सींचा जायेगा;

(ग) उसस बाढ़-नियंत्रण में कितनी सहायता मिलगी; और

(घ) उसकी मंजूरी देने में यदि कोई देर लगी है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). प्रारम्भिक प्राक्कलन तो प्राप्त हो गया है, परन्तु परियोजना के ब्योरेवार प्राक्कलन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। योजना के ब्योरों और उन्हें मंजूरी देने का काम तो ब्योरेवार प्राक्कलन प्राप्त होने और प्रविधिक तथा वित्तीय परीक्षण करने के बाद ही होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

फलों को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग

†*१०३८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अय्युण्णि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग को प्रारम्भ करने की संभावनाओं की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) समूचे राज्य में फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग को शुरू करने की संभावना पर अभी तक विचार नहीं किया गया है किन्तु हाल में ही नयाटिंकारा विलावेंकोंड सामुदायिक परियोजना में विशेष रूप से खोज की गई है ।

(ख) सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में, फलों को डिब्बों में बन्द करने का एक छोटा कारखाना प्रारम्भ करने की योजना तैयार की गई है ।

तेल तथा तिलहन

†*१०४२. **डा० ज० न० पारिख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष तेल तथा तिलहन की क्या स्थिति है तथा आगामी फसल की क्या स्थिति है;

(ख) उनके सम्बन्ध में निर्यात नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान सभी प्रकार के तेलों तथा तिलहनों के मूल्य में असाधारण वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) उपलब्ध जानकारी देने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ख) इस समय मुख्य खाद्य तेलों यथा मूंगफली, तिल तथा सरसों के निर्यात पर रोक लगी हुई है । नारियल के तेल के निर्यात पर सदा से ही रोक रही है । मुख्य अखाद्य तेलों यथा अलसी और रेंडी के तेलों के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक लाइसेंस दिया जा रहा है । पांच मुख्य तिलहनों के निर्यात पर रोक लगी हुई है ।

(ग) और (घ). १९५५ के अन्त से वानस्पतिक तेलों के दाम बढ़ने बन्द हुए । सरकार तेल तथा तिलसन के अन्तर्देशीय मूल्यों का निरन्तर सावधानी से अध्ययन कर रही है तथा उसे रोकने के लिये आवश्यक तरकीबें कर रही है जिनमें निर्यात नीति और निर्यात शुल्क में समायोजन का प्रश्न भी शामिल है ।

रेलवे इंजन

†*१०४३. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन में सवारी गाड़ियों क इंजन भी बनाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के पहिले क्रम में कितने इंजन निर्मित होंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १० डब्लू० टी० और ३६ डब्लू० पी० इंजन ।

†मूल अंग्रेजी में ।

बम्बई उपनगरीय रेलवे सेवा

†*१०४६. **श्री तुलसीदास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य तथा पश्चिमी रेलवे में, बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों में कितनी भीड़भाड़ रहती है;

(ख) इस भीड़भाड़ को कम करने के लिये, मध्य और पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय शाखा में, कितने अतिरिक्त डिब्बे और गाड़ियां दी गई हैं; और

(ग) भीड़भाड़ से हुई रेलवे दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१**]

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

*१०४८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का बड़ा स्टोर बीकानेर में नहीं है और आवश्यक सामग्री जोधपुर से मंगानी पड़ती है और इससे काम में विलम्ब होता है; और

(ख) क्या बीकानेर में एक बड़ा स्टोर स्थापित करने की कोई योजना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) बीकानेर में एक सब-स्टोर डिपो है, जिसमें कारखाने की ज़रूरत के लिये काफी सामान रखा जाता है। इस डिपो से जितना सामान निकाला जाता है, उसे निर्धारित समय पर पूरा कर दिया जाता है।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में बीकानेर के रेलवे कारखाने के विस्तार के साथ-साथ वहां अधिक सामान रखने की व्यवस्था भी की जायेगी।

नलौर-मेदाकुर रेलवे लाइन

†*१०४९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेलौर-मेदाकुर रेलवे लाइन का जिसके लिये चालू बजट में धनराशि नियत की गई है सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब तक समाप्त हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र में खाद्य की स्थिति

†*१०५०. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र में खाद्य की गम्भीर स्थिति तथा चढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक अन्न भेजने तथा आंन्ध्र से चावल का निर्यात बन्द करने की प्रार्थना की है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). हैदराबाद का आन्ध्र में विलय होने के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह प्रार्थना की है कि हैदराबाद के केन्द्रीय रक्षित डोपुओं

†मूल अंग्रेजी में।

से मद्रास और मैसूर को जो अन्न भेजा जा रहा है वह बन्द होना चाहिये । यह बात मान ली गई तथा उस चावल को राज्य सरकार को हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद शहरों में वितरण के लिये दे दिया गया ।

मद्रास-टूटीकोरीन एक्सप्रेस दुर्घटना

†*१०५२. { **श्री वीरस्वामी** :
श्री कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ नवम्बर, १९५६ को हुई मद्रास-टूटीकोरीन एक्सप्रेस दुर्घटना में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) कितने आहत व्यक्ति अपने घावों के कारण त्रिचिनापल्ली अस्पताल में मर गये; और

(ग) अस्पताल से कितने आहत व्यक्ति ठीक होकर चले गये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : ६-१२-१९५६ को स्थिति इस प्रकार थी ।

(क) १५२ ।

(ख) ३ ।

(ग) ८२ (६-१२-१९५६ के दिन) ।

रेलवे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता

†*१०५३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंगाई भत्ते को, भविष्य निधि तथा उपदान के प्रयोजन के लिये, वेतन मान लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस प्रश्न पर गाडगील समिति ने १९५२ में विचार किया था तथा उसने यह सुझाव दिया था कि ७५० रुपये तक मासिक वेतन पाने वाल विभिन्न वेतन स्तरों के असैनिक सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के ५० प्रतिशत को, कुछ प्रयोजनों, जिनमें भविष्य निधि और उपदान भी शामिल हैं, वेतन माना जाय ।

(ख) सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली तथा इसे भविष्य निधि तथा उपदान के प्रयोजन के लिये १५-७-५२ से तथा अन्य प्रयोजनों के लिये १-४-५३ से क्रियान्वित कर दिया गया ।

(ग) उक्त (क) और (ख) को ध्यान में रख कर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पुष्टीकृत दूध

†*१०५४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

†मूल अंग्रेजी में ।

(क) क्या मद्रास तथा कलकत्ता में पुष्टीकृत दूध संयन्त्र बनाने की योजना का अन्तिम रूप मे निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें कुल कितना व्यय होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कलकत्ता दूध परियोजना का अन्तिम रूप मे निश्चय हो चुका है ? मद्रास दूध परियोजना का ब्योरा विचाराधीन है।

(ख) कलकत्ता दूध योजना के अन्तर्गत ७,००० मन पुष्टिकृत दूध और मलाई वाले दूध, बर्तने वाले संयन्त्र पर लगभग ७३ लाख रुपया व्यय किया जायेगा । २,००० मन पुष्टीकृत और मलाई वाले दूध बर्तने वाले मद्रास संयन्त्र पर अनुमानित व्यय ४४ लाख रुपया होगा।

गाड़ी का पटरी से उतरना

†***१०५५. श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के सरकारी इन्सपैक्टर, जिसने १९ मई को संख्या ३४० डाउन राजकोट-प्रोवा डाकगाड़ी के पटरी से उतरने की संविधिक जांच की थी, के प्रतिवेदन पर तथा जांच करने वाले सरकारी इन्सपैक्टर तथा मुख्य प्रबन्धक के मतभेद पर कोई निश्चय कर लिया है: और

(ख) यदि हां, तो यह विनिश्चय किस प्रकार का है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी हां, रेलवे बोर्ड ने रेलवे के सरकारी इन्सपैक्टर के निर्णय को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है।

रेलवे के उपकरण

†***१०५६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६ के दौरान, इस देश में रेलवे उपकरणों के निर्माण की क्षमता के विकास में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२**]

यमुना नदी पर पुल

***१०५७. श्री भक्त दर्शन** : क्या **रेलवे** मंत्री २ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर हुमायूं के मकबरे और शाहदरे के बीच रेल का एक और पुल बनाने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : भारत सरकार के ट्यूब वेल विभाग से निवेदन किया गया है कि पुल बनाने की जगह पर बोरिंग करें ताकि नींव-तल का पता लग सके। पुल की लम्बाई के बारे में केन्द्रीय जल और बिजली कमीशन से भी राय मांगी गयी है ।

डाक्टरों की कमी

†***१०५८. श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाक्टरों की कमी अनुभव करती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार कर रही है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) उत्तर नहीं में है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

ग्राम सेवक

†*१०५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के दौरान बहुप्रयोजनीय ग्रामसेविकाओं का काम करने के लिये कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में सहयोग कर रहा है; और

(ग) कुल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ज्ञात होता है कि तात्पर्य 'ग्राम सेवकों' से है। १९५६ के दौरान (जनवरी से अक्तूबर, १९५६ तक) कुल ५,१४७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ४९ ।

चीनी

†*१०६०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी के कारखानों में उत्पादन व्यय अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी क्षमता के स्तर को बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है तो वह किस प्रकार का है; और

(घ) जिन चीनी के कारखानों को विस्तार की अनुमति दी गई है वे नवीनतम टेक्नालाजिकल तरकीबों को कब काम में लायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३**]

रेलवे महा-प्रबन्धक

†*१०६१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :
श्री कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महा-प्रबन्धक को वे कौन-कौन-सी विशेष शक्तियां दी गई हैं जिनके अनुसार वह किसी कर्मचारी को बिना कारण बताये तुरन्त ही सेवा से हटा सकता है; और

(ख) महा-प्रबन्धक किस विधि के अन्तर्गत ऐसी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) उन शक्तियों के अनुसार, जो रेलवे सेवकों के करार के उपबन्धों तथा भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १४८ के उपबन्धों के अनुसार मिली हैं, ऐसे रेलवे कर्मचारी को जिसे पेंशन पाने का अधिकार न हो, नोटिस देने के बदले एक मास का वेतन देकर बिना कारण बताये ही तुरन्त सेवा से हटाया जा सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) किसी कर्मचारी को सेवा-संविदा के अनुसार एक पक्ष की ओर से या दोनों पक्षों में से किसी की ओर से नोटिस देकर या सेवा की शर्तों के अनुसार सेवा से हटाया संविधान की शक्ति से परे नहीं माना जाता ।

दिल्ली में मियादी बुखार के रोगियों की संख्या

†*१०६२. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री कामत :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में मियादी बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) उपलब्ध आंकड़ों से प्रकट होता है कि दिल्ली में मियादी बुखार के रोगियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई बन्दरगाह में से मिट्टी निकालना

†*१०६३. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह में से मिट्टी निकालने के लिये ८ करोड़ रुपये के व्यय की आवश्यकता होगी; और

(ख) आयोग परियोजना के लिये कैसे अर्थ-व्यवस्था करेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) बम्बई बन्दरगाह न्यास के परामर्शदाता इंजीनियरों द्वारा सुझाये गये अनुदान के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । निश्चित अनुमान केवल उस समय ही तैयार किया जा सकता है जबकि पूना गवेषणा केन्द्र में होने वाले नमूने के प्रयोगों के परिणाम ज्ञात हो जायें और कार्य के लिये टेन्डर मांग लिये जायें ।

(ख) आंशिक रूप में भारत सरकार द्वारा रियायती शर्तों पर दिये गये ऋणों से और आंशिक रूप में बम्बई-बन्दरगाह न्यास के साधनों से ।

बर्मा से चावल का आयात

†*१०६४. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक बर्मा से कितने चावल का आयात किया गया है और उसका मूल्य कितना है; और

(ख) यह चावल कहां-कहां भेजा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४**]

†मूल अंग्रेजी में ।

नदी आयोग प्रतिवेदन

†*१०६५. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नदी आयोग ने अपनी बम्बई में हुई २३ नवम्बर, १९५६ की बैठक के बाद मध्य प्रदेश , उड़ीसा, आन्ध्र और बम्बई में बाढ़ नियन्त्रण के लिये भारत सरकार से कोई सिफ़ारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफ़ारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). कदाचित माननीय सदस्य मध्य भारत नदी आयोग (बाढ़) की दूसरी बैठक का जो २२ नवम्बर, १९५६ को बम्बई में हुई थी, उल्लेख कर रहे हैं। यह नदी आयोग बाढ़ नियन्त्रण के उपायों से सम्बन्धित टेक्नीकल मामलों में केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की सहायता करने के लिये स्थापित किया गया था। बैठक की कार्यवाही का वृत्तान्त अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है ।

अनन्तपुर में तेल प्रौद्योगिकीय संस्था

†*१०६६. **श्री विश्वानाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनन्तपुर स्थित तेल प्रौद्योगिकीय संस्था को, जिसे आजकल आन्ध्र सरकार चला रही है, अपने हाथ में लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब लिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

टूटीकोरीन एक्सप्रेस की दुर्घटना

†*१०६७. **श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूटीकोरीन एक्सप्रेस दुर्घटना में मरे तथा घायल हुए व्यक्तियों की वस्तुयें उनके सम्बन्धियों को दे दी गई हैं; और

(ख) कितने मूल्य की वस्तुयें प्राप्त हुईं तथा मांग करने वालों को दी गईं ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) दुर्घटना-स्थल से प्राप्त हुई मृत तथा घायल व्यक्तियों को वस्तुयें त्रिचिनापली में पुलिस के अधिकार में हैं। ये वस्तुयें पहिचान होने पर उचित दावेदारों को दी जा रही हैं ।

(ख)	प्राप्त वस्तुओं का मूल्य	लगभग १७,९३० रु०
	(२-१२-१९५६ के सायं के ४ बजे तक)	
	दावेदारों को दी गईं वस्तुओं का मूल्य लगभग	९,६६० रु०

मोटर परिवहन

†*१०६८. **श्री डाभी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राज्यों में मोटर परिवहन के प्रशासन की जांच करन तथा उसमें सुधार करने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त करने का है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो समिति को कब नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) इसके निर्देश-पद क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). समिति की रचना का ब्योरा और निर्देश पद विचाराधीन हैं ।

चीन को कृषि प्रतिनिधिमण्डल

†*१०६९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इक़बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :
श्री वे० प० नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १३ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन पर विचार हो चुका है जो कृषि विकास योजनाओं और ढंगों का अध्ययन करने के लिये हाल में ही चीन गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ख). प्रतिवेदन में उल्लिखित विनिश्चयों तथा सिफारिशों का क्षेत्र विस्तृत है और सरकार उस पर विचार करेगी । ऐसे प्रतिवेदनों पर कोई औपचारिक विनिश्चय करना आवश्यक नहीं है ।

दूध के पाउडर के कारखाने

†*१०७०. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूध के पाउडर के कारखाने स्थापित करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने कारखाने होंगे और राज्य सरकारें कितनी सहायता देगी; और

(ग) कारखाने कितने समय में काम करने लगेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि जहां कहीं दूध अधिक मात्रा में प्राप्त हो, वहां दूध के पाउडर के कारखानें स्थापित करे ।

(ख) उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र की सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाओं में दो कारखाने सम्मिलित किये हैं तथा बिहार सरकार एक कारखाना स्थापित करेगी ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ।

स्थानीय स्वायत शासन

***१०७१. श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि स्थानीय स्वायत्त शासन में प्रशिक्षण

†मूल अंग्रेजी में ।

प्राप्त करने के लिये भारतीयों को विदेश भेजने की योजना के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : इस योजना के मातहत सात उम्मीदवारों का चुनाव हो चुका है। कुछ और उम्मीदवारों के चुनाव के लिये कार्यवाही की जा रही है।

घग्गर नदी पर बांध

†*१०७२. { **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य में घग्गर नदी पर एक बांध के निर्माण की योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षण कब तक आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य के लिये कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण कार्य के लिये, जो पहिले ही पूर्ण हो चुका है, एक पूर्ण विभाग कार्य कर रहा था ।

ऋण योजनायें

†*१०७३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऋण योजनाओं के सम्बन्ध में सेंट्रल कोआपरेटिव बैंकों और भारत के राज्य बैंकों के कार्यों के समन्वय के लिये कोई योजनायें बनाई गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हां, श्रीमान, भारत के राज्य बैंक ने सहकारी संस्थाओं को निम्न सुविधायें देना स्वीकार कर लिया है :

(क) कोआपरेटिव बैंकों को सप्ताह में एक बार निःशुल्क ऋण देने की अनुमति कर देना ।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों पर कोआपरेटिव बैंकों को दिये गये ऋणों पर राज्य बैंक के ब्याज की दर से ½ प्रतिशत कम और न्यूनतम ३ प्रतिशत ब्याज लेना ।

(ग) कोआपरेटिव बैंकों के पास गिरवी रखी हुई वस्तुओं को फिर गिरवी रख कर दिये गये ऋणों पर साधारण दर से ½ प्रतिशत कम ब्याज लेना ।

(घ) कोआपरेटिव बैंकों के चैकों का रुपया प्राप्त करना या उन्हें क्रय करना तथा इसके लिये १/३२ प्रतिशत रियायती दर पर ब्याज लेना और न्यूनतम ब्याज १० आने है।

२. यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई सहकारी संथा और/या बैंक अन्य सहकारी अभिकरण के होते हुए किसी राज्य बैंक की सेवाओं का प्रयोग नहीं करता है, राज्य बैंक ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह किसी सहकारी समिति को उस समय तक ऋण नहीं देगा जब तक कि भावी ऋण प्राप्त-कर्ता सम्बन्धित कोआपरेटिव केन्द्रीय बैंक का वह पत्र नहीं दिखाता जिसमें कहा गया हो कि ऐसी सुविधायें राज्य बैंक से प्राप्त की जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

रेलगाड़ी मिलान स्टेशन

†८१५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में उत्तर रेलवे की बड़ी तथा छोटी लाइनों पर कितने और कौन-कौन से स्टेशन को मिलान स्टेशन घोषित किया जा रहा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : १९५६-५७ में उत्तर रेलवे की बड़ी व छोटी लाइनों पर निम्न मिलान स्टेशनों की व्यवस्था की जायेगी :

बड़ी लाइन :

एक झंडी दिखाने वाले स्टेशन, अर्थात नीलोखेड़ी को मिलान स्टेशन बनाया जायेगा ।

छोटी लाइन :

नौ मिलान स्टेशन, अर्थात, परिहारा, किरोदा, रंगमहल, परविज़पुर, बेलासर, बेनीसर, मोहनसरा, गुरुसर साहनेवाला और पारसन्यू की व्यवस्था की जायेगी ।

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन

†८१६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सख्या २९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन की सिफ़ारिशों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) निम्न मामलों के अतिरिक्त साधारणतया सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गई हैं :

(१) केन्द्र में सहायता तथा गारन्टी निधि बनाना; और

(२) सहकारी चीनी कारखानों का लक्ष्य ३५ से बढ़ा कर ६० करना ।

कोटकपूरा-फाज़िल्का रेलवे लाइन

†८१७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटकपूरा-फ़ाज़िल्का मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस तारीख तक किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में दूध का सम्भरण

†८१८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के निवासियों को अच्छा दूध तथा दूध से बनी हुई वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उचित दामों पर अच्छा दूध तथा दूध की वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में देने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में अच्छा दूध तथा दूध की बनी हुई वस्तुयें उचित दामों पर देने में सुधार के दृष्टिकोण से सरकार ने दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना तैयार की है जिसका प्राक्कलित परिव्यय ३३८ लाख रुपये होगा । जब तक एक संविहित दुग्ध बोर्ड गठित नहीं किया जाता तब तक के लिये पिछले अगस्त में एक तदर्थ दुग्ध बोर्ड स्थापित किया गया था तो योजना बनाने तथा योजना को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा । १ नवम्बर, १९५६ को बोर्ड की प्रथम बैठक हुई थी ।

बोर्ड ने मोटे तौर पर प्रस्तावित योजना पर विचार किया था और यह अनुमोदित किया था कि :

(१) यथासम्भव शीघ्र ही आज़ादपुर गांव तथा पटेल नगर में क्रमानुसार एक दुग्ध बस्ती और एक डेरी संयन्त्र स्थापित किया जाना चाहिये;

(२) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गावों से दूध इकट्ठा करने और प्राप्त करने के लिये एक संस्था स्थापित की जानी चाहिये;

(३) जब तक प्रस्तावित डेरी संयन्त्र स्थापित नहीं होता और जिसमें सम्भवत: लगभग दो वष लग जायेंगे तब तक प्रतिदिन २,५०० मन तक दूध को काम में लाने के लिये आवश्यक एक अन्तिरिम संस्था स्थापित की जानी चाहिये, यदि सम्भव हो तो भारतीय कृषि संस्था की वर्तमान गव्यशाला से लाभ उठाया जाये; और

(४) उपरोक्त बातों के लिये वित्तीय मंजूरियां प्राप्त करने के लिये अपेक्षित विस्तृत प्राक्कलन शीघ्र ही तयार किये जाने चाहियें ।

बोड के उपरोक्त निर्णयों पर सक्रियता से कार्यवाही की जा रही है ।

आशा है कि योजना के पूरा होने पर लगभग ७,००० मन दूध प्रति दिन काम में आयेगा ।

जगाधरी-लुधियाना रेलवे लाइन

†८१९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में बरास्ता चण्डीगढ़, जगाधरी, लुधियाना रेलवे लाइन बनान की योजना किस प्रकार प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : यह प्रस्ताव अभी जांच के प्रक्रम पर ही है ।

मीनग्रहण उद्योग

†८२०. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीनग्रहण उद्योग के लिये सरकारी क्षेत्र में नौकाओं तथा जहाज़ों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मानवोचित खुराक में आल्गा का उपयोग

†८२२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश कृषि बोर्ड ने आल्गा की जो कि एक सैलवाला जल में उगने वाला पौदा है और जिसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट्स की अत्याधिक मात्रा है, मानवोचित पोषणार्हा की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ग्राम सेविकायें

†८२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पंजाब में खोले गये केन्द्रों में ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण की अवधि तथा पाठ्यक्रम क्या है; और

(ख) अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद इन ग्राम सेविकाओं को किस वेतन-श्रेणी पर नियोजित किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पंजाब के केन्द्र में प्रशिक्षिण के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है और इसमें खाद्य तथा पौष्टिक पदार्थ, पारिवारिक वस्त्र, माता तथा शिशु की देखभाल, आवास तथा घर का प्रबन्ध; स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, दस्तकारियां तथा कुटीर उद्योग, कृषि (घरों में खेती बाड़ी, गव्यव्यवसाय, मुर्गीपालन आदि सहित), सहकारिता तथा गृह विज्ञान शामिल है ।

(ख) ५०-३-८०/४-१०० रुपये ।

क्विलोन-एर्नाकुलम् रेलवे

†८२४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि क्विलोन एर्नाकुलम् रेलवे में काम कर रहे कर्मचारी अस्थायी हैं और इसलिये वे रेलवे सेवा आयोग को प्राथमिक प्रार्थनापत्र नहीं भेज सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि क्योंकि वे अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं इसलिये उनकी आयु अधिक हो जाने के कारण रेलवे सेवा के लिये आवेदित करने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता;

(ग) यदि हां, तो इस अनियमिता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अब तक क्विलोन-एर्णाकुलम् रेलवे निर्माण में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कितने श्रमिक अस्थायी या स्थायी रूप से नियोजित हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). क्विलोन-एर्नाकुलम निर्माण कार्य पर काम कर रहे जिन व्यक्तियों से रेलवे सेवा आयोग द्वारा नियोजन प्राप्त करने के लिये आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे उन्हें बिना किसी विलम्ब के भेज दिया गया था । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की

†मूल अंग्रेजी में ।

ऐसी संख्या बहुत ही कम है तथा लगभग १२ है जिनकी आयु उक्त निर्माण कार्य में काम करने के समय अधिक थी। तथापि उन्हें खपाने के लिये उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) **स्थायी** : शून्य ।

अस्थायी : ३,५०० ।

नलकूप

†८२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब राज्य में दरम्याने दर्जे की सिंचाई की योजना के अधीन नलकूपों के निर्माण के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) द्वितीय योजना में पंजाब में ४६६ नलकूपों के लिये उपबन्ध है। तथापि परीक्षात्मक छिद्रों के परिणाम विचाराधीन होने के कारण कार्यक्रम को अन्तिमरूप नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वास्थ्य के लिये अणु शक्ति

†८२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अणुशक्ति के स्वास्थ्य के लिये उपयोग के सम्बन्ध में अनुसंधान में क्या कोई प्रगति की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं का अणुशक्ति द्वारा समाधान करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान एक अनवरत कार्य है। शान्तिमय प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति के उपयोग से चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उपचार दोनों के लिये ही रोडियम धर्मी समस्थानिक प्राप्य हो गये हैं ।

अभी तक जो मुख्य कार्य किया गया है वह मानव शरीर में विभिन्न तत्वों के निम्न परिवर्तन के लिये रेडियम धर्मी समस्थानिक के उपयोग के सम्बन्ध में है। उपरोक्त प्रयोजन के लिये कुछ कार्य विषय निम्नलिखित हैं :

(क) यमार्बुद कोशा[१] तथा न्याष्टिक अम्ल चयापचय[२] सम्बन्धी मूल अध्ययन के लिये रेडियम-धर्मी कार्बन तथा फासफोरस का उपयोग।

(ख) विकिरण[३] के जैविक प्रभावों के अध्ययन के लिये रेडियो धर्मी कार्बन, गन्धक, फास्फ़ोरस तथा तैजसाति का उपयोग ।

(ग) कुष्ठ रोग के उपचार में काम आने वाली औषधि डी० डी० एस० के संश्लेषण के लिये और शरीर में इसके परिवर्त[४] के अध्ययन के लिये रेडियम धर्मी गन्धक का उपयोग।

(घ) गल-ग्रन्थि क कृत्यों के अध्ययन के लिये रेडियम धर्मी आयोडीन का उपयोग।

(ङ) जिगर के अधितन्तुरुजा सम्बन्धी अध्ययन में जस्ते का उपयोग ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

१ Cancer cells.
२ Nucleic. acid metabolism.
३ Radiation.
४ Metabolism.

उपचार क्षेत्र में रेडियम धर्मी आयोडीन, रेडियमधर्मी फास्फोरस तथा रेडियोसोने को यमार्बुद, गले के रोगों, रक्त के रोगों और अतिश्वेतरक्ता के उपचार के लिये उपयोग किया गया है ।

भारत में "आइसोटोपिक" गवेषणा कार्य बम्बई के यमार्बुद गवेषणा केन्द्र और कलकत्ता के चितरंजन यमार्बुद इस्पात तथा प्रोद्योगिक के विश्वविद्यालय कालिज में किया जा रहा है परन्तु रेडियमधर्मी समस्थानिक का उत्पादन करने वाले देशों से रेडियमधर्मी समस्थानिक सुगमता से प्राप्य न होने के कारण अधिक कार्य नहीं किया जा रहा है और यदि वे प्राप्य भी हों तो उनका मूल्य अत्यधिक है । हमारे देश में अणु शक्ति 'रिएक्टर' की स्थापना से कुछ समस्थानिक आसानी से मिलने लगेंगे और इस क्षेत्र में अग्रेतर कार्य फिर तेजी से हो सकेगा ।

पंजाब में बीज फ़ार्म

†८२७. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ वर्ष में पंजाब में अब तक कितने बीज-फ़ार्म खोले गये हैं तथा और कितने फ़ार्म खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) वे कहां-कहां हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये पंजाब राज्य को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अब तक कोई फ़ार्म नहीं खोला गया है परन्तु पुनर्गठित पंजाब राज्य में १९ बीज-फार्म खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से प्रत्येक २५ एकड़ का होगा ।

(ख) गुड़गांव, हिसार, सोनीपत, करनाल, जगाधरी, समराला, नवांशहर, मोगा, तरनतारन, बटाला, होशियारपुर, नूरपुर, भटिंडा जिला नालागढ़ और कंडाघाट के सघन खण्डों में उपर्युक्त भूमि चुनी जा रही है ।

(ग) ३,२०,६२५ रुपय ।

राष्ट्रीय जलसंभरण और स्वच्छता योजना

†८२८. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजना के अनुसार पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) इस मामले में आज तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बाढ़ चेतावनियां

†८२९. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के हाल की बड़ी बाढ़ में सरकार के लिये कितने जिलों में और किस हद तक बाढ़ चेतावनियां देना सम्भव हुआ था ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

क्रमांक	जिले का नाम	स्थिति
१	हौड़ा	कलेक्टर को सम्बन्धित जिला अधिकारी और स्थानीय सिंचाई अधिकारियों से बाढ़ चेतावनी संदेश प्राप्त हुए थे। उसने ये संदेश वायरलेस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उप-विभागीय अधिकारी, उलुबेरिया और उलुबेरिया बेगनान, श्यामपुर और अमला पुलिस स्टेशनों के प्रभारी पदाधिकारियों को पहुंचा दिये थे और उनसे कहा था कि वे जनता को दामोदर नदी का पानी चढ़ जाने की सूचना दे दें।
२	हुगली	कलेक्टर को, बर्दवान जिले में, ईदिलपुर सिंचाई उप-विभाग के उप-विभागीय पदाधिकारी (सिंचाई) से बाढ़ चेतावनी संदेश प्राप्त हुए थे और उसने आवश्यक पूर्वोपाय किये थे। दारकेश्वर नदी के बारे में बाढ़ चेतावनी संदेश, एग्जेक्टिव इंजीनियर हुगली सिंचाई, विभाग द्वारा सब सम्बन्धित लोगों को पहुंचा दिये गये थे।
३	बर्दवान	जिला प्राधिकारियों के एग्जेक्टिव इंजीनियर, दामोदर नहर विभाग से बाढ़ चेतावनी संदेश प्राप्त हुए थे।
४	मिदनापुर	कांगसाबती, सेलई, दारकेश्वर, रूपनारायण और दामोदर नदियों के बारे में बाढ़ चेतावनी संदेश, सिंचाई और नहर विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों ने मिदनापुर के कलेक्टर और उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों को एक्सप्रैस निधियों या तारों के द्वारा भेजे थे। दामोदर, कोसई, सेलई और दारकेश्वर जलागम क्षेत्रों के मुख्य रेन-गेज स्टेशनों के बारे में, सिंचाई विभाग ने तार द्वारा सिंचाई उप-विभागीय् पदाधिकारियों को संदेश भेजे थे, जिन्हों ने इन्हें लोगों तक पहुंचा दिया था।
५	मुर्शिदाबाद	कलेक्टर को टेलीफोन द्वारा प्रतिदिन बाढ़ चेतावनी संदेश और समय-समय पर चिट्ठियों द्वारा रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।
६	नादिया	कलेक्टर को टेलीफ़ोन द्वारा प्रतिदिन बाढ़ चेतावनी संदेश और समय-समय पर चिट्ठियों द्वारा वृत्तान्त प्राप्त हुए थे।

क्रमांक	जिले का नाम	स्थिति
७	२४-परगना	ऋतु-विज्ञान कार्यालय, अलीपुर से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफ़ान और भारी वर्षा के बारे में ठीक समय पर समाचार प्राप्त हुए थे।

अपाहिजों को चिकित्सा सहायता

†८३०. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में कितनी संस्थायें ऐसी हैं जो अपाहिजों को चिकित्सा सहायता देती हैं ;

(ख) ऐसी कितनी संस्थायें सरकार पूर्ण रूप से चलाती हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष में सरकार का कोई नई संस्थायें खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनका व्यय कितना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कोसी नहरें

†८३१. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी में नहरों की खुदाई १९५७ में शुरू हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इनकी लम्बाई कितनी है और इनके नाम क्या हैं; और

(ग) इन पर कितना व्यय होगा और इनसे कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मुख्य पूर्वी कोसी नहर की खुदाई १९५७ में शुरू करने का विचार है।

(ख) मुख्य नहर की लम्बाई लगभग २७ मील है और इस के एक भाग की खुदाई शुरू करने का विचार है। इसकी निम्न चार शाखा नहरें होंगी :

शाखा नहर का नाम	लम्बाई मीलों में
(१) सुपौल शाखा	३७
(२) प्रतापगंज शाखा	५०
(३) पूर्निया शाखा	४३
(४) अररिया शाखा	४८

(ग) पूर्वी कोसी नहर व्यवस्था का संशोधित अनुमानित व्यय १४ करोड़ रुपये है और इससे प्रतिवर्ष १३·९७ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

रतलाम-उदयपुर रेल सम्पर्क

†८३२. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित रतलाम-उदयपुर लाइन पर सर्वेक्षण कार्य के दौरान में बांसवाड़ा पर एक सर्वेक्षण विभाग खोलने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल, अजमेर और उदयपुर

†८३३. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर और उदयपुर के रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों में कुल कितने-कितने प्रशिक्षार्थी हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षार्थी कितने हैं; और

(ग) क्या उनके लिये कोई स्थान सुरक्षित किये गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

(क) अजमेर : ११५ ।
उदयपुर : १९८ ।

(ख)	**अनुसूचित जातियों के**	**अनुसूचित आदिमजातियों के**
	अजमेर : ८	शून्य
	उदयपुर : शून्य	शून्य

(ग) नहीं ।

सिंचाई गवेषणा केन्द्र

†८३४. **श्री बुबिकोटय्या** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले गवेषणा केन्द्रों में सिंचाई सम्बन्धी किन्हीं बुनियादी समस्याओं को हल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसे कुछ स्टेशनों पर यह कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) कुछ बुनियादी समस्यायें निम्न दी जाती हैं :

(१) क्षारीय मिट्टी पर क्रिलियम का प्रभाव (सिंचाई तथा विद्युत् गवेषणा संस्था, पंजाब)

(२) मिट्टियों पर अम्ल का प्रभाव (सिंचाई गवेषणा संस्था, उत्तर प्रदेश)

(३) [1]खंडयुक्त अधिप्लवन मार्ग और अधिप्लवन मार्गों की रूपरेखा के सम्बन्ध में बुनियादी अध्ययन (मैसूर इंजीनियरिंग गवेषणा स्टेशन, कृष्ण राजसागर)

(४) सुरखी-सीमेंट, सुरखी-सीमेंट रेत की मजबूती की विशेषतायें (मैसूर इंजीनियरिंग गवेषणा स्टेशन, कृष्ण राजसागर)

गवेषणा केन्द्र में किये जाने वाले काम का ब्योरा सिंचाई और विद्युत् केन्द्रीय बोर्ड की गवेषणा-पुस्तिका—१९५६ में दिया गया है (यह लोक-सभा सचिवालय के पुस्तकालय में भेजी जायेगी) ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(१) खंडयुक्त अधिप्लवन मार्ग = (Segmental spillway)

नागार्जुन सागर परियोजना

†८३५. **श्री च० रा० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वृत्तखंडों, नहरों और बांधों आदि का निर्माण कार्य नागाजुन सागर परियोजना के लिये प्रस्तावित निर्माण कार्यक्रम के अधीन निर्धारित अनुसूचियों के अनुसार हो रहा है; और

(ख) क्या मासिक प्रगति रिपोर्ट संसद् के सदस्यों या कम से कम आंध्र राज्य के सदस्यों में परिचालित की जायेगी, जैसा कि तुंगभद्रा परियोजना के मामले म किया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) अब तक परियोजना पर केवल प्रारम्भिक कार्य हो रहा था। मुख्य काम शुरू होने पर, यदि आंध्र प्रदेश के सदस्य चाहें, तो मासिक प्रगति रिपोर्ट उनमें परिचालित की जायेगी।

मुर्गी पालन विकास और विस्तार केन्द्र

†८३६. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३०, अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में बिहार और पश्चिमी बंगाल में किन-किन स्थानों पर मुर्गी पालन विकास और विस्तार केंद्र खोलने का विचार है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये इन राज्यों के लिये कितने ऋण की मंजूरी दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :

(क) **बिहार** :

१. मोताहारी २	(तुर्कावालिय)
२. एकांगरसराय	(जिला पटना)
३. जमतारा	(जिला डुमका)
४. बारही १	(जिला मुघर)

पश्चिमी बंगाल :

१. झाड़ग्राम	(जिला मिदनापुर)
२. बेलडंगा	(जिला मुर्शिदाबाद)
३. बांकुरा	(जिला बांकुरा)
४. पुरूलिया	(जिला पुरूलिया)
५. सूरी	(जिला बीरभूम)

(ख) बिहार के लिये ८१,५८० रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी कोई ऋण नहीं मांगा।

रलगाड़ियों का समय पर चलना

†८३७. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्निया स्टशन (पूर्वी रेलवे) पर आने वाली सभी गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती और कभी-कभी दो या तीन घंटे देर से आती हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों को समय-सारणी के अनुसार चलाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं । अक्तूबर और नवम्बर, १९५६ में पूर्निया रेलवे स्टेशन जो कि पूर्वी रेलवे पर नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे पर है, क्रमशः केवल ९·४ प्रतिशत और ७·४ प्रतिशत यात्री गाड़ियां दो या इससे अधिक घंटे देर से पहुंची थीं ।

(ख) यात्री गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये निम्न उपायों द्वारा सब प्रयत्न किये जा रहे हैं :

(१) ठीक समय पर चलाने का आंदोलन;

(२) गाड़ियों के साथ निरीक्षण अधिकारी भेजना, ताकि गाड़ियां ऐसे कारणों से न रुकी रहें जिन्हें कि दूर किया जा सकता हो;

(३) इंजीनियरिंग प्रतिबन्धों के कारण खोये गये समय के बदले अतिरिक्त समय देना और जहां संभव हो, गाड़ियों के समयों को बदलना;

(४) कटिहार यार्ड में इन्टरलाकिंग का आयोजन, इस यार्ड को और कटिहार-पूर्निया जोगबानी विभाग पर गाड़ी नियन्त्रण व्यवस्था को नये ढंग का बनाना ।

रेलवे में गुड्स, बुकिंग और पार्सल क्लर्क

†८३८. **श्री वेलायुधन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिशिष्ट २क और ३क की लेखा परीक्षाओं में गुड्स, बुकिंग और पार्सल क्लर्क सम्मिलित हो सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन किन वर्गों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). चूंकि रेलवे लेखा विभाग में पदवृद्धि विनियमित करने के लिये ही ये विभागीय परीक्षायें की जा रही हैं, अतः केवल रेलवे लेखा अधिकारियों (एकाऊंट्स आफिसर्स) को ही इनमें सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

†८३९. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर बांध क्षेत्र का विमान द्वारा सर्वेक्षण करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका अभिप्राय, अभिकरण और अनुमानित व्यय कितना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) इसका मुख्य उद्दश्य जलाशय क्षमता का विभिन्न स्तरों पर सही हिसाब लगाने की दृष्टि से जल में डूब जाने वाले क्षेत्र का कन्टूर सर्वेक्षण करना है । विमान द्वारा सर्वेक्षण का अनुमानित व्यय एक लाख ८० हजार रुपये है और यह कार्य भारत सर्वेक्षण संस्था के बंगलौर स्थित दक्षिणी परिमंडल के निदेशक को सौंपा गया है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

ग्वार का उत्पादन

†८४०. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम जहां ग्वार पैदा होती है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में वर्षवार कितने एकड़ भूमि में ग्वार पैदा हुई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में १९५० से १९५५-५६ तक प्रत्येक वर्ष में ग्वार का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) ग्वार का प्रत्येक राज्य में क्या उपयोग है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ग्वार सारे भारत में बोई जाती है किन्तु पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और बम्बई (गुजरात और सौराष्ट्र) में इसकी अधिकांश उपज होती है।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित प्राक्कन उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ग्वार उन फसलों में सम्मिलित नहीं है जिनके सम्बन्ध में एकड़ और उपज के आंकड़े तैयार किये जाते हैं।

(घ) चारे और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली यह बहु-प्रयोजनीय फसल है। पौधों के हरे डंठल सब्जी के रूप में और सूखा दाना पशु-खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है।

खाद्यान्न का संग्रह

†८४१. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों को सुरक्षित रूप में रखने के लिये खत्तियों की पुरातन पद्धति अपनाने का विचार कर रही हैं; और

(ख) क्या उपरोक्त पद्धति खाद्यान्नों के सुरक्षित संग्रह के लिये गोदामों की अपेक्षा अधिक बचतपूर्ण एवं प्रभावशाली सिद्ध होगी।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

बम्बई में उपनगरीय रेल गाड़ियां

†८४२. **श्री तुलसी दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ और १९५६ में प्रत्येक महीने में मध्य और पश्चिम—दोनों रेलों पर बम्बई में कितनी बार उपनगरीय गाड़ियों का चलाना बंद कर दिया गया; और

(ख) उसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५**]

(ख) (१) मानसून ऋतु में असामान्य रूप से भारी वर्षा और पटरियों पर बाढ़ आ जाना।
(२) बिजली के उपरी तारों का काम न करना।
(३) इंजन डिब्बे आदि का बेकार होना।
(४) सिग्नल और प्वाइंट का बेकार होना।
(५) उपनगरीय गाड़ियों का मार्ग से बाहर चलने पर विनियमन।
(६) अनधिकृत रूप से गाड़ियों को रोकना।
(७) खतरे की जंजीर खींचना।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कटिहार रेलवे विभाग

†८४३. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कटिहार सैक्शन पर पुराने डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे लगाने की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बाद कितने डिब्बे बदल दिये गये हैं और अभी कितने बदलने शेष हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) कटिहार में रखे गये २९७ में से १२० डिब्बे नये हैं । यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने डिब्बे बदलने की आवश्यकता है क्योंकि पी० ओ० एच० के समय वर्कशाप में गहन परीक्षण के पश्चात् अवस्था तथा स्थिति के आधार पर ही डिब्बे रद्द घोषित किये जाते हैं ।

केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त सड़कें

†८४४. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता से १९५५-५६ में बनाई जानेवाली पूर्णिया जिला (बिहार की) गैरकी-अरारिया और धीमा-दरहेरा सड़कें पूरी हो गई हैं; और

(ख) क्या उक्त जिले में चालू वर्ष में कोई नई सड़क बनाने की स्वीकृति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी नहीं ।

ग्राम सड़क विकास

†८४५. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित पन्द्रह लाख रुपयों में से सहकारिता के आधार पर ग्राम सड़क विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इस रकम का राज्यवार अलग-अलग वितरण; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उक्त प्रयोजन के लिये कितनी रकम खर्च की जायेगी तथा उसका राज्यवार वितरण क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). सहकारिता के आधार पर ग्राम सड़क विकास के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रक्षित से राज्यों को अनुदान देने के लिय निर्धारिति पन्द्रह लाख रुपये की रकम बढ़ाकर बाद में साठ लाख कर दी गई । यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना तक सीमित नहीं थी । ३१ मार्च, १९५६ तक विभिन्न राज्यों को स्वीकृत राशि ४८ लाख २४ हजार हो गई थी जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]** । प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में खर्च हुई राशि के बारे में राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा वह लोक-सभा को बता दी जायेगी । द्वितीय योजना में खर्च के लिये उपलब्ध राशि वही होगी जो ६० लाख की कुल राशि में से खर्च के पश्चात् बची है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

मनीपुर में औषधालय

†८४६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगी कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में मनीपुर की पहाड़ियों और मैदानों में प्रत्येक वर्ष में कितने औषधालय स्थापित किये गये;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि लगभग सभी औषधालयों में दवायें नहीं हैं; और

(ग) दवाओं सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जानकारी नीचे दी जाती है :

१९५१–५२	एक भी नहीं
१९५२–५३	१०
१९५३–५४	१०
१९५४–५५	१ चलता पर्वतीय औषधालय (पूर्व)
१९५५–५६	१ चलता पर्वतीय औषधालय (पश्चिम)
कुल योग	२२

(ख) सभी औषधालयों को नियमित रूप से औषधियां संभारित की जाती हैं तथा इनमें कोई कमी नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

बीकानेर रेलवे वर्कशाप

८४७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर रेलवे वर्कशाप में इस समय काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : बीकानेर के रेलवे कारखाने में तीसरे और चौथे दर्जे के कुल १२९० कर्मचारी हैं ।

पर्मनेंट वे इन्सपैक्टर

८४८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न के असिस्टैंट पर्मनेंट वे इन्सपैक्टरों (वर्ष भर चलने वाली लाइनों के सहायक निरीक्षक) के वेतनों में अन्तर है जबकि उनके कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां उनकी श्रेणी के अन्य कर्मचारियों जैसी ही हैं; और

(ख) बीकानेर डिवीज़न में असिस्टैंट पर्मनेंट वे इन्सपैक्टरों की कुल संख्या कितनी है और इनमें कितने हरिजन हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) बीकानेर डिवीज़न में सहायक रेल-पथ निरीक्षकों की कुल तादाद २९ है । इनमें से एक अनुसूचित जाति का है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

माछू नदी पर पुल

†८४९. **डा० ज० न० पारिख** : क्या **रेलवे** मंत्री २० नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व मोरिस रेलवे का माछू नदी पर बना हुआ वनकानेर (सौराष्ट्र) स्थित पुल जो मुख्यतः छोटी लाइन के लिये बनाया गया था, बड़ी लाइन के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ख) पुल प्रारम्भ में कब बनाया गया था और इसे बने कितने वर्ष हो चुके हैं ; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि यह पुल नगर और रेलवे स्टेशन के बीच सामान्य यातायात के लिये उपयोग में लाया जाता है और फाटक के बार-बार बंद होने से जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस को चौड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) पुल १८९० में बनाया गया था और यह अब ६६ वर्ष पुराना है ।

(ग) १९५८-५९ में इसे अधिक मज़बूत बनाने का विचार है । उसी समय इसे १६ फुट चौड़ा कर दिया जायेगा ।

दिल्ली की नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

८५०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली की नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों में लिपिकों (क्लर्कों) की संख्या में अनुसूचित जातियों को अनुपातानुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). नवम्बर, १९५३ में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार दक्षिण व पश्चिम दिल्ली नगर पालिकाओं को छोड़ कर जिनकी स्थापना १९५४ में की गयी, दिल्ली के सभी स्थानीय निकायों ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के सुरक्षण के लिये भारत सरकार के प्रस्ताव (गृह मंत्रालय का प्रस्ताव संख्या ४२/२१/४९ एन० जी० एस०, दिनांक १३ सितम्बर, १९५०) को अपना लिया है । इन दो कमेटियों को भी आवश्यक हिदायत देने के लिये दिल्ली के चीफ कमिश्नर को कहा गया है ।

लोक-निर्माण कार्यों के लिये दिल्ली नगरपालिका द्वारा निर्धारित की गयी राशि

८५१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली नगरपालिका ने लोक-निर्माण कार्यों के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की;

(ख) इसमें से कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) इन निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) से (ग). इस बारे में एक विवरण सभा की मेज पर रखा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७]**

†मूल अंग्रेजी में ।

नागरिकों की ओर से दिल्ली नगरपालिका द्वारा आयोजित स्वागत समारोह

८५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नागरिकों की ओर से दिल्ली नगरपालिका द्वारा कितने स्वागत समारोहों का आयोजन किया गया; और

(ख) इन पर कितना धन व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) तेईस ।

(ख) रु० २,१६,४५५/६/–

दिल्ली-फाजिल्का राष्ट्रीय राजपथ

†८५३. { **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फाजिल्का के बीच के राष्ट्रीय राजपथ पर मोरियों और पुलों की संख्या तथा उनकी चौड़ाई बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि इन मोरियों और पुलों को निर्धारित नियमों के अनुसार चौड़ा नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१०१३–३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०२०	बाढ़ से हुई क्षति	१०१३–१६
१०२२	फल परि-रक्षण उद्योग	१०१६–१८
१०२४	बाढ़ नियंत्रण योजनायें ...	१०१८–२०
१०२६	ग्राम क्षेत्रों में परिवार आयोजन	१०२०–२१
१०२७	मैडिकल कालिजों में नेपाली छात्र ...	१०२२
१०२८	बम्बई में परिवार आयोजन केन्द्र ...	१०२३–२४
१०३०	अमेरिका के लिये भारतीय इंजीनियर	१०२४
१०३३	खाद्य के आयात की योजनायें	१०२४–२६
१०३४	पत्तनों का विकास	१०२६
१०३५	सहकारी आन्दोलन	१०२६–२८
१०३६	नदी घाटी परियोजनाओं के लिये कर्मचारी	१०२८–२९
१०३९	राष्ट्रीय राजपथ	१०२९–३०
१०४०	पीलिया रोग ...	१०३०–३२
१०४१	माल, बुकिंग और पार्सल क्लर्क	१०३२
१०४४	केन्द्रीय घास क्षेत्र सर्वेक्षण दल	१०३२–३३
१०४५	जिया भराली नदी पर पुल	१०३३
१०४७	उड़ीसा में चीनी की फैक्ट्रियां	१०३३–३४
१०५१	रेलवे कर्मचारी	१०३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१०३५–६१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०१८	भोपाल-बीना रेलवे लाइन ...	१०३५
१०१९	राष्ट्रीय राजपथ (मैसूर) ...	१०३५
१०२१	सहायक चिकित्सा कार्यकर्ता	१०३५
१०२३	रेलवे दुर्घटनायें ...	१०३६
१०२५	रेलवे प्रतिनिधिमंडल की जापान यात्रा	१०३६
१०२९	खंडवा–अजमेर लाइनों पर चलने वाली रेल गाड़ियां	१०३६
१०३१	रेलवे कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टियां ...	१०३६–३७
१०३२	परिवार आयोजन पदाधिकारी ...	१०३७
१०३७	राप्ती नदी योजना ...	१०३७

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) पृष्ठ

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०३८	फलों को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग	१०३८
१०४२	तेल तथा तिलहन	१०३८
१०४३	रेलवे इंजन ...	१०३८
१०४६	बम्बई उपनगरीय रेलवे सेवा	१०३९
१०४८	बीकानेर रेलवे वर्कशाप	१०३९
१०४९	नेलौर-मेदाकुर रेलवे लाइन	१०३९
१०५०	आंध्र में खाद्य की स्थिति ...	१०३९–४०
१०५२	मद्रास-टूटीकोरीन एक्सप्रेस दुर्घटना	१०४०
१०५३	रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता	१०४०
१०५४	पुष्टीकृत दूध ...	१०४०–४१
१०५५	गाड़ी का पटरी से उतरना	१०४१
१०५६	रेलवे के उपकरण ...	१०४१
१०५७	यमुना नदी पर पुल ...	१०४१
१०५८	डाक्टरों की कमी	१०४१
१०५९	ग्राम सेवक	१०४२
१०६०	चीनी	१०४२
१०६१	रेलवे महा-प्रबन्धक	१०४२–४३
१०६२	दिल्ली में मियादी बुखार के रोगियों की संख्या	१०४३
१०६३	बम्बई बन्दरगाह में से मिट्टी निकालना	१०४३
१०६४	बर्मा से चावल का आयात	१०४३
१०६५	नदी आयोग प्रतिवेदन ...	१०४४
१०६६	अनन्तपुर में तेल प्रौद्योगिकीय संस्था	१०४४
१०६७	टूटीकोरीन एक्सप्रेस की दुर्घटना ...	१०४४
१०६८	मोटर परिवहन ...	१०४४–४५
१०६९	चीन को कृषि प्रतिनिधिमंडल	१०४५
१०७०	दूध के पाउडर के कारखाने ...	१०४५
१०७१	स्थानीय स्वायत्त शासन ...	१०४५–४६
१०७२	घग्गर नदी पर बांध	१०४६
१०७३	ऋण योजनायें ...	१०४६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८१५	रेलगाड़ी मिलान स्टेशन	१०४७
८१६	राज्यों में सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन ...	१०४७
८१७	कोटकपूरा-फाजिल्का रेलवे लाइन	१०४७
८१८	दिल्ली में दूध का सम्भरण	१०४७–४८
८१९	जगाधरी-लुधियाना रेलवे लाइन ...	१०४८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८२०	मीनग्रहण उद्योग	१०४८
८२२	मानवोचित खुराक में आलगा का उपयोग	१०४९
८२३	ग्राम सेविकायें ...	१०४९
८२४	क्विलोन-एर्नाकुलम् रेलवे	१०४९–५०
८२५	नलकूप	१०५०
८२६	स्वास्थ्य के लिये अणु शक्ति	१०५०–५१
८२७	पंजाब में बीज फार्म	१०५१
८२८	राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजना ...	१०५१
८२९	बाढ़-चेतावनियां	१०५१–५३
८३०	अपाहिजों को चिकित्सा सहायता	१०५३
८३१	कोसी नहरें ...	१०५३
८३२	रतलाम-उदयपुर रेल सम्पर्क ...	१०५३–५४
८३३	रेलवे प्रशिक्षिण स्कूल, अजमेर और उदयपुर ...	१०५४
८३४	सिंचाई गवेषणा केंद्र ...	१०५४
८३५	नागार्जुन सागर परियोजना ...	१०५५
८३६	मुर्गी पालन विकास और विस्तार केंद्र	१०५५
८३७	रेलगाड़ियों का समय पर चलना	१०५५–५६
८३८	रेलवे में गुड्स, बुकिंग और पार्सल क्लर्क	१०५६
८३९	नागार्जुन सागर परियोजना	१०५६
८४०	ग्वार का उत्पादन	१०५७
८४१	खाद्यान्न का संग्रह	१०५७
८४२	बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियां	१०५७
८४३	कटिहार रेलवे विभाग ...	१०५८
८४४	केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त सड़कें	१०५८
८४५	ग्राम सड़क विकास ...	१०५८
८४६	मनीपुर में औषधालय	१०५९
८४७	बीकानेर रेलवे वर्कशाप	१०५९
८४८	पर्मनेंट वे इन्सपैक्टर	१०५९
८४९	माछू नदी पर पुल	१०६०
८५०	दिल्ली की नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व ...	१०६०
८५१	लोक निर्माण कार्यों के लिये दिल्ली नगरपालिका द्वारा निर्धारित की गई राशि	१०६०
८५२	नागरिकों की ओर से दिल्ली नगरपालिका द्वारा आयोजित स्वागत समारोह	१०६१
८५३	दिल्ली-फाजिल्का राष्ट्रीय राजपथ	१०६१

मंगलवार, ११ दिसंबर १९५६

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

(५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-92
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति १४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १ १४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सड़सठवां प्रतिवेदन १४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४७२–८०
नियम समिति
सातवां प्रतिवेदन १४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)
विचार करने का प्रस्ताव ... १४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका १४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति १४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना १४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ... १४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ... १४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन १५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
छठा प्रतिवेदन १५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
केरल में उचित मूल्य की दुकानें १५०४–०५
नियम समिति—
सातवां प्रतिवेदन ... १५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ... १५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में १५०६
सभा का कार्य ... १५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ... १५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५१५–२३
खण्ड २ और १ ... १५२३
पारित करने का प्रस्ताव १५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

१२ मध्यान्ह

त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री** (**श्री अलगेशन**) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियमों, १९५२ में कतिपय संशोधन करने वाली इन त्रावनकोर-कोचीन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या टी ४-११८४६/५५—पी डब्ल्यू सी, दिनांक २६ अप्रैल, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या टी ४—५१४६/५४—पी डब्ल्यू सी, दिनांक १८ जुलाई, १९५६.

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—५३९/५६]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**कृषि मंत्री** (**डा० पं० शा० देशमुख**) : मैं श्री मो० वें० कृष्णप्पा की ओर से, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अधीन इन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३४२ दिनांक, २० अक्तूबर, १९५६ **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—५३७/५६]**

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०९ दिनांक, २७ अक्तूबर, १९५६ **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—५३८/५६]**

†मूल अंग्रेजी में ।

M50LSD—1

संयुक्त राष्ट्र गेहूं सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन

†**श्री डा० पं० शा० देशमुख** : मैं श्री मो० वें० कृष्णप्पा की ओर से १९५५-५६ में हुए संयुक्त राष्ट्र गेहूं सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—५३६/५६]**

विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १० दिसम्बर, १९५६ को श्री नंदा द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि विद्युत् (सम्भरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : आपने जब मुझे प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया था तो मैं यह नहीं जानता था कि यह इतना कठिन कार्य सिद्ध होगा । चर्चा किये जाते हुए इस बात का ज्ञान हुआ ।

विद्युत् (सम्भरण) अधिनियम सन् १९४८ में अधिनियमित किया गया था । गत आठ वर्षों में इसके प्रवर्तन में जिन त्रुटियों का अनुभव हुआ है उन्हें दूर करना संसद् का कर्त्तव्य है ।

विद्यत् सम्भरण उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्वरित उद्योगीकरण में विद्युत् को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।

समिति से तीन प्रतिनिधि मण्डलों ने भेट की थी । एक भारत के विद्युत् उपक्रमों के संघ की ओर से आया था । श्री चोक्सी के साक्ष्य का हम पर बहुत प्रभाव पड़ा था यद्यपि हम उनकी सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सके थे । दूसरा प्रतिनिधि मण्डल दक्षिण भारत के विद्युत् उपक्रमों के संघ का था । तीसरी पूर्वी भारत विद्युत् संभरण और ट्रेक्शन समवाय कलकत्ता का था । हमने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना । उन्होंने अपील की कि सरकार का अत्यधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिये । इसे हम भी स्वीकार करते हैं ।

इस विधान का उद्देश्य अधिनियम में संशोधन कर के राज्य सरकारों को अधिक नियंत्रण करने का अधिकार देना था ताकि उपभोक्ताओं को लाभ हो और साथ ही उपक्रमों को भी उचित आय होती रहे । हमने इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न किया है ।

चार बुराइयां दिखाई दीं जिन्हें दूर करना था । एक यह थी कि उपक्रम उपयुक्त आय के अतिरिक्त ऋणों और ऋण-पत्रों को कार्यकरण व्यय मान कर उन पर ब्याज ले रहे थे । यह दोहरी आय थी और उचित नहीं थी । ऋणों और अंश पूंजी में अन्तर किया जाना चाहिये था ।

संघ के प्रतिनिधियों ने यदि मुझे ठीक स्मरण है—यह स्वीकार किया था कि यह एक त्रुटि थी और इसे ठीक किया जाना चाहिये था ।

दूसरी बुराई यह थी कि उपक्रम और अनुज्ञप्तिधारी अवक्षयण आय में से इस उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में पूंजी लगाकर लाभांश के अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे थे । हमने इस बुराई को भी दूर करने का प्रयत्न किया है और मैं समझता हूं कि संसद् इसे स्वीकार करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

तीसरी जिस बुराई का पता लगा वह यह थी कि अनुज्ञप्तिधारी प्रबन्धकों, प्रबन्ध निदेशकों अथवा प्रबन्ध भागीदारों के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्ता भी नियुक्त कर रहे थे और राजस्व में से व्यय किया जा रहा था। हमने इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न किया है।

चौथी बुराई यह थी कि अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि, यातायात, और लाभांश नियंत्रण रक्षित निधि आदि के रूप में उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि पर भी आय प्राप्त कर रहे थे। हमने इसे दूर करने का प्रयत्न किया है।

इसके अतिरिक्त हमने उचित आय की राशि पर वास्तविक लाभ को ३० प्रतिशत से कम करके १५ प्रतिशत कर दिया है। उचित आय ५ प्रतिशत निश्चित की गई थी। अब इसे ५½ प्रतिशत कर दिया गया है। इस वृद्धि से अनुज्ञप्तिधारियों की मांग पूरी हो जायेगी।

श्री साधन गुप्त और एक और सदस्य ने विमति टिप्पणियां दी हैं और शिकायत की है कि हमने उद्योग के प्रति बहुत दयालुता दिखाई है। परन्तु अन्य उद्योगों से तुलना करने पर आप देखेंगे कि विद्युत् सम्भरण उद्योग द्वारा दिये गये लाभांश औसतन बहुत साधारण हैं। यद्यपि अधिनियम की योजना से उद्योग को पहले की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है परन्तु उन्हें वही मिल रहा है जो कि उनको मिलना चाहिये। हमने उद्योग तथा उपभोक्ताओं के परस्पर विरोधी दावों में उचित संतुलन किया है।

श्री तुलसी दास ने यह युक्ति दी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उद्योग का बहुत विस्तार किये जाने का कार्यक्रम रखा गया है। यह सच है और श्री चोक्सी ने कहा था कि वह आशा करते थे कि ७५ करोड़ से ८० करोड़ रुपये तक की पूंजी प्राप्त हो सकेगी। अधिकांश राशि जन साधारण द्वारा लगाई जानी थी, अतः वह चाहते थे कि उन्हें प्रलोभन देने के लिये लाभांश की दर अधिक होनी चाहिये। हमारा सुझाव यह था कि इस से उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ पड़ेगा। उन्हें अनुसूची ६ में कुछ रियायतें दी गई हैं अतः उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिये और सहयोग देना चाहिये।

हमने कुछ परिवर्तन सुधार की दृष्टि से किये थे। संघ और कलकत्ता के प्रतिनिधियों ने बताया था कि वित्तीय उपबन्धों में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जा रहे थे। अतः उन्हें अपने वित्तीय मामलों का समायोजन करने के लिये कुछ समय मिलना चाहिये था। हमने तदनुसार परिवर्तन कर दिया है कि इसको कुछ समय बाद लागू किया जायेगा और हमने सरकार को इसकी तिथि निश्चित करने का अधिकार दिया है।

राज्य विद्युत् परामर्शदात्री परिषद् के सम्बन्ध में हमने सिफारिश की है कि सामान्य उपभोक्ताओं को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाये। आशा है कि संसद् इसे स्वीकार करेगा।

बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के पूर्व परामर्श के बिना १० लाख रुपये तक की योजनायें तैयार किये जाने का विधेयक में उपबन्ध था। बंगाल बोर्ड के सभापति के लिखने पर हमने इस सीमा को बढ़ा कर १५ लाख रुपये कर दिया है और मूल अधिनियम की धारा २१ में ऐसा संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे कि वह ऐसी योजनाओं पर लागू न हो।

संघ और कलकता के समवाय ने इसके लिये बहुत आग्रह किया था कि बोर्ड को इतने अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये कि वह उपक्रम को मनचाहा निदेश दे सके। हो सकता है कि निदेश अनुचित और सख्त हों। उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसे अधिकार के दिये जाने का विरोध किया है। अतः हमने यह उपबन्ध किया कि निदेश उचित हों और बोर्ड और सम्बन्धित उपक्रम में मतभेद होने पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार के पास अपील की जाये।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

हमने दर निर्धारण समिति की रचना को सर्वथा बदल दिया है। दर निर्धारण समिति बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट की जानी थी। परन्तु विद्युत् उपक्रमों ने यह बताया कि यदि बोर्ड द्वारा कोई ग़लती किये जाने पर ही दर निर्धारण समिति नियुक्त की जाये और यदि उसमें बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बहुसंख्या हो तो यह अनुचित होगा। अतः आशा है कि हमने जो कुछ किया है वह सभा के सदस्यों को स्वीकार्य होगा। हमने कहा है कि दर निर्धारण समिति का सभापति कोई ज़िला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये। इससे कार्य समुचित रीति से होगा और शिकायतें दूर हो जायेंगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

श्री मुहीउद्दीन ने यह प्रश्न उठाया था कि दर निर्धारण समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये कोई समय सीमा होनी चाहिये थी। हमने उपबन्ध किया है कि समय सीमा तीन मास होनी चाहिए जिसे केवल तीन मास के लिये और बढ़ाया जा सके।

कुछ अन्य छोटी-मोटी बातें भी हैं, उदाहरणतः हमने उपबन्ध किया है कि कार्य संचालन और प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के पश्चात् आय-कर के भुगतान को प्राथमिकता दी जाये। कारण यह है कि हम चाहते हैं कि बोर्ड एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करे जो राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाये ताकि वह जान सके कि नीति का निदेशन अथवा नियंत्रण किस प्रकार हो रहा है और वह आलोचना करके उच्च प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर दिला सके।

हमने मध्यस्थता सम्बन्धी व्यय के सम्बन्ध में यह उपबन्ध रखा है कि वह व्यय भू-राजस्व की बक़ाया की भांति वसूल किया जाये क्योंकि प्रतिकूल निर्णय दिये जाने पर उपक्रम उक्त व्यय नहीं देते हैं।

समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को जारी किये गये निदेश राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जायं। परन्तु उसमें किसी की निन्दा हो सकती है और उसे विधान मण्डल के समक्ष रखना उपयुक्त नहीं होगा। अतः हमने सिफारिश की है कि जब तक ऐसा करना लोक-हित के प्रतिकूल न हो राज्य सरकार के निदेश बोर्ड के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाकर विधान मण्डल के समक्ष रखे जायें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इसके लिये आवश्यक निदेश जारी करेंगे।

खण्ड २७ में, जो पृष्ठ अनुसूची के सम्बन्ध में है, महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। अब कोई भी उपक्रम अनुसूची में उपबन्धित दरों में राज्य की पूर्व सहमति के बिना वृद्धि कर सकता है, परन्तु अन्त में यदि यह पता लगे कि उक्त वृद्धि अनुचित थी तो अगले मास के बिल में छूट दी जानी चाहिये। श्री चोक्सी ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह यही चाहते थे। उन्होंने कहा कि संसद् को प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहियें क्योंकि उससे देरी और कठिनाई पैदा हो जायेगी।

उचित आय के सम्बन्ध में यह परिवर्तन किया गया है कि उचित आय पर लाभ को ७·५ प्रतिशत से कम करक ५ प्रतिशत कर दिया गया है। समिति के विचारानुसार उचित आय को ३० प्रतिशत से घटा कर १५ प्रतिशत कर दिये जाने के फलस्वरूप लाभ की यह कमी उचित ही है।

कुछ मामलों के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई थी। पहले मैं विकास रक्षित निधि और लम्बित कराधान रक्षित निधि को लेता हूं। उपक्रम चाहते थे कि नई मशीनों और मशीनरी के लगाये जाने के कारण आयकर अधिनियम के अधीन उद्योग को जो रियायतें दी जाती थीं और जिन्हें बाद में वसूल किया जाता था वह उपभोक्ताओं को दरों में छट के रूप में नहीं दी जानी चाहियें वरन् उससे कराधान सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के लिये एक रक्षित निधि बनाई जानी चाहिये। परन्तु उपक्रमों ने इस पर अधिक आग्रह नहीं किया। अतः यह प्रश्न स्वयं हल हो गया।

माननीय मंत्री ने विकास निधि के रखने के लिये जो आधा प्रतिशत प्रभार की अनुमति दी है वह एक अच्छा उपबन्ध है । उपक्रम अधिक प्रतिशतता चाहते थे परन्तु यह प्रतिशतता उचित है अन्यथा उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा ।

बोनस के सम्बन्ध में श्री गुप्ता ने ज़ोरदार आग्रह किया कि कर्मकारों को दिये जाने वाले बोनस को व्यय समझा जाना चाहिये जब कि अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस को तब तक व्यय नहीं समझा जाना चाहिये जब तक कि राज्य सरकार उसका अनुसमर्थन न करें । ऐसा भेदभाव करना अनुचित है । संविधान के समता सम्बन्धी अनुच्छेद के अधीन ऐसा नहीं किया जा सकता है । हमने इस उपखण्ड को संशोधित करके यह उपबन्ध किया है कि बोनस सम्बन्धी विवाद के मामले किसी न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार के पास प्रचलित विधि के अनुसार भेजे जायें । अन्य मामलों में कर्मचारियों को दिया गया बोनस केवल व्यय समझा जायेगा । मेरी धारणा है कि ऐसा करना उचित है । हम श्रमिकों की सहायता के लिये सभी कुछ करना चाहते हैं परन्तु उसके साथ ही हम कोई भेदभाव भी नहीं करना चाहते हैं । दर निर्धारण समिति की रचना के सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा विशेष प्रगति की गई है । प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा निर्धारित करना एक नई बात है, और उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की गई है ।

बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना योजनायें तैयार करने की जो सीमा थी वह कम थी । इसलिये दस लाख रुपये की राशि को बढ़ा कर १५ लाख रुपये कर दिया गया है । इससे उद्योग की सन्तुष्टि हो जानी चाहिये । हमने इस आशय का भी उपबन्ध किया है कि समुचित आय पर होने वाले वास्तविक लाभ के आधिक्य को साढ़े सात प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत कर दिया जाये, अर्थात् यह पन्द्रह प्रतिशत के अर्द्धांश के स्थान पर पन्द्रह प्रतिशत का तृतीयांश हो । यह अधिनियम की भावना और उसके उपबन्धों के अनुरूप है ।

मेरा निवेदन है कि जो कुछ प्रवर समिति ने किया है वह ठीक ही है । मंत्री महोदय भी इस सम्बन्ध में सहायक रहे हैं, इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । हमने उद्योग की मागों को स्वीकार करने के लिये अधितकम प्रयत्न किया है । आशा है कि संसद् द्वारा संशोधित इस अधिनियम की सफल कार्यान्विति में उद्योग अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा । मुझे आशा है कि प्रवर समिति की सिफारिशों को सभा स्वीकार कर लेगी ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

†**श्री ग० ध० सोमानी** (नागौर पाली) : प्रवर समिति के सभापति तथा मंत्री महोदय द्वारा विधेयक के विभिन्न खण्डों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है । मुझे केवल एक दो बातें ही कहनी हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि देश की अर्थ व्यवस्था में विद्युत् सम्भरण उपक्रमों का विशेष स्थान है और क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध विद्युत् सम्भरण से है इसलिये इसका बहुत ही महत्व है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने तक देश में विद्युत् पैदा करने वाले संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट थी । इसमें से १७ लाख किलोवाट सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रमों में थी और ६ लाख किलोवाट उन निजी उपक्रमों में थी जो कि अपनी विद्युत् शक्ति स्वयं उत्पन्न करते थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में निजी क्षेत्रों के विद्युत् सम्भरण उपक्रमों द्वारा २,०००,००० किलोवाट की वृद्धि की गयी । इस प्रकार इस योजना काल में निजी क्षेत्र के विद्युत् विकास के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र का लक्ष्य ३००,००० किलोवाट

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री ग० ध० सोमानी]

है। योजना अवधि के अन्त तक यह संस्थापित क्षमता ४५ लाख किलोवाट हो जायेगी। और यह देश की विद्युत् सम्भरण सेवा में एक महत्वपूर्ण बात होगी।

मैं सरकार का ध्यान निजी विद्युत् उपक्रमों, उनके देश में स्थान और उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाने के लिये एक दो बातें कहना चाहता हूं।

विधेयक के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष तीन आधारभूत विचार हैं जो कि उद्योग के उचित विकास के लिये आवश्यक है। प्रथम यह कि इसका समुचित नियन्त्रण और नियमन करना आवश्यक है, और इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक का वास्तविक उद्देश्य उद्योग को प्रोत्साहन देना है तभी तो इच्छित सीमा तक इस उद्योग की सामर्थ्य क्षमता बढ़ सकती है। इसलिये मैं विधेयक में उपबन्धित उन बातों का उल्लेख करते हुए कहूंगा कि इन उपक्रमों के विनियोजकों को कुछ मिल सके इस विचार से खण्ड को कुछ उदार बना दिया जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सन् १९४८ में मूल अधिनियम के पारित होने के बाद से केवल आठ राज्यों में परिनियत विद्युत् बोर्डों की स्थापना की गई है। यह राज्य हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बम्बई। कई राज्यों को इन विद्युत् बोर्डों की स्थापना अभी करनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विधेयक के उपबन्धों का कुछ राज्यों द्वारा पालन क्यों नहीं किया गया है। शायद इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा प्रस्तावित कराधान समस्या ही रुकावट हो। परन्तु इसके लिये तो केन्द्रीय सरकार को कुछ आवश्यक सहायता की व्यवस्था करनी होगी। सभी राज्यों में विद्युत् बोर्डों की स्थापना परम आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अब मैं लम्बित कराधान रक्षित निधि के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा, जिसके सम्बन्ध में कल मंत्री महोदय ने कहा था कि विद्युत् उपक्रम संघ के कहने पर उसमें संशोधन किया गया है। उलझन इस कारण है कि इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम और विद्युत् संभरण अधिनियम के उपबन्ध परस्पर विरोधी हैं। बढ़ते हुए अवक्षयण के कारण प्रारम्भिक वर्षों में आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर सम्बन्धी अधिक सुविधा मिली है इससे उपक्रमों के कर सम्बन्धी दायित्व भी आगे के लिये लम्बित हो गये हैं। विद्युत् संभरण अधिनियम अवक्षयण सम्बन्धी व्यवस्था को बहुत सीमित कर देता है और उसी सीमा तक विद्युत् उपक्रमों के आयकर विकास सम्बन्धी लाभ और अवक्षयण दरें भी सीमित हो जाती है। इस अधिनियम में भारतीय आय कर अधिनियम की अपेक्षा अवक्षयण के लिये कम व्यवस्था है। अब जो कुछ किया गया है इससे संघ द्वारा की गयी मांगें पूरी नहीं होती है। इसलिये मंत्री महोदय से पुनः प्रार्थना की गयी है कि इस खण्ड को वापिस ले लिया जाये। मंत्री महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में विचार करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार सारे मामले का पुनः परीक्षण किया जायेगा ताकि विद्युत् उपक्रम भारतीय आयकर अधिनियम का कुछ लाभ उठा सकें जैसा कि दूसरे कुछ उद्योगों ने उठाया है।

इसलिये अभी तो इस संशोधित खण्ड को छोड़ दिया जाना चाहिये ताकि पूर्व स्थिति कायम रहे। और फिर कभी इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाये ताकि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विकास और अवक्षयण दरों सम्बन्धी उपबन्धों का लाभ उठाया जा सके।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे उद्योग और विनियोजकों को भी उचित लाभ प्राप्त होना चाहिये। प्रवर समिति ने बैंक दर पर केवल २ प्रतिशत लाभ को स्वीकार किया है। परन्तु पूंजी की वर्तमान स्थिति के अनुसार किसी उद्योग को ५·२ प्रतिशत लाभ तक समिति रखना कठिन ही है। परन्तु विधेयक में यही व्यवस्था है। इस देश में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी की स्थिति को देखते हुए भी यह ५½ प्रतिशत की दर काफी नहीं है। निजी विद्युत् उपक्रमों को तो अभी अपने विकास साधनों

में वृद्धि भी करनी है। इसलिये आवश्यक है कि आज की स्थिति के अनुसार उन्हें पूंजी आकृष्ट करने की अनुमति हो ।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह इस उपबन्ध को कुछ उदार करें ताकि देश के आर्थिक विकास के लिये परमावश्यक यह उद्योग अपने वैध आर्थिक संसाधनों से वंचित न रह जाय। इस विचार से मैं इस बात पर आग्रह करूंगा कि इस ५½ प्रतिशत की दर में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि उद्योग की वैध आवश्यकतायें पूरी हो सकें। आशा है कि मंत्री महोदय मेरी बातों पर ध्यान देंगे।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व): यह विधेयक प्रविधिक प्रकार का है इसलिये सामान्य व्यक्ति के लिये इस के महत्व को समझना कठिन है। परन्तु देश और देशवासियों के लिये यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस उद्योग का इससे सम्बन्ध है उसका देश की अर्थ व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, और उसके लिये विद्युत् शक्ति आवश्यक है। कोयले से भी काम चलता है, परन्तु काफ़ी सीमा तक मांग विद्युत् शक्ति से ही पूरी हो सकती है। इसलिये विद्युत् उत्पादन संसाधनों का विकास एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक ऐसे देश में जहां औद्योगिक विकास तथा आर्थिक योजना को लक्ष्य बनाया गया है वहां विद्युत् शक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस विचार से और विशेषकर विद्युत् उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से हमें यह देखना है कि इस विधेयक का विद्युत् उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

उपभोक्ताओं की बात मैंने इसलिये कही है, क्योंकि हम यह निश्चय कर चुके हैं कि विद्युत् उद्योग निजी हाथों में नहीं रहेगा। यह हमारी औद्योगिक नीति है जिसे सदन के प्रायः सभी पक्षों ने स्वीकार किया है। इसलिये हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना है। क्योंकि कुछ निजी उपक्रम भी इस क्षेत्र में हैं और रहेंगे। इस कारण कुछ सीमा तक उन्हें भी आश्रय दिया जा सकता है। परन्तु देश की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए हमारे समक्ष यह बात स्पष्ट रूप से रहनी चाहिये कि निजी क्षेत्र तो समाप्त होने वाले ही हैं। इसलिये उपभोक्ताओं के हितों का ही प्रश्न रहता है। साथ ही कर्मचारियों के हित भी हैं, जिन की अभी तक तो उपेक्षा ही की गयी हैं। यही दो बड़े हित हैं। निजी क्षेत्रों का तो इतना ही ध्यान रखा जाना चाहिये ताकि धीरे-धीरे बिना किसी गड़बड़ी के यह उद्योग निजी हाथों से निकल सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाय ।

मैंने अपनी विमति टिप्पणी में भी विधेयक के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाया है। मैंने उपभोक्ताओं कर्मचारियों और विशेषतः श्रमिकों के हितों पर ही जोर दिया है। इस दृष्टिकोण से विधेयक में कुछ अच्छी बातें भी हैं। उदाहरणतः दर निर्धारण समिति के स्वतंत्र सभापति की व्यवस्था है। यह सभी के लिये अच्छा है। इससे कई हितों के प्रभाव से छुटकारा मिल जायेगा, और परिवर्तित अवस्था में बोर्ड भी पूंजीपतियों के प्रभाव से अछूता रहेगा। परन्तु बोर्ड उपभोक्ताओं के हितों का समुचित ध्यान नहीं रख सकेगा। यह एक अच्छा उपबन्ध है कि दर निर्धारण समिति का सभापति कोई न्यायिक अधिकारी होना चाहिये। और इस समिति में बोर्ड का अत्यधिक प्रभाव नहीं होना चाहिये। समिति के सभापति के किसी न्यायिक अधिकारी के होने से, जो कि उच्च-न्यायालय का न्यायाधीश होगा अथवा उसके योग्य होगा, स्थिति में एक सुधार किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विधेयक में वार्षिक रिपोर्ट के तैयार किये जाने की व्यवस्था है। इसमें रिपोर्ट के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की भी व्यवस्था है। यह एक अच्छी बात है। इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों का मत यह था कि निदेश भी विधान मण्डल के समक्ष रखे जायें क्योंकि यह निदेश नीति सम्बन्धी मामलों में दिये जाने हैं, और नीति के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने के लिये विधान

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री साधन गुप्त]

मण्डल ही उपयुक्त निकाय है। यह ठीक है कि कुछ निदेश गोपनीय होते हैं और उन्हें विधान मण्डल के सभा पटल पर रखना हानिकारक सिद्ध हो सकता है ।

आशा है कि भविष्य में राज्य विद्युत् बोर्ड इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां तक सम्भव हो राज्य-सरकारों के निदेशों को वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जाये, ताकि राज्य विधान मण्डल इस बात पर चर्चा कर सके कि निदेश ठीक ढंग से दिये गये थे अथवा नहीं और उनसे विद्युत् उद्योग के विकास को लाभ पहुंचता था अथवा नहीं। हमने अन्य संशोधन भी किये हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि एक समय में एक से अधिक बार दरों में कमी बेशी नहीं की जा सकती थी । परन्तु हमने उपबन्ध किया है कि यह कमी बेशी कई बार की जा सकती हैं, परन्तु बेशी वर्ष में केवल एक ही बार की जा सकती हैं।

परन्तु कई मामलों में हम असफल भी रहे हैं। राज्य विद्युत् बोर्ड के गठन का ही मामला है। इसमें उपभोक्ताओं या कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। बोर्ड का काम राज्यों में विद्युत् का समन्वित विकास करना है। यह धारा १८ में उपबन्धित है। उपभोक्ता का सम्बन्ध दरों इत्यादि से सम्बन्धित सभी मामलों से होता है। इसमें उपभोक्ताओं को बहुत अभिरुचि होगी। अतः मैं अनुभव करता हूं कि बोर्ड में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व के लिये कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिये। तो भी उन्हें इससे संतोष है कि परामर्शदात्री परिषदों में उनका प्रतिनिधित्व है। परन्तु विद्युत् उद्योगों के कर्मचारियों को कहीं भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। कर्मचारियों के महत्व के बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरणतः बोर्ड यह निर्णय कर सकता है कि उद्योग की उन्नति के लिये स्वतः चालित मशीनें अधिक लगाई जायें। उस समय प्रश्न उठेगा कि कर्मचारियों का क्या हो ? क्या उन्हें निकाल दिया जाये, और यदि हां, तो उन्हें क्या प्रतिकर दिया जाये, और उन्हें किस प्रकार का वैकल्पिक रोज़गार दिया जाये ? उन्हें इस विषय में मत देने का अधिकार होना चाहिये। प्रयत्न करने पर भी हम समिति से यह स्वीकार नहीं करा सके हैं मेरे विचार से यह कर्मचारियों के प्रति बहुत अन्याय है ।

कर्मचारियों को सम्मिलित करने से विद्युत उद्योग के विकास को भी लाभ पहुंचेगा। क्योंकि उनका व्यावहारिक अनुभव उद्योग के लिये हितकर होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में उनके सुझावों से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है परन्तु जिस समाजवादी समाज की स्थापना हमारा ध्येय है उसमें हम उन से घृणा नहीं कर सकते हैं। कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बोर्ड में होने से हमें उनके सुझाव प्राप्त हो सकते हैं।

दूसरा प्रश्न बोनस का है जिसपर श्री नि० चं० चटर्जी ने अपना मत व्यक्त किया है। यह प्रश्न कैसे पैदा हुआ इस बारे में मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा। बिजली उद्योग में भारी लाभ होने के कारण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या कर्मकारों को इन लाभों में से इनका एक अंश मिलना चाहिये या नहीं। १९४८ में विद्युत् सम्भरण अधिनियम स्वीकृत होने के बाद बम्बई के एक वाद में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या कामगार यथोचित लाभ में से बोनस का दावा कर सकते हैं क्योंकि औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने यह कहा है कि केवल लाभ के बाद ही बोनस का प्रश्न उत्पन्न होता है। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में कहा था कि यथोचित लाभ में से बोनस का दावा नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से श्रमजीवी वर्गों में बहुत असन्तोष फैल गया था। निःसन्देह बाद में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक और निर्णय द्वारा संशोधन करते हुए यह स्वीकार किया था कि बोनस ख़र्च भी एक ऐसी मद है जिसकी अनुमति दी जा सकती है। बोनस को पूर्णतः अविनियमित छोड़ देने के सम्बन्ध में एक कठिनाई थी। लाभों के विनियमन के लिये विस्तृत उपबन्ध हैं जिनमें बताया गया है कि अवक्षयण रक्षित निधि आदि के लिये कितनी राशि पृथक रखी जा सकती है। उपबन्ध यह है कि लाभ यथोचित लाभ में से अधिक नहीं होना चाहिये। अब यदि हम बिना किसी अग्रेतर पाबन्दी के बोनस को ख़र्च ी एक

अनुमति दिये जाने योग्य मद मान लें तो परिणाम यह होगा कि जो विद्युत् समवाय अत्यधिक लाभ कमाने की स्थिति में हैं, वे जिन्हें हम बेनामदार कहते हैं, उन्हें पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त कर लेंगे और बोनस के रूप में उन्हें रुपया दे देंगे और इस प्रकार लाभों की समस्त उच्चतम सीमा एक धोखा मात्र होगी।

इसलिये बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विनियमन आवश्यक है। मैं अपनी विमति टिप्पणी में कह चुका हूं कि कर्मकारों को बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विनियमन नहीं होना चाहिये। ऐसा केवल बड़े-बड़े वेतन पाने वाले पदाधिकारियों के लिये ही किया जाना चाहिये। १९४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम में, जिस रूप में उसे संशोधित किया गया है, कर्मकारों में केवल पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग, लिपिक कर्मचारीवर्ग तथा अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग के ही कर्मचारी शामिल हैं। अन्य कर्मचारी कर्मकार न होंगे। प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों में विभेद करना उचित है ?

अब देखना यह है कि बोनस की अदायगी का आधार क्या है ? आप जानते हैं कि बोनस दी गई वास्तविक मजूरी और निर्वाह मजूरी के बीच अन्तर की आंशिक संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात् कर्मकारों को जो मजूरी दी जाती है वह निर्वाह मजूरी के स्तर से कम है।

निःसन्देह इस अन्तर को दूर किये जाने के बाद भी लाभ में अंश रखने के सिद्धान्त पर बोनस तब भी दिया जा सकेगा। विधि न्यायालयों द्वारा यह निर्णय किया जा रहा है कि बोनस लाभों में से निकलता है और निर्वाह मजूरी से कमी को दूर करने के लिये आंशिक संतुष्टि के रूप में दिया जाता है। इस आधार पर क्या उन व्यक्तियों में जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'कर्मकार' कहा गया है और अन्य कर्मचारियों के बीच विभेद करना उचित नहीं है ? इसमें अनुचित बात क्या है ? इसलिये मैं इस विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध किये जाने का अनुरोध करता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन की पूर्व सूचना भी दी है।

अब मैं लाभों के विनियमन के सम्बन्ध में मूल प्रश्न की चर्चा करता हूं। गैर-सरकारी उद्यम उचित लाभ उठाने के हकदार हैं। प्रश्न यह है कि इस विधेयक द्वारा जिन लाभों की अनुमति दी गई है क्या वे सभी मामलों में युक्तियुक्त हैं। श्री चटर्जी ने बताया है कि औसत से प्रदत्त पूंजी का लगभग ६·६ प्रतिशत लाभ होता है। इस औसत में भी उच्च लाभ वाले तथा कम लाभ वाले कई उपक्रम हो सकते हैं। इसलिये यह औसत स्वीकार नहीं की जा सकती। परन्तु इस औसत को भी लिया जाये तो भी आप देखेंगे कि प्रदत्त पूंजी का ६ प्रतिशत भाग आयकर से मुक्त है जो वस्तुतः लगभग ९·९ प्रतिशत और आयकर के जोड़ के बराबर होगा। इसलिये लाभों के विनियमन से सम्बन्धित इन उपबन्धों का सम्बन्ध कम आय वाले उपक्रमों से नहीं बल्कि बड़ी कमाई वाले उपक्रमों से होना चाहिये। हमें उन व्यापार संस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिये जो लाभ कमाने के लिये उपभोक्ता का शोषण करती हैं।

उदाहरण के लिये बड़े नगरों में विद्युत् सम्बन्धी ऐसी व्यापार संस्थायें हैं जो निश्चित रूप से औसत नहीं हैं जैसे कि कलकत्ता में एक विदेशी समवाय है और उसकी पूंजी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना है। नये सूत्र के अधीन इस विधेयक के पारित होने के बाद यह समवाय अपनी मूल पूंजी पर ५½ प्रतिशत राशि पर आयकर देने से मुक्त होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी प्रदत्त पूंजी की तुलना में उसे अपनी प्रदत्त पूंजी की लगभग २५ प्रतिशत लाभ होगा ?

श्री सोमानी ने कहा है कि पांच प्रतिशत बहुत ही कम है परन्तु वह इस बात को भूल गये हैं कि पांच प्रतिशत या साढ़े पांच प्रतिशत प्रदत्त पूंजी पर लाभ नहीं है। यह मूल पूंजी पर लाभ है जो प्रदत्त पूंजी से कहीं अधिक होगी। इसलिये मैं लाभों के विनियमन की योजना में परिवर्तन या संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। हम मूल पूंजी को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं प्रदत्त पूंजी तथा मूल पूंजी दोनों

[श्री साधन गुप्त]

के ही विनियमनों के सम्बन्ध में एक सामासिक योजना का सुझाव दे रहा था। मैं अपने संशोधनों पर बोलते समय इस योजना की विस्तृत चर्चा करूंगा परन्तु मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उपभोक्ताओं के हित में इस सूत्र को स्वीकार करें।

मैं सभा से अपील करता हूं कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जाये, कर्मचारियों के हितों पर विचार किया जाये और एक लोकतन्त्रवादी दृष्टिकोण अपनाया जाये। यह खेद की बात है कि हम कर्मचारीवर्ग के हितों को भूलते जा रहे हैं। कर्मकारों को समुचित संस्थाओं में प्रतिनिधान का उचित अंश प्राप्त होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हित में प्रदत्त पूंजी के सम्बन्ध में भी लाभों का विनियमन किया जाना चाहिये।

†**श्री तुलसी दास** (मेहसाना––पश्चिम) : मैंने अपनी विमति टिप्पणी में इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचारों का उल्लेख किया है। परन्तु माननीय मंत्री ने प्रवर समिति में मेरे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया।

यह उद्योग वस्तुतः अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का विकास और प्रगति रेलवे, परिवहन, कोयला, विद्युत् जैसे मुख्य उद्योगों पर निर्भर करता है। इसी दृष्टिकोण से हमें विद्युत् उद्योग के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

मैं यह अनुभव करता हूं कि यथोचित लाभ की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस विधेयक में एक तदर्थ उपाय स्वीकार किया गया है परन्तु वह भी संतोषजनक नहीं है।

यदि हम कृषि, सिंचाई और विद्युत्, उद्योग परिवहन आदि क्षेत्रों में अपनी प्रगति की अन्य देशों से तुलना करें, या विद्युत् क्षेत्र में अपनी प्रगति तथा विद्युत् उपभोग को देखें तो हमें निराशा होगी। हमारी वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत केवल १७·८ किलोवाट है। इसलिये हमें अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में अभी बहुत प्रगति करनी है।

विद्युत् उद्योग का आर्थिक प्रगति के लिये अत्यन्त महत्व है। मेरे मित्र श्री सोमानी बता चुके हैं कि विद्युत् उपक्रमों ने ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में क्या कार्य किया है। ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध कहना आजकल एक रिवाज सा बन गया है।

हमारे आर्थिक विकास में विद्युत् उत्पादन के महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि द्वितीय योजना में इसके लिये ४२७ करोड़ रुपये में से २६० करोड़ रुपये रखे गये हैं।

मेरा अपना इस उद्योग में कोई निजी हित नहीं है, परन्तु इस विशिष्ट उद्योग में इस सभा के प्रत्येक व्यक्ति की अभिरुचि है। इन उद्योगों की प्रगति की रफ्तार को कम नहीं होने देना चाहिये।

इस विधेयक के सम्बन्ध में हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये। पहिली बात इस उद्योग के नियन्त्रण तथा विनियमन के लिये अपनाये जाने वाला ढंग है। दूसरी बात दरों के निर्धारण के लिये योजना तथा सूत्र भी है ताकि कम खर्च पर बिजली पैदा की जा सके और इस उद्योग में पूंजी लगाने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके। तीसरी बात विद्युत् बोर्डों द्वारा विद्युत् उपक्रमों के नियन्त्रण तथा विनियमन सम्बन्धी कार्यव्यवस्था की है।

पहिली बात के सम्बन्ध में मैं अपनी विमति टिप्पणी में कह चुका हूं कि जनोपयोगी उद्योग होने के कारण इसका उचित विनियमन तथा नियन्त्रण होना चाहिये। परन्तु यह नियन्त्रण ऐसा होना चाहिये कि इससे उद्योग की स्वतंत्रता नष्ट न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यद्यपि प्रवर समिति में इस बात का ध्यान रखा गया था तथापि मैं यह अनुभव करता हूं कि कई एक विचारणीय बातों के कारण यह आवश्यक है कि विद्युत् को नियंत्रित किया जाना चाहिये और सरकार को अधिकार दिये जाने चाहियें ।

मुझे आशा है कि दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने मेरी विमति टिप्पणी को पढ़ा होगा । इस देश में विधान द्वारा दरों का विनियमन करने की आवश्यकता है क्योंकि दरम्याने तथा छोटे पैमाने के कई एक उपक्रम हैं । दर निर्धारण की मूल अपेक्षा इस बात की गारंटी करता है कि उद्योग में पूंजी लगाने वाले को उचित लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

हमने बैंक दर से २ प्रतिशत अधिक दर के प्रश्न पर विचार किया है । परन्तु बैंक दर वस्तुतः इस देश में ऐसी कसौटी नहीं है जिस पर कि लोग पूंजी लगाते हैं । आप जानते हैं कि आजकल बैंक की दर २½ प्रतिशत है और किसी औद्योगिक उपक्रम के विरुद्ध भी ५ या ५½ प्रतिशत से कम दर पर ऋण नहीं मिलता है ।

मेरे माननीय मित्र श्री साधन गुप्त ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यह चाहता है कि सभी कुछ राज्य द्वारा ही किया जाना चाहिये । मैं उनकी योजना से सहमत नहीं हूं ।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी लगाने वाले को अपनी पूंजी पर उचित लाभ मिलना चाहिये । नहीं तो लोगों से उसे धन नहीं मिल सकेगा ।

बोनस शेयर के बारे में मैं श्री साधन गुप्त को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जब तक यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न हो, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति तीन मास के वेतन से अधिक बोनस नहीं पा सकता ।

†**डा० कृष्ण स्वामी** (कांचीपुरम) : परन्तु वे तो इसमें संशोधन करना चाहते हैं ।

†**श्री तुलसी दास** : वे विभेद करना चाहते हैं ।

मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि लगभग सभी समवायों के लगभग सभी अंश बट्टे पर हैं । यदि उसे अपनी लगाई हुई पूंजी पर उचित प्रत्याय की आशा न होगी तो वह आवश्यक पूंजी नहीं लगायेगा ।

यह भी कहा गया है कि ५ या ५½ प्रतिशत पर कर नहीं लगेगा और यह ५ या ५½ प्रतिशत ८ या ८½ प्रतिशत पर कर योग्य राशि के बराबर होंगे । मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार विमति टिप्पणी में प्रकट कर चुका हूं । इस देश में आय कर अधिनियम तथा अन्य धन सम्बन्धी अधिनियम विभिन्न रूप से कृत्यकारी हैं । वर्तमान प्रक्रम में जबकि किसी उद्योग को तेज़ी से विकास करना है तब आय कर अधिनियम के अधीन उन्हें बढ़ते हुए अवक्षयण के रूप में कुछ छूट दी जाती है । यदि आय कर आंकने से पहले अवक्षयण की इस राशि को लाभ में से निकाल लिया जाय तो प्रारम्भिक काल में लाभ की राशि बहुत कम हो जाती है । यही कारण है कि विकास रक्षित निधि के लिये भी उपबन्ध किया गया है । परन्तु पूंजी लगाने वाले को जब ५ या ५½ प्रतिशत प्रत्याय होती है तो वह कर से मुक्त नहीं होती । उसे कर देना होता है क्योंकि किसी विशिष्ट वर्ष में समवाय ने कोई कर नहीं दिया था । इसलिये लाभांश कर मुक्त नहीं है । इस सीमा तक ५ या ५½ प्रतिशत में उसकी अभिरुचि नहीं है ।

जब तक उसे कर से छूट का अवसर नहीं मिलता वह इस उद्योग में और पूंजी नहीं लगा सकेगा । यदि इस उद्योग को विकास करना है तो इस उपबन्ध को, जिस रूप में अब वह है, उसी रूप में रहना होगा । मेरे विचार में दस वर्षों के लिये यह उपबन्ध इसी प्रकार से रहना चाहिये । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री तुलसी दास]

मैं उपभोक्ताओं पर प्रभाव की बात नहीं भूल रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गैर सरकारी व्यापार संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले उपक्रमों की तुलना में सरकारी विद्युत् उपक्रमों द्वारा क्या दर लिये जाते हैं। आप देखेंगे कि गैर-सरकारी समवायों के दर बहुत ही कम हैं।

जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं कि यदि दर को ५½ से बढ़ा कर ६ प्रतिशत तक कर से मुक्त किया गया तो जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है इसका बहुत कम अन्तर होगा, वह केवल प्रति यूनिट एक पाई या डेढ़ पाई ही होगा। परन्तु आप देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा कई एक कर लगाये जा रहे हैं जो दाम में दो या तीन पाई तक की वृद्धि करते हैं। परन्तु इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर तभी विचार किया जाता है जब पूंजी लगाने वाले को उचित लाभ देने का प्रश्न उत्पन्न होता है और राज्य द्वारा जब कर लगाये जाते हैं तब कभी इस बात पर विचार नहीं किया जाता है। करारोपण के समय उपभोक्ता की बिल्कुल उपेक्षा कर दी जाती है।

सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि विनियोजकों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दिया जाये कि वे इस उद्योग में अधिक से अधिक धन विनियोग करें। परन्तु विनियोजक इसमें तब तक अधिक धन नहीं लगा सकते, जब तक कि इस उद्योग को भी अन्य उद्योगों के समान आधारों ही पर आधारित न किया जायेगा।

जहां तक लाभांश के प्रश्न का सम्बन्ध है, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को तीन मास के वेतन से अधिक धन लाभांश के रूप में नहीं मिल सकता।

†**डा० कृष्णस्वामी** (कांचीपुरम) : परन्तु श्री साधन गुप्त इसी नियम को तो संशोधित करना चाहते हैं।

†**श्री तुलसी दास** : परन्तु 'कर्मकार' की परिभाषा ऐसी है कि उसके अन्तर्गत मज़दूर भी आ जाता है और एक मैनेजर भी आ जाता है। अतः आप एक श्रमिक और एक मैनेजर में भेद नहीं कर सकते। प्रवर समिति ने भी इस पर विचार किया है और अन्त में यही अनुभव किया है कि इनमें भेद करना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में यदि कभी विवाद खड़ा हो भी तो वह उचित व्यवस्था के द्वारा निपटाया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आशंका की आवश्यकता नहीं है।

अतः मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे इन पहलुओं पर विचार करें तथा जिस दृष्टिकोण का मैंने सुझाव दिया है, उसे ध्यान में रखें। और ऐसा उपाय करें जिससे विनियोजक इस उद्योग में अधिक से अधिक धन विनियोग करें ताकि इस उद्योग का सम्यक् विस्तार हो सके।

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : विद्युत् सम्भरण अधिनियम एक अद्वितीय अधिनियम है क्योंकि इसमें विद्युत् उद्योग सम्बन्धी समस्त बातों का विस्तारपूर्वक विवेचन है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह अधिनियम सारे देश में लागू नहीं है। यह केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में ही लागू है, सरकारी क्षेत्र में पूर्णरूपेण लागू नहीं हुआ है। बहुत से राज्यों में विद्युत् बोर्ड हैं ही नहीं। प्रसिद्ध राज्यों में से केवल बम्बई और पश्चिमी बंगाल में ही बोर्ड नियुक्त किये गये हैं।

हमें ज्ञात हुआ है कि विधेयक के कुछ एक संशोधनों में यह मांग की गयी है कि राज्य सरकारों से यह कहा जाये कि वे अपने-अपने राज्य में विद्युत् बोर्ड स्थापित करें। परन्तु पिछले दिनों समाचारपत्रों में यह समाचार आया था कि कुछ एक राज्यों के मुख्य मंत्री यह नहीं चाहते कि वहां पर विद्युत् बोर्ड स्थापित किये जायें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन राज्य सरकारों को भी बोर्ड स्थापित करने के लिये मना लेंगे और इस अधिनियम को सारे देश में लागू कर देंगे। इस अधिनियम को बने हुए आठ

†मूल अंग्रेजी में।

बरस हो गये हैं, परन्तु विद्युत् बोर्ड बहुत कम राज्यों में स्थापित हुए हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही सभी राज्यों में बोर्ड स्थापित हो जायेंगे।

श्री साधन गुप्त ने आज भी और अपने विमति टिप्पण में भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि प्रस्थापित नये उपखण्ड (१२) में परिवर्तन करके स्वामियों को इस बात की स्वतन्त्रता दे दी जाये कि वे जैसा चाहें अपने कर्मचारियों को लाभांश दे सकें। वे सम्भवतः इस संशोधन को श्रमिकों के लिये हितकारी समझते हैं। वे समझते हैं कि इससे श्रमकों को अधिक लाभांश मिल सकेगा। परन्तु वास्तव में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस सम्बन्ध में प्रवर समिति ने यह व्यवस्था की है कि यदि किसी लाभांश के सम्बन्ध में किसी न्यायाधिकरण का निर्णय हो तब तो राज्य सरकार से स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि लाभांश के सम्बन्ध में श्रमिकों और स्वामियों का कोई अपना ही करार हो जाये तो उस बारे में राज्य सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे खर्च बढ़ जाता है। अतः मैं श्री साधन गुप्त के सुझाव से सहमत नहीं हूं, और आशा है कि सरकार भी उससे सहमत न होगी।

श्री तुलसी दास तथा श्री सोमानी ने यह मांग की है कि उपयुक्त आय के ५½ प्रतिशत की दर को बढ़ा दिया जाये। परन्तु मेरे विचार में उसे और अधिक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर श्री तुलसी दास ने यह कहा है कि लाभांशों पर यदि समवाय आय-कर न देगा तो वह कर लाभांश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को देना पड़ेगा। परन्तु अधिनियम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे हमें इस बात की आशंका हो।

प्रवर समिति ने बहुत सी त्रुटियों को तो दूर कर दिया है, परन्तु फिर भी मैं सरकार का ध्यान एक दो बातों की ओर लगाना चाहता हूं। प्रथम तो यह है कि हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि क्योंकि विद्युत्-उद्योग पर एकाधिकार है, इसलिये उसके लाभ पर एक नियंत्रण रखा जाये, और उसे नियमित किया जाये। दूसरी बात यह है कि उपभोक्ताओं के हितों का पूरा-पूरा ख्याल रखा जाये, बिजली के दर उचित होने चाहियें तथा उससे अधिक नहीं।

पांचवी, छठी और सातवीं अनुसूची में अब बहुत से परिवर्तन हो गये हैं, परन्तु फिर भी मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिजली का खर्च घटाने के लिये यह निर्धारित किया गया है कि अवमूल्यन किसी विशेष दर से किसी विशेष अवधि तक के लिये गिना जाये।

अनुसूची के एक खण्ड में यह निर्धारित किया गया है कि कुछ राशि अवमूल्यन के लिये रख दी जायेगी और ४ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित संचित की जाती रहेगी जब तक कि वह आस्तियों के वास्तविक मूल्य के ९० प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाती। ९० प्रतिशत की सीमा के बाद कुछ भी अवमूल्यन राशि संचित न की जायेगी। बाद वाले सिद्धान्त से मैं सहमत नहीं क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि वे समवाय जिन्होंने विश्व युद्ध से १५ या २० वर्ष पूर्व अपनी मशीनें खरीदी थीं, यदि अब वे नयी मशीनें खरीदना चाहेंगे तो उन्हें दुगने से भी अधिक राशि देनी पड़ेगी, और उसके लिये उन्हें जनता से धन ऋण के रूप में मांगना पड़ेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वे सिद्धान्त, जिन पर अवमूल्यन राशि निर्धारित की जाये, ऐसे हों जिनका अनुसरण करने से समवाय इतनी धन राशि बचा सके कि उससे यदि वे चाहें तो, अपनी मशीनों को बदलने के लिये नये संयंत्र भी खरीद सकें। इसके लिये यह आवश्यक है कि 'निर्धारित अवधि' के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाये। मुझे आशा है कि मंत्रालय इस अनुसूची पर फिर से विचार करेगा।

यह विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति से प्राप्त हुआ है, अत्यन्त सुधरे हुए और उत्तम रूप में है। मुझे आशा है कि सभा प्रवर समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, मैं दूसरे मेम्बरान के साथ सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को हाउस की तरफ़ से शुक्रिया अदा करने में शामिल होता हूं। सिलेक्ट कमेटी ने बड़ी मेहनत और जां फिशांनी से इस बिल को देखा और इसके अन्दर बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स की हैं।

दर असल यह इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्डमेंट है कि जो निहायत ही अहम (महत्त्वपूर्ण) है और जिसकी तरफ जितनी तवज्जह दी जाये थोड़ी है। आमतौर पर जब किसी देश की सिविलाइजेशन (सभ्यता) का मयार लिया जाता है उस वक्त वहां का हर एक आदमी कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है यह मयार दुनिया में माना जाता है। अगर दुनिया के इस मयार से हम अपने आपको देखें तो हम दुनिया के बहुत से मुल्कों के मुकाबले में निहायत ही पस्त (पिछड़े हुए) हैं। इस वास्ते जिस कदर जल्द मुमकिन हो और जिस कदर ज्यादा से ज्यादा रकम हम खर्च कर सकें हमें इलेक्ट्रिसिटी के वास्ते खर्च करनी चाहिये।

इस गरज़ के वास्ते कुछ अर्सा हुआ १९४८ में एक ऐक्ट (अधिनियम) इस हाउस ने पास किया था जिसमें बोर्ड बनाने की और दूसरी तजवीज़ थीं लेकिन बहुत थोड़े प्राविन्सेज़ (प्रान्तों) में यह बोर्ड्स बने हैं और अभी तक नहीं मालूम कितना अर्सा और लगेगा जब यह बोर्ड्स अपनी ठीक शक्ल अखत्यार करेंगे।

प्राइवेट कम्पनीज़ को जहां लाइसेंस मिलता है वहां पर आमतौर पर देखा जाता है कि प्राइवेट कम्पनीज़ के जो अख़राजात हैं वे शायद अब भी गवर्नमेंट के अख़राजात से कम होते हैं। गवर्नमेंट की कितनी कम्पनीज़ मौजूद हैं जिनके कि अन्दर ख़ुद गवर्नमेंट ऐसा इन्तज़ाम नहीं कर सकी है कि कनज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) से कम से कम रक़म वसूल की जाय तो भी यह कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो बड़ी-बड़ी कंसर्नस् हैं जैसे रिवर वैलीज़ के, उनके रेट्स प्राइवेट कम्पनीज़ के जो लाइसेंस हैं उनसे कम हैं और मैं इस मौक़े पर श्री नन्दा को मुबारक़बाद पेश करता हूं कि उन्होंने जो वायदा किया था कि वे उन रेट्स को जो पंजाब के अंदर कई कम्पनीज दे रही थीं और जहां अभी तक भाखरा डैम की बिजली नहीं पहुंची थी, अब भाखरा डैम की इलैक्ट्रिसिटी उन छोटी-छोटी जगहों में भी पहुंच गई है और हमारे यहां (यानी ज़िले हिसार) के रेट्स भी पहले के मुक़ाबले में कम हो गये हैं।

इस बिल की कई एक दफ़ाओं के प्राविजंस् (उपबन्ध) ऐसे हैं जो निहायत ही माकूल हैं और जिनसे कि मौजूदा हालात में तरक्क़ी होने का इमक़ान (आशा) है।

मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि प्रीपैरेशन स्कीम में दस साल के बजाय पन्द्रह साल की जो रक़म तजवीज़ की गई है वह स्टैप इन दी राइट डाइरैक्शन (उचित दिशा में कार्यवाही) है। इसी तरीक़े से जहां तक सैक्शन (धारा) ७५ का ताल्लुक़ है, यह एक बहुत ही संतोषजनक बात है कि आयन्दा जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के अन्दर आयन्दा कार्यवाही करने का बोर्ड जो इरादा रखेगा उसके मुताल्लिक़ भी उस रिपोर्ट में हवाला दिया जायगा और जहां तक हो सकेगा उन पालिसीज़ का भी जो पालिसीज़ कि स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड के वास्ते रखेंगीं। और जो दीगर (अन्य) पालिसीज़ होंगी उनका भी जिक्र होगा जिसके कि माने मैं यह समझता हूं कि लेजिस्लेचर्स (विधान मण्डलों) को यह अख़त्यार होगा कि वह इनकी चर्चा करें और उनको ठीक करें। लेजिस्लेचर्स के सामने सारी चीज़ आयगी और उन तमाम पालिसीज़ में अगर कोई इस क़िस्म की चीज़ नज़र आयेगी जो पबलिक इंटरैस्ट (जनहित) के ख़िलाफ़ हुई तो लेजिस्लेचर को अख़त्यार होगा कि उन पर ग़ौर करे और आयन्दा जैसी पालिसी होनी चाहिये उसके मुताल्लिक़ डाइरैक्शन (निदेशन) दे सके।

मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह क्लाज़ (खण्ड) १४ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। उसकी रू से दफ़ा ५७ और उसके शेड्यूल (अनुसूची) के अन्दर जो अख़त्यारात लाइसैंसिंग कम्पनीज़ को दिये गये थे कि वे जहां तक उनके रीज़नेबुल (उचित) रिटर्न्स का सवाल है, वे अपनी क़िस्मत के खुद मालिक हैं और जैसा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर लैटर में कहा कि यह लाइसैंसिंग कम्पनीज़ के वास्ते एक क़िस्म का चारटर था कि जहां कहीं किसी सूरत में उनको रीज़नेबुल रिटर्न्स मिलने में दिक्क़त हो तो उनको यह अख़त्यार था कि अपने रेट्स को जैसा चाहे तबदील कर लें । अगर जनाबवाला इस क्लाज़ की हिस्ट्री को मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे तो देखेंगे कि जब तक यह दफ़ा ५७ और उसके मुताल्लिक़ जो इंसिडेंटल (आकस्मिक) प्राविजंस् हैं, वे सन् ४८ के ऐक्ट में नहीं आये, ख़सूसन वार डेज़ में बहुत दिक्क़त हुई थी और उस वक्त उन चीज़ों की क़ीमत जो इलैक्ट्रिसिटी के जैनेरेशन में यूज़ होती थीं दुगनी तिगुनी हो गई थी। इलैक्ट्रिसिटी कम्पनीज़ के वास्ते एक मुसीबत खड़ी थी कि वे एकदम अपनी इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सकती थीं और इस वास्ते सन् ४८ में दफ़ा ५७ और उसके इंसिडेंटल प्राविजंस् में कम्पनीज़ को यह अधिकार दे दिया कि वे अपने रीज़नेबुल रिटर्न्स को ५ परसेंट (प्रतिशत) और उसके ऊपर ३० परसेंट तक वे बढ़ा सकती थीं। कम्पनीज़ अपने अख़त्यार से बढ़ा सकती थीं और पहले सन् १० का जो ऐक्ट या दूसरे ऐक्ट थे उन सब की पर्वाह न करके और पिछले एग्रीमेंट या लाइसेंस की भी परवाह न करते हुए कम्पनीज़ को यह ख़ास अख़त्यार दिया गया था। लेकिन जैसा कि श्री चोकसी ने अपनी एविडेंस (साक्ष्य) में सिलेक्ट कमेटी के सामने कहा और उसमें बम्बई हाईकोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया कि अब भी इन दफ़ात ५७ आदि की ठीक व्याख्या नहीं होती और इसमें रिट्रास्पेक्टिव बनाने के लिये तबदीली होनी चाहिये, यह बिलकुल उन जजमेंट्स के मुताबिक था जो हमारे पंजाब हाईकोर्ट ने भी एक मुक़द्दमे के सिलसिले में सादिर फ़रमाया था। उस मुक़द्दमे में जो पंजाब हाईकोर्ट में हुआ एक कम्पनी ने अपने अख़त्यारात से जो दफ़ा ५७ के अन्दर थे, मिनिमम (न्यूनतम) चार्जेज़ की रक़म मुक़र्रर कर दी । वह मिनिमम चार्जेज़ की रक़म पहले जब सन् ४५ में वार डेज़ थे उनके पहले गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के आर्डर्स में थे लेकिन सन् ४९ या ४८ में वह आर्डर वापिस ले लिया गया और वह मिनिमम चार्जेज़ का आर्डर क़ायम नहीं था, तो दफ़ा ५७ और इंसिडेंटल प्राविजंस् के मुताल्लिक तमाम कम्पनीज़ ने अपने चार्जेज़ पहले चार्जेज़ के मुताबिक़ कर दिये ताकि उनको रीज़नेबुल रिटर्न्स हासिल हों। एक शख़्स ने अपना दावा इस बेसिस पर पेश किया जो सन् ४९ के आर्डर की रू से मिनिमम चार्जेज़ का कानून खत्म हो गया और इसलिये कम्पनी मिनिमम चार्जेज़ नहीं कर सकती इसलिये वह शख़्स वापिसी रकम वसूलशुदा का हकदार था चुनाचे उस शख़्स ने सिविल कोर्ट में दावा दायर किया कि यह चार्जेज़ ज्यादा हैं और चूंकि वह आर्डर मंसूख (रद्द) हो चुका है इस वजह से कम्पनी को इसका अधिकार नहीं है। कम्पनी ने आकर जवाबी दावा किया कि हमें दफ़ा ५७ के नीचे इसका अख़त्यार दिया हुआ है और हम अपने रीज़नेबुल रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं लेकिन अव्वल अदालत ने इन अख़त्यारात की पर्वाह न करते हुए उस मुद्दई के लिये डिग्री कर दी । अब अगर वह रक़म बड़ी होती तो वह मामला अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता था और इसलिये वह वहां पर नहीं जा सका चूंकि वह रक़म थोड़ी थी। जब हाईकोर्ट में वह मामला रिवीज़न में गया तो वहां पर इस बात की चर्चा हुई कि दफ़ा ५७ और उसके जो शेड्यूल हैं उनके मुताबिक क्या कम्पनी को अख़त्यार है कि वह इस तरीक़े से अपने रिटर्नस् को पूरा कर सके और क्या वह उन चेंजेज़ को कर सकती थी जो उसने किये। पंजाब हाईकोर्ट ने जो फ़ैसला सादिर फ़रमाया वह यह था कि दफ़ा २३ एक १९१० की रू से, एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की दफ़ा २३ की रू से अगर इसको दफ़ा ७० के साथ पढ़ा जाय तो यह जो दफ़ा ५७ और इसके जो साथ के कानून हैं उनकी रू से किसी कम्पनी को अख़त्यार नहीं है कि वह अपने रेट्स का रीऐडजस्टमेंट (पुनर्निर्धारण) कर सके। पंजाब हाईकोर्ट के जजमेंट में यह क़रार दिया गया कि दफ़ा २३ के अन्दर जो चीज़ दर्ज है वह दफ़ा ५७ से गवर्न नहीं होती ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

चूंकि प्राविन्शयल गवर्नमेंट ने इसकी ऐंप्रूवल (स्वीकृति) नहीं दी थी इसलिये हाईकोर्ट ने यह क़रार दिया कि उस कम्पनी को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने मिनिमम चार्जेज़ अपने हुक्म से मुक़र्रर करती। जब यह तवज्जह दिलाई गई कि दफ़ा ५७ की रू से और दीगर इंसिडेंटल प्राविजंस की रू से यह अख़त्यार कम्पनी को जरूर हासिल था लेकिन पंजाब हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला सादिर फ़रमाया कि दफ़ा २३ दफ़ा ५७ और दूसरी चीज़ों से गवर्न नहीं होती। मेरी नाक़िस राय में पंजाब हाईकोर्ट का यह इंटरप्रेटेशन (व्याख्या) दुरुस्त नहीं था। बम्बई हाईकोर्ट का जो फैसला सादिर हुआ उसकी बाबत चोक्सी साहब की यह एविडेंस हमें मिली है कि बम्बई हाईकोर्ट का वह फ़ैसला पसन्द नहीं किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पसन्द नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की राय में दफ़ा ५७ और उसके इंसिडेंटल प्राविजंस एक कम्पनी को यह पूरा अख़त्यार देते हैं कि वह अपने ड्यूज़ को जिस तरह से चाहे रिऐडजस्ट कर सके और रीज़नेबुल रिटर्नस् की हद तक उसको ला सकती है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह प्राइवेट इलैक्ट्रिसिटी कम्पनीज़ एक तरीक़े से रैगुलेटेड कम्पनीज़ हैं और उनका जो नफ़ा है उसकी तादाद मुक़र्रर है और अगर उस नफे से कम्पनी को कम नफ़ा हो तो उसको उस नफ़े को पूरा करने के वास्ते अख़त्यारात दिये हैं और मैं चाहता हूं कि चोक्सी साहब के दफ़ा १४ के अन्दर यह अल्फ़ाज़ दर्ज कर लिये जांय।

छठी अनुसूची तथा सातवीं अनुसूची के उपबन्ध प्रत्येक लायसेन्स में सम्मिलित हुए समझे जायेंगे ।

यह बिल्कुल वाजिब था कि रिट्रास्पेक्टिव (पूर्ववर्ती) रकम को वसूल नहीं होना है। लेकिन ताहम जितने कवानीन थे, जो इस वक्त मौजूद हैं, उनका इंटरप्रेटेशन ऐसा होना चाहिये जैसा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहती है, कि हर एक कम्पनी का अख़त्यार है कि वह रीजनेबुल रिटर्न हासिल करे। लेकिन कानून के अन्दर जो अख़त्यार है, उसको कम करने के माने यह हैं कि आप रीजनेबुल रिटर्न के हासिल करने का मौका कम्पनी को नहीं देते हैं। दफ़ा २३ की रू से जहां प्राविंशल गवर्नमेंट का अख़त्यार है, तो क्या प्राविंशल गवर्नमेंट का यह अख़त्यार है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून पास कर दिया है, उसको वह ऐब्रागेट (रद्द) कर सकती है? सरकार ने यह माना है कि यह नतीजा हर्गिज नहीं हो सकता, इसलिये यह अमेंडमेंट माने जाने के काबिल है और उसे दफा १४ में जोड़ दिया जाये।

चूंकि दफ़ा २३ के इस हद्द तक वाएड कर दिये जाने से कुल दफा ५७ से कांफ्लिक्ट पैदा होता है इसलिये यह अमेंडमेंट भी माना जाना चाहिये कि दफा १४ में पहले तो यह अल्फाज जोड़े जायें : "deemed to have always been" ["सदैव विद्यमान समझा जाय"] और बाकी के हिस्से में यह अल्फाज बढ़ाये जायें, जहां लिखा है कि : "Provisions of the Indian Electricity Act, 1910" ["भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० के उपबन्ध"]—उसके आगे बढ़ाया जाय : "Including section 23" ["जिनमें धारा २३ भी सम्मिलित है"] इस अमेंडमेंट से साफ कर दिया गया है कि २३ दफा ५७ से गवर्न होती है। जिसके माने सिर्फ यह हो सकते हैं कि सन् १९१० के ऐक्ट का कोई प्राविजन इस सेक्शन ५७ पर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और वह फैसला पंजाब के अन्दर अब तक कायम है, और दफे ५७ व ९ या १० शेड्यूल कम्पनी को पूरे अख़त्यारात नहीं देते। पंजाब के अन्दर हर एक एलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के वास्ते यह हक नहीं है कि वह अपने ड्यूज का रिएडजस्टमेंट कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप यह अख़त्यार नहीं देंगे तो जो प्राइवेट कम्पनीज हैं उनको जो अख़त्यार आप एक हाथ से देते हैं वह पंजाब हाई कोर्ट के फैसले से प्रैक्टिकली छिन जाता है। इस चीज का दुरुस्त किया जाना जरूरी है।

इसके अलावा, इस बिल के अन्दर है कि बोर्ड के मेम्बर्स एलेक्ट्रिसिटी कम्पनीज को डाइरेक्शन्स दे सकते हैं। मैं इस पावर को तो ऐब्रागेट करवाने के हक में नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि स्टेट बोर्डस् एलेक्ट्रिसिटी कम्पनीज को डाइरेक्शन न दे सकें, और मैं खुश हूं कि सेलेक्ट कमेटी ने निहायत वाजिब प्राविजन किया कि रीजनेबल डायरेक्शन ही लगाये जा सकते हैं। लेकिन बेहतर होता कि रीजनेबल डायरेक्शन को तय करने के वास्ते वही अथारिटी कायम होती जो सारे सिविल राइट्स का फैसला करती है। जो देश भर के लोगों के वास्ते सारे सिविल राइट्स का फैसला करती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वह अथारिटी होते तो हम बेहतर सैटिस्फैक्शन दे सकते। इसके लिये रीजनेबल डायरेक्शन क तय करने का अख़त्यार सेन्ट्रल स्टेट अथारिटी को न हो कर किसी डिस्ट्रिक्ट जज या जुडिशल आफिसर को होता तो अच्छा था ताकि पूरी तरह से इत्मीनान हो सकता कि जो डायरेक्शन्स लगाये जाते हैं वह पब्लिक इंटरेस्ट में लगाये गये हैं और कम्पनी को बेजा तौर पर धक्का नहीं लगाया जाता।

मुझे इस एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अन्दर श्री नन्दा जी की स्पिरिट नजर आती है। उन्होंने यह कोशिश नहीं की किसी प्राइवेट कम्पनी को गिलाटिन किया जाये, या उसके कारबार करने के अख़त्यारात में इतनी कमी कर दी जाये कि उसे अपना काम करने की फ्रीडम न रहे, जैसा कि मैंने नये बैंकिंग कम्पनीज बिल में देखा है, जिसके अन्दर चाहा गया है कि प्राइवेट कम्पनीज का जितना ही गला घोंटा जाये, थोड़ा है, और उन्हें फ्रीडम आफ ऐक्शन न रहे। जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था अगर प्राइवेट सेक्टर को कायम रखना है, प्राइवेट सेक्टर का एक नया टर्म हमारे तुलसी दास जी ने रखा है, नान पब्लिक या नान स्टेट सेक्टर, यह फिल वाक़या अच्छा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का नाम लेते ही कई लोगों के नास्ट्रिल्स में स्टिंगिंग होने लगती है। तो नान स्टेट सेक्टर जो है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि जब तक आप इसे कायम रखना चाहते हैं तब तक उसको इनिशिएटिव, एन्टर्प्राइज (उपक्रम) और कार-बार की ठीक तरह से करने की पूरी आजादी दी जाये, उनके अन्दर इम्प्रापर इंटरफिअरेंस (अनुचित हस्तक्षेप) न किया जाये। इस बिल में मैं देखता हूं कि इम्प्रापर इंटरफिअरेंस करने का कोई फैसला नहीं किया गया है उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जाय कि वह कुछ कर ही न सके। मसलन रीजनेबल डायरेक्शन्ज़ के मुताल्लिक जो प्राविजन्स हैं उनसे इतना मतलब निकलता है कि वह इतनी लिबर्टी नहीं ले सकता है कि अपना काम अच्छी तरह से न करे, साथ ही उसका इतना गला भी नहीं घोटा जा सकता कि वह किसी किस्म का रेस्पाइट ही हासिल न कर सके। मैं इस प्राविजन को खुशामदीद कहता हूं।

इसी तरह से रेटिंग कमेटी का प्राविजन है। मैं कह सकता हूं कि रेटिंग कमेटी का जो प्राविजन है वह बड़ा रीजनेबल है, उसके अन्दर यह कोशिश नहीं की गई है कि तमाम प्वाइंट आॅफ व्यू का रिप्रेजेन्टेशन हो जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, उसके अन्दर एक मेम्बर तो जुडिशल आफिसर होगा, दूसरा मेम्बर भी गवर्नमेंट का ही ऐप्वाइंटेड होगा प्रैक्टिकली, लेकिन तीसरा जो मेम्बर होगा उसको यह दोनों मेम्बर चुनेंगे। वह उनकी च्वायस का होगा। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा लिबरल किया जाये। जब दो मेम्बरों को लेने का अख़त्यार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है तो तीसरे मेम्बर को लाइसेंसी को मुकर्रर करने का हक देना चाहिये। इसके माने यह नहीं हैं कि वह किसी अपने कजिन को मुकर्रर कर दे बल्कि ऐसे आदमी को मुकर्रर करेगा जो मामले को देखते हुए ठीक फैसला कर सके। मैं समझता हूं कि बेहतर होता अगर रेटिंग कमेटी में दो आदमी तो गवर्नमेंट मुकर्रर करे, लेकिन उन दो आदमियों को अख़त्यार न दिया जाता कि वह रेटिंग कमेटी के तीसरे मेम्बर को लें। जो तीसरा मेम्बर हो वह किसी ऐसोसिएशन आफ लाइसेंसीज का मेम्बर हो या चेम्बर्स का मेम्बर हो, लाइसेंसी के पसन्द का हो ताकि उसके अन्दर लाइसेंसी का यह कांफिडेन्स हो सके कि मेरी च्वायस का मेम्बर लिया गया है। जहां स्टेट गवर्नमेंट्स और दूसरों को अपनी तरफ से एक मेम्बर मकर्रर करने का अख़त्यार होता वहां पर सैटिस्फैक्शन ज्यादा हो सकता है। मैं मानने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को तैयार हूं कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या दूसरी अथारिटी जो जज को मुकर्रर करेगी तो वह जज ठीक से अपना काम करेगा, लेकिन जो लाइसेंसी है वह इस बात की परवाह नहीं करेगा कि जज की ओपीनियन क्या है और वह क्या फैसला करेगा । अगर दूसरा आदमी कम्पनी का ऐप्वाइंटेड (नियुक्त) होगा तो वह ख्याल करेगा कि उसका आदमी उसके दृष्टिकोण को भी सामने रखेगा ।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : आप किस खण्ड का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पृष्ठ ७, खण्ड १४ का । मैं चाहता था कि जो आप का बोर्ड है, उसके अन्दर भी यही उसूल बरता जाये । यहां पर दो मेम्बरों में से एक को ऐप्वाइंट करने का अख्त्यार लाइसेंसी को दिया गया और एक कोई ऐसोसिएशन का मेम्बर हो ।

जहां तक दूसरे तरह के बोर्ड का सवाल है, वहां एक मेम्बर जुडिशल आफिसर होगा, एक मेम्बर बोर्ड का होगा और तीसरा जो मेम्बर होना चाहिये था वह लाइसेंसी की मर्जी से होना चाहिये, उसे आप किसी एसोसियेशन आफ लाइसेंसीज या चैम्बर्स ऑफ कामर्स वगैरह में से ले लें । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी ट्राइब्यूनल बनती है रेटिंग कमेटी की, वह ऐसी हो जिसके अन्दर लाइसेंसी को हर तरह से पूरा-पूरा विश्वास हो ।

अब मैं सिर्फ दो बातें और अर्ज़ करना चाहता हूं । जहां तक नफे का सवाल है, मेरी अदब से गुज़ारिश है कि आपने पहले पांच परसेंट की मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर की थी । मेरा भी एक छोटी-सी इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी से वास्ता है । हमने कभी भी पांच परसेंट से ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है । जहां तक कि सवाल उन लोगों का था जो शुरू से ही मैम्बर थे, जो हमें फायदा इनकम-टैक्स के रिलीफ से हुआ उसका फायदा किसी शेयरहोल्डर को नहीं पहुंचा क्योंकि जब कम्पनी कोई इनकम-टैक्स देती ही नहीं थी, तो फ्री ऑफ इनकम-टैक्स के माने क्या रह जाते हैं । जब टैक्स ही वसूल नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट से क्या रिबेट मिल सकता है । इस वास्ते फ्री आफ इनकम टैक्स का जो रूल है उसका फायदा शेयरहोलडर्स को नहीं पहुंचता है । जब तक इनकम-टैक्स देना शुरू नहीं किया जाता तब तक रिलीफ भी नहीं मिल सकता है । इनकम-टैक्स वाजिबउलअदा से ज्यादा पर लगता है । जिस वक्त ऐसा होता है तो शेयर-होल्डर्स के डिविडेंड में से इनकम-टैक्स कटता है । तो यह जो पांच परसेंट की फ्री आफ इनकम-टैक्स की लिमिट रखी गई है, वह भी पहले चन्द सालों तक जबकि कम्पनी इनकम-टैक्स नहीं देती है, उसका फायदा शेयरहोल्डर्स को नहीं पहुंचता है । ये जो शेयरहोल्डर हैं ये कोई बड़े अमीर लोग नहीं हैं, बड़े धनाढ्य लोग नहीं हैं । मैं पंजाब की बात जानता हूं और वहां के मुताल्लिक मैं यह कह सकता हूं कि वे मिडल क्लास को बिलोंग करते हैं । तो अगर आप सही मानों में चाहते हैं कि इसका एक्सपेंशन (विस्तार) हो और इस इंडस्ट्री में बहुत सारा कैपिटल आये, तो आपको यह जो पांच परसेंट की लिमिट है, उसको बढ़ाना होगा । मैं यह मानता हूं कि ऐसी कम्पनियों में रिस्क नहीं है, प्राफिट भी मिल जाता है लेकिन यह प्राफिट उतना नहीं होता है जितना कि दूसरी कम्पनियों में मिलता है । वहां पर बहुत ज्यादा प्राफिट मिलता है । अगर आप श्री तुलसी दास की तजवीज़ को कि इसको साढ़े छः परसेंट कर दिया जाये नहीं मानते हैं तो साढ़े पांच और साढ़े छः के बीच जो फिगर है यानी छः परसेंट इसको आप मान लें । यह प्रापर फिगर होगी और हर एक के प्वाइंट आफ व्यू से बिल्कुल जस्टिफायेबल होगी । अगर इसको छः कर दिया गया तो उन लोगों ने जिन्होंने इनवैस्टमेंट कर रखा है, उसका प्रापर रिम्युनरेशन मिल सकेगा । इसकी वजह यह है कि शेयरहोल्डर्स को उससे ज्यादा नहीं मिलना है, किसी और को किसी और गर्ज़ के वास्ते कितना ही मिल जाये, लेकिन इससे ज्यादा शेयरहोल्डर (अंशधारी) को नहीं मिल सकता है । तो जो

†मूल अंग्रेजी में ।

छः परसेंट है वह भी इनकम-टैक्स (आय-कर) कट कर क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। मैं यह मानता हूं कि आज टैक्सों की बहुत ज्यादा जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा टैक्स होने चाहियें। लेकिन प्रापर बैलेंस रखने के लिये यह मुनासिब है कि इस लिमिट को साढ़े पांच के बजाय छः कर दिया जाये ताकि लोगों के अन्दर सैटिस्फैक्शन हो और साथ ही आइंदा के लिये इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने का भी मौका मिलेगा ।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। श्री साधन गुप्त ने बहुत सी तजवीज़ें पेश की हैं। मैं उनकी तजवीज़ों के मुताल्लिक कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक उनका यह ख्याल था कि हमको वर्कर्स के इंटरेस्ट्स को ही ज्यादा तौर पर ध्यान में रखना चाहिये, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि वर्कर्स की जितनी भी जायज़ मांगें हैं उनको स्वीकार कर लिया जाये। लेकिन सिर्फ वर्कर्स के इंटरेस्ट्स का ही खयाल रखना और दूसरों के इंटरेस्ट्स की कोई परवा न करना ठीक नहीं है। कंज्यूमर के जैनरल इंटरेस्ट्स को भी आपको देखना चाहिये। एक रेग्युलेटिड इंडस्ट्री में जैसे कि इलैक्ट्रिसिटी की है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको भी आप नज़रंदाज़ नहीं कर सकते हैं। आपने मुनाफे की एक सीमा बांध दी है और उस सीमा के बाहर जा कर मुनाफा नहीं दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में कंज्यूमर के इंटरेस्ट नाजायज़ तौर पर एफेक्टिड हो जायेंगे। अगर आप आधा परसेंट इसे बढ़ा देंगे तो जो इंसिडेंस (भार) कंज्यूमर (उपभोक्ता) पर होगा नैग्लिजिबल सा होगा। तो यह जो चीज़ है कि पब्लिक इंटरेस्ट को इसके अन्दर इतना ज्यादा प्रिडॉमिनेंट पार्ट रहे कि प्राइवेट इंटरेस्ट की परवा न की जाये, मैं दुरुस्त नहीं समझता हूं। मेरी राय में बैलेंस्ड एप्रोच ही प्रापर एप्रोच होगी। आपने कम्पनियों के बनाये जाने के लिये लाइसेंस लेने की व्यवस्था की है और अब तक इसको एबरोगेट नहीं किया है। तो जिन कम्पनियों को आप लाइसेंस दें उस लाइसेंस की शरायत के अन्दर और इस कानून के जितने कोमांड्स हैं उनके अन्दर, मैं चाहता हूं कि आप उन कम्पनियों को प्रापर्ली फंक्शन करने का मौका दें। इस बिल के जो जैनरल प्राविज़ंस हैं उनको आप्रेशन में लाने के वास्ते भी मैं समझता हूं, यही एप्रोच मुनासिब है। अगर हम इसी एप्रोच को अपनायें तो देश के अन्दर हम इस इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ा सकेंगे ।

मैं एक बार फिर सिलैक्ट कमिटी को और आनरेबल मिनिस्टर साहब को जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, मुबारिकबाद देता हूं ।

†**श्री नन्दा** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, सभा में चर्चा के दौरान यद्यपि बहुत से सदस्य नहीं बोले हैं तथापि वह बहुत रुचिकर और प्रकाश डालने वाली रही है। मैं इस बात से सन्तुष्ट और प्रसन्न हूं--मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति के सभापति भी ऐसा ही महसूस करते होंगे--कि सभा में सदस्यों को यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में साधारणतया मान्य है ।

चर्चा में दृष्टिकोण का प्रश्न उठाया गया है। जैसा कि सभापति ने बताया था, हमारा प्रयास विरोधी दावों के बीच संतुलन का स्थापित करना तथा सभी सम्बन्धित मतों पर एक संतुलित दृष्टि-कोण अपनाने का रहा है, और मुझे विश्वास है कि हम अपने इस प्रयास में सफल रहे हैं ।

श्री तुलसी दास ने यह बात स्वीकार की थी, परन्तु वह इस बात से सन्तुष्ट न थे कि फेडरेशन के ग्यारह सुझावों में से नौ सुझाव स्वीकार हो गये हैं। वह गैर-सरकारी उपक्रम की भांति इतने से ही सन्तुष्ट न होकर और अधिक की मांग करते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य स्वयं अपने मन में इस बात से सन्तुष्ट हैं कि हमने उद्योग की आवश्यकता को पूर्ण करने का और पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा बताये गये किसी भी अनुचित या प्रतिबन्ध आदि को रोकने का यथासम्भव प्रयत्न किया है।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नन्दा]

अब मैं चर्चा में उठाई हुई बातों पर आता हूं। पहिला प्रश्न विद्युत-बोर्डों का है। माननीय सदस्य श्री तुलसी दास ने अपनी विमति टिप्पणी में इसका ज़ोरदार शब्दों में उल्लेख किया है तथा अन्य सदस्यों ने भी, जिन्होंने भाषण दिये हैं, इस बात का उल्लेख किया है। मुझे सभा को यह बताना है कि १९४८ का वह अधिनियम जो जिससे राज्यों द्वारा विद्युत्-बोर्डों की स्थापना को आवश्यक बनाया गया था, उसे इतने वर्षों में पूर्णतया कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है।

केवल पिछले वर्ष के आरम्भ में मुझे यह ज्ञात हुआ था कि अधिनियम के इस उपबन्ध की अवधि प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती थी और मैंने महसूस किया कि मामले की जांच करने की और इसके बारे में और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अतएव मैंने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्हें यह बताया कि संसद् यह आशा करती है कि यह उपबन्ध कार्यान्वित हो। राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी कठिनाइयां--प्रशासनीय कठिनाइयां, वित्तीय कठिनाइयां, टेक्नीकल कठिनाइयां, और इन बोर्डों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों को पाने की कठिनाइयां आदि--बताईं। परन्तु हम प्रयत्न करते रहे और माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब से केवल एक सप्ताह पूर्व यह परिस्थिति थी कि उन राज्यों की संख्या जिन्होंने बोर्ड बनाना स्वीकार कर लिया है इतनी थी कि देश में बनने वाली ७५ प्रतिशत विद्युत् शक्ति की खपत हो जायेगी। उस समय लगभग तीन या चार राज्यों की यह स्थिति थी कि वे इस उपबन्ध को तत्काल ही कार्यान्वित करने को तैयार न थे। इतने पर भी वे अपनी कठिनाइयां बताते रहे। परन्तु मैं सभा को यह बता सकता हूं कि आज स्थिति यह है कि देश के सारे राज्य बोर्ड बनाने के लिये तैयार हैं। १९५५ में हुई पिछली बैठक में मैंने एक कार्यवाही की थी। मैंने राज्यों को बताया था कि सरकार ने इस बार अवधि में जो वृद्धि की है वह अन्तिम वृद्धि है। अब अवधि समाप्त हो जायेगी। सम्भव है कि कुछ राज्यों को बोर्डों की स्थापना करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये कुछ और समय की आवश्यकता हो और कुछ राज्यों के मामले में अवधि में उचित वृद्धि कर दी जाये। परन्तु इसमें सन्तोषजनक बात यह है कि सारे राज्यों ने बोर्ड बनाना स्वीकार कर लिया है तथा इसके वस्तुतः कार्यान्वित होने में कुछ मास लगेंगे।

†**श्री तुलसी दास** : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई तथ्य समय-सीमा मार्च के अन्त तक, बता सकते हैं ?

†**श्री नन्दा** : इसमें समय सीमा तो निश्चित ही है। मैंने राज्यों को जो कुछ कहा है उसके अनुसार मार्च के अन्त तक की समय सीमा है। कुछ राज्यों ने पुनर्गठन में अन्य बातों के कारण यह तारीख मानने में अपनी कठिनाइयां बताई हैं तथा उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। कुछ भी हो मुझे विश्वास है कि एक वर्ष से कम में सारे राज्य यह व्यवस्था लागू कर लेंगे।

अन्य उपबन्धों में छोटी-छोटी बातें हैं, यद्यपि हो सकता है कि श्री तुलसी दास जैसे माननीय सदस्यों की दृष्टि में बहुत ही अत्यावश्यक बातें प्रतीत हों। उचित लाभ के बारे में एक ओर तो श्री साधन गुप्त जैसे सदस्यों के विचार हैं--उनका एक संशोधन भी है--और जिसका तात्पर्य है कि लाभ का वर्तमान अंश कम कर दिया जाय। उस संशोधन के स्वीकार होने का प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा, अर्थात् उचित लाभ के मान की गणना पूंजीगत आधार पर न हो कर केवल प्रदत्त पूंजी के आधार पर होनी चाहिये। इस बात पर उन्होंने बार-बार ज़ोर दिया है, परन्तु मुझे खेद है कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई उचित बात दिखाई नहीं देती क्योंकि सर्वप्रथम तो प्रदत्त पूंजी के आधार पर ही लाभ की गणना करना अवैज्ञानिक होगा। माननीय सदस्य ने एक ऐसे विशिष्ट समवाय के मामले का उल्लेख किया था जिसे बहुत अधिक लाभ हो रहा था, क्योंकि उसने पिछले वर्षों में बहुत-सा धन संचय कर लिया था। अतएव इन वर्षों में इसकी पूंजी बढ़ गई जब प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। उस विशिष्ट समवाय ने धन का वितरण करने

†मूल अंग्रेजी में।

के बजाय उसे फिर लगा दिया। हमें उद्योगों को इस बात के लिये प्रोत्साहन देना है कि वे लाभ का अधिक भाग उद्योगों में फिर लगा दें। इसके अतिरिक्त जो समवाय पहिले बनाये गये थे उन्होंने बहुत थोड़े मूल्यों के आधार पर अपनी आस्तियां बना ली हैं तथा अब प्रतिस्थापन व्यय बहुत अधिक है। अतः इस पर चाहे किसी भी दृष्टि से विचार किया जाये चुकता पूंजी को आधार मानना गलत होगा। इन समवायों ने जो लाभांश घोषित किये हैं वे अधिक नहीं हैं। यहां तक कि जिस विशिष्ट समवाय का माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से उल्लेख किया है उसके घोषित लाभांश के आंकड़ों को देख कर यह विदित होता है कि किसी ने भी २५ प्रतिशत लाभांश नहीं दिया है। यह बहुत कम था। मेरे पास जो अन्तिम आंकड़े हैं उनसे प्रकट होता है कि यह उसके आधे से भी कम था।

दूसरी ओर श्री तुलसी दास जैसे माननीय सदस्यों का यह मत है कि हमें इसमें वृद्धि करनी चाहिये। मैं ऐसा करने का भी कोई औचित्य नहीं देखता। आरम्भ में अधिनियम में जो निर्धारित किया गया था, अर्थात, ५ प्रतिशत, वह इन परिस्थितियों में ठीक था। हमने अब जो परिवर्तन किया है वह उपबन्धों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बना देता है, अर्थात् ब्याज की दर बढ़ गई है और इसकी पूर्ति होनी चाहिये। परन्तु यदि अभिप्राय यह है कि हम इससे भी आगे बढ़ें तो इसको कुछ विशेष की औचित्य आवश्यकता होगी।

फिर, आयकर सम्बन्धी रियायत का प्रश्न आता है। यह बिल्कुल न होने के तुल्य नहीं है। क्या उद्योग इसके लिये तैयार हैं कि यदि आयकर छोड़ दिया जाये तो वे यह लाभ पाने का अधिकार छोड़ देंगे। यह इस बात की परीक्षामात्र होगी कि इसका उन्हें कोई लाभ है या नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे ऐसा नहीं कहेंगे। केवल कुछ विशिष्ट मामलों में, जिनका पण्डित जी ने उल्लेख किया था, उन पर आयकर न लगाया जाये तो स्थिति बदल सकती है। परन्तु वह सब के लिये मान ऊंचा करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। मैंने अन्य समवायों के लाभांश आंकड़ों की भी तुलना की है और देखा है कि विद्युत् उपक्रम कई वर्षों से अन्य समवायों की अपेक्षा कोई बुरे नहीं रहे हैं। अतः लाभांश की दर में वृद्धि करने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता।

अब मैं आस्थगित कराधान संचिति के प्रश्न पर आता हूं। श्री तुलसी दास ने इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि आयकर सम्बन्धी छूट से कोई लाभ न होगा। इस समय कदाचित् माननीय सदस्य को यह विदित न था कि फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने इस पर जोर दिया था। श्री सोमानी ने प्रार्थना की थी कि आस्थगित कराधान संचिति सम्बन्धी यह उपबन्ध, जो हमने उद्योग के प्रतिनिधियों के कहने व आग्रह करने पर विधेयक में सम्मिलित किया था, निकाल लेना चाहिये। तब हमने कहा था कि इस पर विचार करेंगे अब मैं यह कहने को तैयार हूं कि हम इसे निकाल लेंगे। अतः वह प्रश्न नहीं रहता।

अन्य प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों को याद रखना चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र का इस उद्योग में अपेक्षितः बहुत या थोड़ा अंशदान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का अंशदान २५० करोड़ रुपये और गैर-सरकारी क्षेत्र का अंशदान केवल २६ करोड़ रुपये था। द्वितीय योजना में सरकारी क्षेत्र में ४२७ करोड़ रुपये और गैर-सरकारी क्षेत्र में ४२ करोड़ रुपये लगाने का प्रस्ताव है।

†**श्री तुलसी दास** : यह ७५ करोड़ रुपये होगा।

†**श्री नन्दा** : हो सकता है कि राशि इतनी हो परन्तु प्रस्ताव इतने का ही दिया गया है। अतः मैं श्री गुप्त के इस कथन का समर्थन नहीं करता कि गैर-सरकारी क्षेत्र समाप्त हो रहा है। उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत् उद्योग का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह शनैः शनैः समाप्त हो रहा है। यह सच है कि हमारी औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विद्युत् उद्योग की स्थिति अधिक से अधिक, और

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नन्दा]

साधारणतया पूर्णरूपेण राज्य का उत्तरदायित्व बन रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस पर उचित रूप में विचार किया जाये। यह सुचारु रूप में कार्यान्वित होने योग्य होनी चाहिये। बाजार में धन की कम उपलब्धि के बारे में धन के बारे में मेरे पास सूचना यह है कि कुछ समवायों द्वारा ऋण आदि प्राप्त किये जा सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति स्थायी नीति का आधार नहीं बननी चाहिये। हो सकता है कि यह कुछ समय तक रहे, परन्तु तंगी की बात केवल विद्युत् उद्योग पर ही लागू नहीं होती। अतः यह विशिष्ट तर्क इस मामले में ही नहीं दिया जा सकता। फिर, माननीय सदस्य ने कहा था सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिये ब्याज की दर गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा प्रायः अधिक है।

†**श्री तुलसी दास** : मैं यह जानना चाहता था कि स्थिति क्या है।

†**श्री नन्दा** : ब्याज की दर इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि यह सरकारी क्षेत्र में है या गैर-सरकारी क्षेत्र में।

सामान्यतः गैर-सरकारी क्षेत्र में से संयंत्र छोटे होते हैं। वे अधिक मंहगे होंगे, इसलिये दरें अधिक होंगी। जल विद्युत्-शक्ति जो अब सरकारी क्षेत्र में आ रही है, बहुत सस्ती है। इसलिये कोई भ्रान्ति उत्पन्न न होने देने के लिये, मैं बता दूं कि यह दिखाने को कोई प्रमाण नहीं है कि विद्युत् उत्पादन के सरकारी क्षेत्र में तो दिये जाने के साथ ही दरें ऊंची हो जायेंगी और यह मंहगी हो जायेगी।

श्री गुप्त द्वारा कुछ अन्य प्रश्न भी उठाये गये थे। अब मैं उन्हें लेता हूं। उन्होंने विद्युत् बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का ज़िक्र किया था। माननीय सदस्य ने कहा कि हमने उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा है और इस बात की व्यवस्था की है कि उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत् परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाय। हमने श्रमिकों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। यदि माननीय सदस्य अधिनियम अथवा विधेयक को देखेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि जहां तक परिषदों का सम्बन्ध है उसमें श्रमिकों को स्थान दिया गया है। उससे अधिक स्थान देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक बोर्डों का सम्बन्ध है कुछ हितों को प्रतिनिधित्व देना ही बोर्ड के गठन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है इसका प्रयोजन व्यापार करना है।

जहां तक श्रमिकों के हितों का सम्बन्ध है श्रमिकों की व्यवस्था में भाग लेने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हों। ऐसा अन्य तरीकों से किया जा सकता है। यह मामला विद्युत् उद्योग तक ही सीमित नहीं है यह अन्य उद्योगों में भी लागू होता है। इसलिये उद्योग की व्यवस्था में, श्रमिकों को भाग देने, और श्रमिकों को हिस्सा देने के अन्य तरीके निकाले जायेंगे। यह बात इस उद्योग के श्रमिकों पर भी लागू होगी।

केवल यह विचारणीय बात उठाई गई थी कि कई स्थानों में श्रमिकों को जीवन-यापन योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती है। बोनस उसी का आंशिक प्रतिकर है इसलिये बोनस के सम्बन्ध में अधिक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षक कर्मचारियों की अपेक्षा, श्रमिकों के दावे पर अधिक उदारता से विचार किया जाय। कम वेतन पाने वालों और अधिक वेतन पाने वालों में दूसरे प्रकार का विभेद है। अध्यक्ष तथा समिति के अन्य सदस्यों का विचार यह है कि ऐसे मामलों में विभेद करना वांछनीय नहीं होगा। मैं पूछता हूं: इसमें क्या कठिनाई है? एक कम्पनी अथवा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के द्वारा घोषित बोनस को राज्य अस्वीकृत नहीं करेगी। सामान्यतः राज्य इन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। हमने केवल सावधानता के निमित्त एक खण्ड का उपबन्ध किया है। श्री गुप्त पर्यवेक्षक कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभेद करना चाहते हैं और वे विधेयक की सीमा से श्रमिक सम्बन्धी बातें हटा लेना चाहते हैं। ऐसा विभेद करना वांछनीय नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री तुलसी दास ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि आयकर अधिनियम में इस बोनस के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं। किन्तु वह अधिकतम तीन महीने तक लागू हो सकता है तथा इससे इस उद्योग की कठिनाई दूर नहीं हो सकती है। विद्युत् उद्योग की स्थिति यह होगी कि जब भी बोनस को एक कर समझा जायेगा यह खर्च की मद बन जायेगी तथा इस आधार पर ही उपयुक्त आय का हिसाब लगाया जायेगा। इसलिये यह बात विशेषत: इसी मामले पर लागू नहीं होती है।

मेरा विचार है कि मैं चर्चा के दौरान उठाये गये सारे प्रश्नों को ले चुका हूं। केवल पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाया गया "विद्यमान समझा गया" वाली बात रह गयी है। सभापति जो एक अच्छे वकील हैं--तथा प्रवर समिति के अन्य सदस्यों ने भी इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह सुरक्षा दी गई है कि लाइसेंस में किसी बात के रहते हुए भी लाइसेंस लेने वाले को उपयुक्त आय प्राप्त करने तथा दरों को लाइसेंस की शर्तों के बावजूद भी उस स्तर तक बढ़ाने का पूरा अधिकार है जिनसे वह उपयुक्त आय प्राप्त कर सके।

कई दृष्टिकोणों से विचार करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त व्यवस्था पर्याप्त होगी। तथा इस स्थिति में और आगे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति इस प्रकार है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने बिजली अधिनियम १९१० का निर्देश किया है जिसके अनुसार प्रान्तीय सरकार के समर्थन का प्राप्त करना आवश्यक है तथा पंजाब उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि यह धारा, धारा ५७ पर हावी हो जाती है तथा धारा ५७ १९१० के अधिनियम की धारा २३ में उल्लिखित अधिकार, नहीं हटाती है। मैं निर्णय की एक प्रति माननीय मंत्री को भेज दूंगा।

†**श्री नन्दा** : मैं उस निर्णय को देखूंगा। मैं इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि शब्द लाइसेंस में किसी बात के रहते हुए भी इस धारा से उत्पन्न होने वाले किसी नुकसान अथवा हानि का निराकरण कर देंगे। क्योंकि उपयुक्त शब्द वहां पहिले नहीं थे किन्तु तब भी मैं इन पर विचार करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत् (सम्भरण) अधिनियम १९४८ में, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ४--(धारा ५ का संशोधन)

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपने संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करता हूं।

मैंने विद्युत् बोर्ड में श्रमिकों को स्थान न दिये जाने के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये तर्कों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने कहा है कि योजनाओं का अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है। हमने यह प्रश्न समवाय विधेयक तथा राज्य बैंक विधेयक के समय भी रखा था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

इस मामले में यह बात बिल्कुल भिन्न है। यहां प्रश्न यह है कि क्या विद्युत् उद्योग के समन्वय पूर्ण विकास के सम्बन्ध में श्रमिक अपनी राय दे सकेंगे अथवा उन्हें वहां प्रतिनिधित्व दिया जायेगा अथवा नहीं। उनके प्रतिनिधित्व से दो लाभ होंगे। पहला बोर्ड के निश्चयों का श्रमिकों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा दूसरे विद्युत् उपक्रमों के उत्पादन बढ़ने पर श्रमिकों का कार्य भार अधिक बढ़ जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में मजदूरों का हित सम्बद्ध है। इसलिये उनको प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। इससे उद्योग को भी लाभ होगा क्योंकि श्रमिक बोर्ड के समक्ष, अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर, अपने सुझाव रख सकते हैं जिनको क्रियान्वित कर उद्योग को लाभ हो सकता है उक्त कारणों से मजदूरों को बोर्ड में अवश्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

†**श्री नन्दा** : मैं इस प्रश्न को पहिले ही ले चुका हूं। इस तर्क में, जितना ज़ोर मैंने पहिले अनुभव किया था उससे भी कम शक्ति है। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था के प्रश्न को उक्त प्रश्न से पृथक कर दिया है। यदि ऐसा है तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अपितु कर्मचारियों के हितों का प्रश्न है श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिये अन्य तरीके हो सकते हैं। इसके लिये न्यायाधिकरण तथा औद्योगिक विवादों का निर्णय करने के लिये एक पूरी व्यवस्था है।

इन हितों की संभाल के लिये, औद्योगिक विवादों का निपटारा सबसे अच्छा तरीका है। सामान्य व्यवस्था के अलावा श्रमिकों और नियोजकों के बीच संयुक्त परामर्श भी हो सकता है। मैं बता चुका हूं कि श्रमिकों को राज्य विद्युत् परिषद में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यह यहां विशिष्ट रूप से उल्लिखित है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि दोनों बोर्डों में,, उपक्रम सम्बन्धी कार्यों में, सामान्य सुधार तथा समन्वय करने के सम्बन्ध में, श्रमिकों द्वारा सुझाव प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान अधिनियम १९४७ की धारा १६ की ओर दिलाना चाहता हूं जहां राज्य विद्युत् परिषद् के कार्य बताये गये हैं उन कार्यों के अन्तर्गत नीति सम्बन्धी मुख्य प्रश्नों और बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में बोर्ड को सुझाव देना प्रगति का पुनरीक्षण करना, तथा ऐसे ही अन्य मामलों पर विचार करना है। इसलिये परिषद् के श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा उपयोगी सलाह प्राप्त करने का एक नियम है। और निश्चय ही, मुझे विश्वास है कि बोर्ड उनकी सलाह से लाभ उठायेगा। इस सलाह के उपरांत संशोधनों को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५ से २६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड २७—(छठी अनुसूची का संशोधन)

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १५ पंक्ति ३७ में, 'Paragraphs' ['कंडिकाओं'] के स्थान पर 'Paragraph' ['कंडिका'] शब्द रखा जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(२) पृष्ठ १६ पंक्ति ५ में "The clear profit" ["शुद्ध लाभ"] शब्दों के पश्चात् "Excluding The special appropriation to be made under item (va) of clause (c) of sub-paragraph (2) of paragraph XVII" ["पैराग्राफ १७ के उप-कण्डिका २ के खण्ड (ग) के मद (५क) के अन्तर्गत विशेष विनियोग को छोड़ कर"], शब्द रखे जायें।

(३) पृष्ठ १६ और १७ में—

पंक्तियां २३ से ४४ और १ से २३ तक क्रमशः हटा दी जायें ।

मैं इतना कह दूं कि मैंने यह संशोधन इसलिये स्वीकार किया है कि मैं श्री सोमानी के इस सुझाव को इसके पहले स्वीकार कर चुका हूं ।

मैं यहां पर उल्लेख कर सकता हूं कि यह संशोधन मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी के इस सुझाव के स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप हुआ है कि उचित कराधान रक्षित खण्ड, जो हमने उनके जोर देने पर रखा था, विलोपित कर दिया जाये । हम उसका विलोप कर रहे हैं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(चार) पृष्ठ १७ पंक्ति ४० और ४१ में निम्न शब्द हटा दिये जायें :

"during the year in which the asset ceases to be available for use."

["उस वर्ष में जिसमें कि आस्ति उपयोग के लिये प्राप्य न हो।"]

(पांच) पृष्ठ २१—

पंक्ति १७ और १८ हटा दी जायें ।

(छः) पृष्ठ २१—पंक्ति ३२ से ३८ के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें :

"(b) the income derived from investments other than those included in the capital base under the provisions of clause (d) of sub-paragraph 1."

[" (ख) उप-कंडिका १ के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन आधार पूंजी में शामिल किये गये विनियोजनों को छोड़ कर अन्य विनियोजनों से प्राप्त आय।"]

जो कुछ मैं कह चुका हूं उसके अलावा मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि ये केवल आनुषंगिक संशोधन हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपने चार संशोधन क्रमशः ८, ९, ११ और १५ पुरःस्थापित करता हूं । संशोधन क्रमांक ८, ९ और ११ कर्मचारियों के अधिलाभांश से सम्बन्धित हैं । संशोधन नं० १५ लाभों के विनियमन के सम्बन्ध में हैं ।

अधिलाभांश के सम्बन्ध में मैंने कामगरों और बड़े-बड़े वेतन पाने वालों के बीच भेदभाव करने की जो मांग की थी उसके विरुद्ध माननीय मंत्री और सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वह मैंने सुना । श्री तुलसी दास ने यह कहा कि अधिलाभांश के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिये क्योंकि आयकर प्राधिकारी अधिक अधिलाभांश नहीं देने देंगे । बात यह है कि यदि आप हर किसी व्यक्ति को अधिलाभांश देने के सम्बन्ध में स्वविवेक पर कोई रोक नहीं लगा देते हैं तो वह खर्च एक मद हो जाता है और कर चुकाये जाने के योग्य बन जाता है; अतएव आप जिसे भी चाहें अधिलाभांश दे सकते हैं । इस तरह से आप अधिकारियों अथवा बाइनामीदारों को अधिलाभांश देकर लाभों के विनियमन की पूरी पद्धति बदल सकते हैं । अतएव जहां तक बड़े-बड़े अधिकारियों को बोनस देने का प्रश्न है मैं राज्य-सरकार की "स्वीकृति के बंधन" को

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री साधन गुप्त]

बनाये रखने के पक्ष में हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित मजदूरों या कामगरों तथा पर्यवेक्षक कर्मचारियों उदाहरणार्थ लिपिक वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिलाभांश देने में पूर्ण स्वतंत्रता बरतना चाहूंगा। श्री मुहीउद्दीन मेरे पूर्ण स्वतंत्रता देने के प्रश्न पर बहुत कुढ़ रहे हैं। कारण स्पष्ट है। चूंकि हम साम्यवादी यह चाहते हैं कि मजदूरों की आय पर कोई प्रतिबन्ध न रहे, हम उनके सम्बन्ध में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं।

हम इन बन्धनों को क्यों दूर करना चाहते हैं? यदि हम अधिलाभांश को राज्य-सरकार की स्वीकृति के अधीन रखते हैं तो अनुज्ञप्ति धारी अधिलाभांश वितरण करने में टाल-मटोल कर सकता है। वह मामले को सुलझाने में विलम्ब कर सकता है। यह स्थिति असंतोषजनक होगी विशेषकर जब कि कामकरों की न्यायाधिकरण तक पहुंच भी नहीं होगी। यदि समझौते की बात चलती भी है तो उसमें बहुत समय लगता है। पहिले मालिक से बातचीत होती है फिर समझौते का प्रश्न आता है। वह भी कई दिनों तक चलता है। तत्पश्चात् समझौता अधिकारी मामला न्यायाधिकरण को सौंपने अथवा न सौंपने की सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार मजदूर अधिलाभांश से बहुत समय तक वंचित रहता है। जब मामला न्यायाधिकरण में जाता है तब वहां भी उसके निपटायें जाने में समय लगता है। दोनों पक्षों के कथन होते हैं, लेखा मिलान आदि होता है। फिर कभी-कभी न्यायाधिकरणों को इतना काम रहता है कि वे बहुत समय तक मामले पर विचार ही नहीं कर पातीं, फलस्वरूप मजदूरों में असंतोष फैल जाता है और इससे औद्योगिक शांति खतरे में पड़ जाती है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था रही तो निस्संदेह मजदूरों में क्षोभ रहेगा और फलस्वरूप हड़तालें होंगी। अतएव मजदूरों की अधिलाभांश की मांग शीघ्र ही पूरी की जाये और उनको बिना किसी बन्धन के अधिलाभांश देने की सिफारिश की जाये। इसका फल यह होगा कि मजदूर मालिक से अधिलाभांश के लिये सीधी मांग कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में राज्य-सरकार की स्वीकृति पर भी विचार किया जाना चाहिये। सरकार ने यह तय किया है कि सरकारी क्षेत्र में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को अधिलाभांश नहीं मिलेगा। मैं यह कहता हूं कि सरकार की यह प्रवृति अनुचित है क्योंकि जब सरकारी क्षेत्र फायदा उठाता है तब उसे अपने कर्मचारियों को अधिलाभांश देना ही चाहिये। इससे मजदूरों की आय में जो कमी है वह कुछ हद तक पूरी हो जाती है। बिजली उद्योग बहुत अंशों में सरकारी क्षेत्र में आता है। हो सकता है कि राज्य-सरकार को इस तरह के उद्योग के लिये अधिलाभांश दिये जाने का सिद्धान्त स्वीकार करने में बहुत-सी कठिनाइयां हों। किन्तु यदि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा राज्य-सरकारों के हस्तक्षेप के बिना बोनस दिया जाये, तो राज्य-सरकारों को ऐसे मामलों में कठिनाई नहीं होगी। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो अनुचित रुख अपनाया है उसको दृष्टि में रखते हुए उस पर अधिलाभांश दिये जाने की स्वीकृति छोड़ना अहितकर होगा। इसलिये मजदूरों को अधिलाभांश देने में स्वतन्त्र प्रणाली अपनायी जाये। यदि सरकार मेरी राय से सहमत नहीं हैं तो मैं यह चाहूंगा कि जब कभी भी मजदूर न्यायनिर्णयन की प्रार्थना करें तब वह अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

इससे यह होगा कि यदि अनुज्ञापत्रधारी अधिलाभांश देने के इच्छुक न हों या उससे बचना चाहते हों तो मजदूर न्यायनिर्णयन द्वारा उसकी मांग कर सकते हैं।

यदि आप इसे भी स्वीकार नहीं करते तो मैं सुझाव रखता हूं कि कामकरों को यह अधिकार प्राप्त हो कि वे राज्य-सरकार को स्वीकृति के लिये प्रार्थना कर सकें। यह अन्तिम विकल्प है। यद्यपि यह अधिकार पहिले से ही विद्यमान है परन्तु इसे कानूनन मान्यता मिलनी चाहिये क्योंकि आखिर मालिकों को अधिलाभांश देना पड़ता है और जब तक वे सरकार की स्वीकृति के लिये प्रयत्न नहीं करते तब तक सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती।

अधिनियम में अपनायी गयी और विधेयक में पुष्ट की गई योजनाओं के अनुसार आधार पूंजी का कुछ प्रतिशत भाग उचित फायदे के तौर पर दिया जाये । यह पूंजी अलग-अलग कम्पनियों में भिन्न है । प्रदत्त पूंजी की तुलना में वह बहुत बड़ी है । कई कम्पनियों में आधार पूंजी प्रदत्त पूंजी के अनुपात में बहुत कम है । साधारणतया लाभ प्रदत्त पूंजी पर लगाया जाता है । अधिनियम के अनुसार कम्पनियों को प्रदत्त पूंजी पर २५ प्रतिशत लाभांश मिलना चाहिये । वे क्या लाभांश देती हैं, यह तो उन पर निर्भर है; हम केवल इतना कर सकते हैं कि उनके लाभ को विनियमित कर दें जिससे लाभांश अनुचित ढंग से न दिया जाये । जहां बिजली उद्योग के लिये अलग दृष्टिकोण रखना होगा क्योंकि वह एक जन-उपयोग उद्योग है । अतएव उसे अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जा सकता है । इसके अलावा पूंजीवादियों के अनुसार उस उद्योग में कम खतरे हैं । उसका विशेष क्षेत्रों में एकाधिकार होता है । औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली मांग सदा ही ज्यादा रहती है अतएव हम ऐसे मामले पर विचार न करके उन मामलों पर विचार करेंगे जहां अनुचित लाभ उठाये जा सकते हैं और ऐसे मामलों में ही विनियमन आवश्यक है । कुछ कम्पनियों का किन्हीं विशेष क्षेत्रों में विशेषाधिकार होता है और वे अपनी आधार पूंजी पर अनुचित लाभ उठाती हैं अतएव यह उचित है कि उनके उस लाभ का एक उचित भाग हिस्सेदारों को मिले । अतएव मैं यह चाहता हूं कि प्रदत्त पूंजी के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन आधार पूंजी के आधार पर लाभ की सीमा निश्चित कर दी जाये । मैंने यह सुझाया है कि अधिकतम लाभ रिजर्व बैंक की दर से दुगनी दर पर अर्थात् ७ प्रतिशत के हिसाब से लगाया जाये । यदि माननीय मंत्री कोई अन्य दर निश्चित करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । समस्या यह है कि उनके लाभ की सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये ।

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य श्री साधन गुप्त ने जो विचार प्रकट किये हैं उनकी चर्चा के दौरान में कई बार ज़िक्र आया है मैंने पहिले जो कुछ कहा है उसे मैं दुहराना नहीं चाहता हूं ।

माननीय सदस्य मजदूरों के हितों के लिये काफी उत्सुक हैं । मैं उनकी उत्सुकता की प्रशंसा करता हूं परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि उनकी आशंकायें सही नहीं हैं । अधिलाभांश के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है कि अनुज्ञापत्रधारी राज्य को निर्देश करने में देर करेंगे । यदि वास्तव में उसने अधिलाभांश देने का निश्चय कर लिया है, जैसा कि माना जाता है, तब फिर वह राज्य की स्वीकृति के लिये निर्देश करने में क्यों देर करेगा । परन्तु माननीय सदस्य की मुख्य बात यह है कि उनके लिये न्यायनिर्णयन की पद्धति खुली रहनी चाहिये । राज्य सरकार स्वीकृति दे अथवा न दे, अनुज्ञापत्रधारी अधिलाभांश देने का निर्णय करे अथवा न करे यह बातें महत्वपूर्ण नहीं विशेष कर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिलाभांश के लिये उनका जो दावा है उसे पाने के लिये उन्हें अन्य कार्यव्यवस्था को अपनाने का हक है । उनका कहना यह है कि यह व्यवस्था बहुत विलम्बकारी है । मेरा पहला उत्तर यह है कि इस व्यवस्था को सरल बनाया जा रहा है और बनाया जा चुका है । इस कारण मुझे विश्वास है कि विलम्ब को दूर किया जा सकेगा । मैं इस बात को मानता हूं कि पहले कुछ मामलों में विलम्ब हो चुका है और कभी-कभी तो अत्यधिक विलम्ब भी हुआ है किन्तु आगे ऐसा नहीं होगा ।

इस मामले में परिस्थिति कुछ भिन्न है । माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यदि हम उनका पहला संशोधन स्वीकार नहीं करते——जो मज़दूरों और निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों में भेद करने के बारे में है, और जिसके स्वीकार न किये जा सकने के कारण मैं पहले ही बता चुका हूं——तो मुझे उनका दूसरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये जो इस बारे में है कि इस प्रकार का विवाद अनिवार्यतः न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिये ।

मुझे औद्योगिक विवाद, अधिनियम, १९४७ की एक प्रति अभी मिली है जिसमें 'लोकोपयोगी सेवा' की परिभाषा धारा २ (६) में इस प्रकार की गई है :

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नन्दा]

"'लोकोपयोगी सेवा' का तात्पर्य अन्य चीजों के साथ किसी ऐसे उद्योग से है जो जनता को विद्यत्, प्रकाश अथवा जल का सम्भरण करता हो।"

इसी अधिनियम के अध्याय ३ की धारा १० में विवादों को बोर्डों, न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों को सौंपने की प्रक्रिया दी गई है। इस सम्बन्ध में इसी धारा की उप-धारा का परन्तुक देखिये जिसमें धारा २२ के अधीन नोटिस देने का उपबन्ध है।

†**श्री साधन गुप्त :** धारा २२ के अधीन हड़ताल का नोटिस देने की व्यवस्था है। क्या माननीय मंत्री का विचार यह है कि जब कभी बोनस का प्रश्न उठाया जाये, तो मज़दूरों को पहले हड़ताल का नोटिस देना चाहिये और उसके पश्चात् न्यायनिर्णयन का सहारा लेना चाहिये ?

†**श्री नन्दा :** यह खण्ड केवल विद्युत् उद्योग के कर्मचारियों की ओर से की गई मांग तक ही सीमित न रहकर सारी लोकोपयोगी सेवाओं के बारे में लागू होता है। परन्तु यह दूसरी बात है। मैं केवल इस बात की व्याख्या कर रहा था कि इस प्रकार के विवाद को अनिवार्य रूप से न्यायनिर्णयन को सौंपने की व्यवस्था है। यह केवल मज़दूरों द्वारा कुछ कार्यवाही करने का प्रश्न है। अतः ऐसी बात नहीं कि ऐसे मामले में मज़दूर को इसलिये संरक्षण नहीं मिलेगा कि वह किसी लोकोपयोगी सेवा में सेवानियोजित है।

तीसरे विकल्प के रूप में उन्होंने कहा कि यदि मैं यह संशोधन भी स्वीकार न करूं तो मज़दूरों को सीधे राज्य-सरकार के पास जाने की अनुमति मिलनी चाहिये। किन्तु इसकी व्याख्या करने के पश्चात् जिस की मांग उन्होंने अपने तीसरे संशोधन में की है, मुझे विश्वास है कि उनके तीसरे संशोधन पर पुनः चर्चा करना बिल्कुल बेकार होगा। मेरा अग्रेतर उत्तर यह है कि इस प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है, यह मैं नहीं जानता, अर्थात् जबकि मालिक ने बोनस न देने का निश्चय किया हो तो मज़दूरों को चाहिये कि अनुमोदन के लिये इस मामले को सीधे राज्य को भेज दें। किन्तु वे अनुमोदन किस चीज़ के लिये मांगेंगे ? बोनस देने के बारे में निर्णय नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि मज़दूर बोनस की कुछ राशि मांगने की मांग राज्य-सरकार से कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विवाद चल रहा है। किन्तु इस विवाद का निबटारा सरकार द्वारा न किया जा कर उस व्यवस्था द्वारा किया जायेगा जिससे मज़दूर इस समय अपनी बात कह सकता है। इन कारणों से मैं उनके संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

इसके पश्चात् मैं उनकी अन्तिम बात अर्थात् न्यायोचित लाभ को लेता हूं। इस बारे में मैं पहले विस्तार में कह चुका हूं। किसी उद्योग की प्रदत्त पूंजी का उसके लाभ से सम्बन्ध जोड़ना बड़ी अवैज्ञानिक चीज़ है क्योंकि उस प्रदत्त-पूंजी का उद्योग के कुल विनियोग से कोई सम्बन्ध नहीं होता। किसी उद्योग का उपयुक्त लाभ क्या होना चाहिये, इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग अथवा अन्य किसी ऐसी व्यवस्था द्वारा किया गया कोई निर्णय विनियोग के रूप में, कुल विनियोग अथवा अन्य इसी प्रकार के किसी रूप में होगा, प्रदत्त-पूंजी के रूप में नहीं क्योंकि यह प्रक्रिया अपनाना बिल्कुल तर्करहित होगा।

खेद है कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन स्वीकार नहीं कर सका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा, संशोधन संख्या ८, जिसमें रूपभेद किया गया है सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या ८ सभा के मतदान के लिये पुनः प्रस्तुत करता हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : 'हां' या 'न' कहने के बारे में क्या रहा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आवाज़ तो अच्छी थी ।

†**श्री साधन गुप्त** : जनता की आवाज़ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भारी बहुमत से संशोधन अस्वीकृत हो गया ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री साधन गुप्त के संशोधन सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९, ११ और १५ सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सरकारी संशोधन सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १५, पंक्ति ३७–

"Paragraphs" ["कण्डिकाओं"] के स्थान पर "paragraph" ["कण्डिका"] रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १६, पंक्ति ५ में " The clear profit " ["स्पष्ट लाभ"] के पश्चात् "excluding the special appropriation to be made under item (va) of clause (c) of sub-paragraph (2) of paragraph XVII" "[कण्डिका १७ की उप-कण्डिका (२) के खण्ड (ग) के अधीन मद (५क) में किये जाने वाले विशेष विनियोग को छोड़ कर रख दिया जाये "]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १६ और १७ में क्रमश: २३ से ४४ और १ से २३ पंक्तियां हटा दी जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १७ में ४० और ४१वीं पंक्तियां—

"during the year in which the assets ceases to be available for use." ["उन वर्ष में जब आस्तियां उपयोग के लिये प्राप्य न हों"] हटा दी जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २१ में पंक्ति १७ और १८ हटा दी जायं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २१ में पंक्ति ३२ से ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"the income derived from investments other than those included in the capital base under the provisions of clause (d) of sub-paragraph I."

["(ख) उपकंडिका एक के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन आधार-पूंजी में शामिल किये गये विनियोजनों को छोड़कर अन्य विनियोजनों से प्राप्त पूंजी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २७, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २८ और २९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री नन्दा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक और वित्त (संख्या ३) प्रवर समिति को सौंपने के संशोधन पर जो ७ दिसम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, और आगे विचार आरम्भ करेगी ।

श्री नि० चं० चटर्जी जो उस समय सभा में बोल रहे थे, अब अपना भाषण जारी करें ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : लोकतन्त्रीय व्यवस्था में स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने के लिये अच्छा यह होगा कि करारोपण के ढांचे और स्तर में इस प्रकार के महान परिवर्तन वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत करने के समय ही किये जायें जिससे संसद् सम्पूर्ण आय-व्ययक सम्बन्धी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सबसे पहली बात जिस पर मैं चाहता हूं कि संसद् विचार करे, यह है कि क्या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र पर निरन्तर बढ़ता हुआ सरकारी नियंत्रण लोकतन्त्रीय समाजवाद के उद्देश्य अथवा प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होगा। योजना में बहुत कुछ दरिद्रता से मुक्त होकर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की बात कही गई है। आयोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होना चाहिये। यदि आप यह चाहते हैं कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र भी क्रियाशील रहे तो उसे उचित अवसर मिलना चाहिये।

हम समझते थे कि हमारे वर्तमान वित्त मंत्री आर्थिक समस्याओं के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनायेंगे। उनका कहना है कि वे किसी सिद्धान्त तक ही सीमित नहीं हैं। यदि हमारे देश का विकास उसकी अपनी परम्पराओं के अनुसार करना है तो हमारे यहां सर्वाधिकारवाद लाकर ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को समाप्त करना वांछित नहीं होगा। बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को समान रूप से बढ़ने का अवसर मिलना चाहिये। हमने ग़ैर-सरकारी क्षेत्र पर कठिन भार लाद दिया है और आशा यह करते हैं कि वह ये आभार पूरे करेगा। किन्तु यदि हम यह चाहते हैं कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र अपना दायित्व पूरा करे तो उस पर इतने नियंत्रण नहीं लगाये जाने चाहिये।

प्रधान मंत्री ने उस दिन एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था कि एक बार ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को किसी भी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल जाता है तो फिर बिना किसी रुकावट अथवा नियंत्रण के उसे कार्य करते रहने देना चाहिये। एक तो इस समय आर्थिक क्रियाकलाप पर सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक है इसके साथ ही आप समवायों से कहते हैं कि वे अपनी संचिति तथा चालू लाभ का कुछ अंश सरकार के पास जमा करें। ऐसा करने से निश्चित है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी। मंत्री द्वारा दिये आश्वासनों के बावजूद भी नौकरशाही का बोलबाला रहेगा और जमा कराई गई संचित राशियों के लौटाने के प्रार्थनापत्रों पर निर्णय करने में देरी अवश्य होगी।

हम जानते हैं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चि० द्वा० देशमुख द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को समवाय अधिनियम के अधीन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यदि आप समझते हैं कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र इस काबिल नहीं है कि देश के विकास में हाथ बंटा सके तो फिर आपको चाहिये कि पूर्ण समाजवादी बनें। आप उसे एकदम समाप्त कर दें। यह सब तो ठीक है किन्तु प्रगति में बाधक नियंत्रण लगाकर और फिर उसकी असफलता से लाभ उठाकर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना उचित नहीं है।

ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की यह शिकायत सही है कि यदि इस पर इतना नियंत्रण न लगा होता तो उसने बहुत कुछ कर दिखाया होता।

उस दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ समवायों ने निधियों का उपयोग सट्टेबाज़ी में अथवा नये उपक्रम खरीदने में किया है अतः उनके विरुद्ध वह कठोर कार्यवाही करने जा रहे हैं। क्या इस बात के आंकड़े मिल सकते हैं कि इन समवायों ने ऐसा करके दुरुपयोग अथवा दुर्व्यवहार किया है ?

†**श्री गाडगील** (पूना-मध्य) : इसके तथ्य और सम्भावनायें हैं उन्होंने दोनों पर विचार किया है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : कितनी संचिति का इस प्रकार उपयोग किया गया है। नये समवाय अधिनियम में बड़े कठोर उपबन्ध रख दिये गये हैं। मैं प्रवर समिति का सदस्य रह चुका हूं और भलीभांति

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

जानता हूं कि इस प्रकार के विनियोजन की सीमा निर्धारित कर दी गई है। नये समवाय अधिनियम से सरकार ने और भी नियंत्रण लगा दिये हैं। क्या माननीय मंत्री हमें वे आंकड़े बता सकते हैं कि वह चालू लाभ में से कितना अंश अनिवार्य संचिति के रूप में जमा किये जाने की आशा करते हैं। वित्त मंत्री ने आज तक हमें इन दुरुपयोगों अथवा कदाचारों के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया है।

बात वस्तुतः यह है कि आप की योजना यथार्थवादी नहीं है और सरकार में साहस भी नहीं है। समाजवाद की बात तो केवल आप दिखावे के लिये कहते हैं किन्तु आप ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से अधिक से अधिक निधि इसलिये चाहते हैं कि निर्वाचन में उसका उपयोग किया जा सके।

आप यह स्वीकार नहीं करते कि योजना का अनुमान यथार्थवादी नहीं है। आप अनमनेपन से अब यह स्वीकार करते हैं कि विदेशी विनिमय की आवश्यकता जितना अनुमान लगाया था उससे अधिक है। किन्तु जो आलोचना इसकी उस समय की गई थी आपने उस पर किंचित् मात्र भी ध्यान नहीं दिया। आश्चर्य की बात है कि योजना आयोग के एक सदस्य ने जब इस बात पर जोर दिया था कि पांच वर्षों में योजना को कार्यान्वित कर सकना सम्भव नहीं होगा, फिर भी आपने इस उचित आलोचना पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह कि इसी सदस्य ने यह भी कहा था कि बड़े पैमाने पर नोट छाप कर अर्थ-व्यवस्था करना देश के लिये घातक सिद्ध होगा और कठिनाई उपस्थित होगी। फिर भी योजना आयोग के सदस्यों ने योजना पर हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार यह योजना देश के ऊपर लाद दी गई। इसी सदस्य ने परिवहन और उत्पादन के सन्तुलित विकास की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था। वस्तुतः आपने इन बातों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया।

इंग्लिस्तान में लाभ और आय पर करारोपण के लिये एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया था। उसने कहा है कि वह इस बात से सहमत नहीं कि पूंजी लाभ कर से लोगों में करदाताओं पर करों का एक सा बोझ होगा।

अतः इस प्रकार के करारोपण के बारे में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। पूंजीगत लाभ कर को वैज्ञानिक अथवा उपयुक्त बनाने के लिये सीमान्त समायोजन असफल होगा। ब्रिटिश रायल कमीशन से इसकी सिफारिश करने के लिये कहा गया था। उसने कहा है : सम्भव है कि इस प्रकार के कर से कुछ लोगों को अधिक खर्च करने से बचने का प्रोत्साहन मिले परन्तु इससे अधिकतर लोगों पर कर का बोझ वैसे ही बढ़ जायगा।

वित्त मंत्री ने यह सिद्धान्त बताया था कि वैयक्तिक बचतों का योजना के लिये वित्त व्यवस्था करने में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। पूंजीगत लाभ कर को सिद्धान्त रूप में मानना कुछ हद तक उचित भले ही हो किन्तु वित्तीय उपायों के द्वारा इस प्रकार का दाण्डिक विधान बनाना सर्वथा अनुचित है। लाभांश और पूंजीगत लाभ में से काफी धन बचाया जाता है किन्तु इसमें से यदि अधिकांश सरकारी कोष में जमा कर दिया गया तो अधिक पूंजी का निर्माण देश में नहीं हो सकता। इसके विपरीत बचत और विनियोग दोनों को धक्का पहुंचेगा क्योंकि लोग अधिक धन लगाना नहीं चाहेंगे। पूंजीगत लाभ कर जिस प्रकार लगाया जा रहा है उसका भार अधिक पड़ेगा। श्री कालडार तक ने छूट की राशि में कमी करने का सुझाव नहीं दिया।

जहां तक हम जानते हैं श्री लियाकत अली खां के आय-व्ययक से दो वर्षों में ६ करोड़ रुपये की आय हुई थी और उसके पश्चात् पूंजीगत लाभ कर समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान मंत्री कितनी राशि की आशा रखते हैं। विदेशी विनिमय पर क्या इसका प्रभाव कम ही पड़ेगा। यदि ग़रीब लोग और अधिक ग़रीब हो गये तो राष्ट्रीय आयोजन एक उपहास मात्र होगा।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : पूंजीगत लाभ कर से ग़रीब और अधिक ग़रीब हो जाते हैं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : इतना ही नहीं लाभांशों पर और आगे कर लगा कर आप चालू लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं। इससे ग़रीब लोग और अधिक ग़रीब हो जायेंगे।

जिस बात का मुझे भय है वह यह कि परिवर्तनीय पूंजी को प्राप्त कर यह ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य-संचालन को एकदम रोक देगा और इस प्रकार का अतिरिक्त कर लगा कर उत्पादन और बचत दोनों में से किसी को भी प्रोत्साहन नहीं रह जायेगा। वास्तविकता यह है कि वर्तमान आर्थिक कठिनाई इस कारण है कि सरकार उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग योजना में करने में असमर्थ है। वित्तीय उपायों से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि वित्तीय उपबन्धों का कुशलतापूर्वक उपयोग न किया जाये। यह सोचना उचित नहीं कि केवल जनता अथवा ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का अपराध है। सरकार का अपराध भी बहुत बड़ा है। उसका सबसे बड़ा अपराध यही है कि उसने योजना यथार्थवादी नहीं बनाई। यही सबसे बड़ी कठिनाई है। पहले समस्या का सामना करना चाहिये। और उसके बाद उसे सुलझाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

†**श्री गाडगील** : मैं यह नहीं समझता था कि मेरे मित्र श्री चटर्जी ऐसा प्रतिक्रियावादी भाषण देंगे। ऐसा लगता है कि वह पूंजीवाद के समर्थक हैं।

इस विधेयक के बारे में मुझे यह कहना है कि यह विलम्ब से पुरःस्थापित किया गया है। मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं।

करारोपण प्रस्तावों को मैं किसी जांच की दृष्टि से देखता हूं जब आप कहते हैं कि देश में जाति-हीन और वर्गहीन समाज होगा तो जो कुछ भी उपाय आप करेंगे उनको इसी दृष्टिकोण से देखा जायगा कि क्या उस आदर्श को प्राप्त करने के लिये ही इन उपायों का सहारा लिया गया है अथवा नहीं। वह कार्य-वाही लम्बी या छोटी हो सकती है। मेरे विचार से सारी बात जल्दी खतम की जानी चाहिये। मैं इस में विश्वास नहीं करता कि पूंजीवाद को धीरे-धीरे समाप्त किया जाये। राजनैतिक लोकतन्त्र की स्थापना करने के बाद ग़रीब और दलित जनता को यह विश्वास दिलाना कठिन है कि हम अधिक शीघ्रता से उन्नति नहीं कर सके। मैंने सदा ही यह कहा है कि हिंसापूर्ण क्रांति के स्थान पर दूसरा मार्ग संविधान का क्रांतिपूर्ण उपयोग करना है।

मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि ये विधेयक बहुत पहले ही प्रस्तुत करने चाहिये थे। कम से कम सरकार का दृष्टिकोण दृढ़ होना चाहिये था, न कि वह एक याचक के दृष्टिकोण के तौर पर हो। कलकत्ते में वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी ने सरकार को एक लोक हितकारी डाकू कहा था किन्तु मेरे विचार से विशेषण निकाल कर वह उपाधि इस देश में पूंजीपति वर्ग के लिये ही उपयुक्त है। मैं यह नहीं कहता कि सारी सम्पत्ति चोरी का माल है किन्तु पूंजीपति वर्ग के हाथ में जो भी सम्पत्ति है वह निश्चित ही चोरी के माल जैसा ही है और जितने ही शीघ्र वह वास्तविक मालिक को लौटा दिया जाय, उतना ही अधिक अच्छा होगा।

मेरे विचार से सरकार को याचक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूंजीपति झूठी सहानुभूति के भी पात्र नहीं हैं क्योंकि पहले उन्होंने जिस प्रकार का बर्ताव किया है उससे उनके साथ वर्तमान व्यवहार न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। वे कुछ करों का बड़ा हौवा बना रहे हैं। समाजवादी समाज और आव-श्यकता की बातें तो वे हमेशा करते हैं किन्तु जब निर्णय की बात आती है तो वह कहते हैं कि इस प्रकार नहीं, अभी नहीं, इस उद्योग के लिये नहीं, इत्यादि। गैर-सरकारी उपक्रम ने देश की इतनी बड़ी-बड़ी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गाडगील]

सेवा की है कि यदि उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वे इस देश को समृद्धिशाली बना देंगे। किन्तु हमारा अनुभव इन दावों के विपरीत रहा है। पहली योजना के पांच साल में ग़रीब वर्ग अधिक ग़रीब हो गये हैं और धनी अधिक धनी बन गये हैं विशेष प्रकार के उद्योगों और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के लिये खुला मैदान देने से और लाइसेंस देने की पद्धति या मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था की दशा में एक प्रकार का एकाधिकारी पूंजीवाद उत्पन्न हुआ है। त्रैमासिक पत्रिका "दी टाटा" ने अपने एक अंक में इस बात को सिद्ध किया है। कुछ उद्योगों में विशेष बातें हो सकती हैं। किन्तु सच यह है कि एक ओर तो हम वर्गविहीन समाज बनाने और सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी ओर इन लोगों को खुला मैदान दे रहे हैं क्योंकि कोई निर्बाध और स्पर्धायुक्त बाज़ार नहीं है। यदि पूरी तौर से निर्बाध और स्पर्धायुक्त बाज़ार हो तब तो औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी उपक्रम की एक सीमित हद तक उपयोगिता समझ में आ सकती है, किन्तु वैसा नहीं है।

पिछले नौ वर्षों में जब कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था, सरकारी मदद मांगी गई और सरकार ने मदद दी। जब मजदूरों में अशांति हुई, उनसे कहा गया कि आप राष्ट्रीय हित में अधिक मजूरी न मांगें। जब मूल्य उनके अनुकूल नहीं थे, उन्होंने और कई बातों की मांग की। संक्षेप में, घाटा सार्वजनिक हो गया और मुनाफे निजी हो गये। गैर-सरकारी क्षेत्र की आज भी यही हालत जारी है।

दिसम्बर, १९५४ में इस सभा ने एक मत से समाजवादी समाज सम्बन्धी संकल्प स्वीकार किया था और प्रत्येक नीति उस मूल सिद्धान्त के अनुरूप होनी चाहिये अन्यथा उसे अस्वीकार करना पूर्णतः न्यायोचित होगा। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि आय की असमानता थोड़ी हद तक दूर की जाये। उसका अर्थ होता है कि वह मूल उद्देश्य उनके लिये कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसके विपरीत उन्हें यह कहना चाहिये था कि ये केवल आर्थिक प्रस्थापनाएं नहीं हैं किन्तु वे वर्गविहीन, समाजवादी समाज की स्थापना की दशा में एक निश्चित कार्यवाही है।

पूंजी अधिमूल्यन कर के गुणों के सम्बन्ध में हमें बताया गया है कि १९४७-४८ में लियाकत अली खां ने यह कर लागू किया था। उस समय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मैंने कहा था कि उससे पूंजीवादी वर्ग मर जायगा। उस समय उन विधेयकों के सिद्धान्तों और प्रस्थापनाओं पर विशुद्ध गुण के दृष्टि से विचार नहीं किया गया था और परिणाम यह हुआ कि वह केवल एक वर्ष तक ही रहा। अतः १९४८-४९ से उस समय तक जब कि यह कर लागू होगा, वैध तथा अवैध प्रकार से काफी मुनाफा कमा लिया जायगा। यदि बिना किसी प्रयत्न के पूंजी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो सौजन्य और न्याय की दृष्टि से उसे सम्पूर्ण लाभ का अधिकारी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। राज्य भी उसमें साझीदार है क्योंकि बिना राज्य या समाज के कोई एक पाई भी नहीं कमा सकता। धन की कल्पना ही मुख्यतः एक सामाजिक कल्पना है। गैर-सरकारी सम्पत्ति की भी एक सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। देश की विधि तथा समाज की मान्य संस्थाओं द्वारा स्वीकार करने पर आपकी सम्पत्ति का अस्तित्व प्रारम्भ होता है। अतः यह बहुत ठीक है कि सरकार उस वृद्धिगत मूल्य में से उतना भाग ले ले जितने का प्रस्ताव यहां रखा गया है।

यह कहा जाता है कि इससे पूंजी के निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक बार यह स्वीकार कर लेने पर कि समाज और आर्थिक संगठन समाजवादी ढंग का होगा, पूंजी निर्माण का दायित्व व्यक्तियों पर न रह कर वह समाज का दायित्व हो जाता है। पूंजीवादी वर्ग कहते हैं कि हमें अधिक कमाने दीजिये और तब हम पूंजी निर्माण करेंगे। परिणाम यह होता है कि हम उन्हें १०० रुपये मुनाफा कमाने देते हैं और वे केवल ५ या १० रुपये विनियोजित करते हैं और ५ या १० रुपये कर के रूप में देते हैं। इसीलिये मैंने कई बार यह कहा है कि सभी मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। अन्यथा समाजवाद और समान अवसरों की बातें निरर्थक हैं। जब तक आय की समानता न होगी, समान अवसर नहीं

हो सकते । अतः पहली योजना में जो कुछ किया गया वही दूसरी योजना में न दोहराया जाये । कम से कम धनी अधनी न हों । ग़रीब बराबर ग़रीब ही बने हुए हैं । आप शीघ्र ही उनसे मांगेंगे और मैं उन्हें बताने जा रहा हूं कि जब तक कि धन की असमानता यथाशीघ्र दूर कर ने का वचन न प्राप्त हो तब तक उस दल को जो वर्तमान समाज व्यवस्था को नहीं बदलना चाहता, मत ना न्यायोचित न होगा ।

वे बराबर यह कहते रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर कम होते जाने चाहिये । १९४८ के बाद गत वर्ष के आय-व्ययक तक प्रत्यक्ष कर या तो हटा दिये जाते रहे या कम किये जाते रहे । मैं समझता था कि एक बार मान लेने पर वह अन्य उद्योगों पर भी लागू किया जायगा किन्तु कुछ नहीं किया गया । अभी अप्रैल में थोड़ा-सा प्रयत्न किया गया है और अब आगे कुछ कार्यवाही की जा रही है ।

ऐसे पूंजीपति अभी पैदा नहीं हुए हैं जो मुनाफा न देने वाले उद्योग चलायें । फिर राष्ट्रीयकरण के आर्थिक महत्व के अलावा वह एक नैतिक नीति है । वे जानते हैं कि यह राष्ट्र का काम है और वे उसमें अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति लगायेंगे ।

आज पूंजीपति यह कहते हैं कि श्री खंडूभाई देसाई और श्री नन्दा मजदूरों को २० या २५ प्रतिशत अधिक मजूरी मांगने के लिये उत्तेजित कर रहे हैं और ऐसी दशा में हम किस तरह से उद्योग चला सकते हैं । मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि पूंजीपति इन उद्यागों को चलाने से इन्कार कर दें तो श्री कृष्णमाचारी उन उद्योगों को तुरन्त ले लेने के लिये तैयार हो जायेंगे । फिर पूंजीपति उस उद्योग को एक क्षण भी नहीं चलायेंगे जिससे उन्हें वास्तव में कोई लाभ न होता हो । इसके अलावा पूंजीपतियों के हाथ में इतनी अतिरिक्त आर्थिक शक्ति समाज के लिये खतरनाक होगी क्योंकि आर्थिक शक्ति वास्तव में राजनैतिक शक्ति हो जाती है । जिसका किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है ।

निक्षेप की समस्या के सम्बन्ध में आप कहते हैं कि उद्योगों के लिये कार्यवहन पूंजी की कमी पड़ेगी । वे पूंजी विनियोजित अवश्य करेंगे किन्तु सरकारी ऋण में नहीं, जबकि आप उन उद्योगों में विनियोजित करेंगे जिनसे आपका अपना मोर्चा मजबूत होगा । मैं अपने मित्रों को सावधान कर देना चाहता हूं कि इस निर्बाध उद्यम मोर्चे को सभी पूंजीपतियों को आश्रय प्राप्त है ।

देश में विदेशी पूंजी के आयात के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कल कहा था कि कोई निश्चित प्रतिशतता नहीं है और प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष की दृष्टि से विचार किया जायगा । मैं चाहता हूं कि वे पुरानी नीति ही जारी रखें कि किसी नयी संस्था में या विदेशियों के अधिकार में पुरानी संस्थाओं के विस्तार के सम्बन्ध में, नियंत्रण भारतीय लोगों के हाथ में रहना चाहिये । हम समृद्ध हो जायेंगे किन्तु अपनी स्वतन्त्रता खो बैठेंगे । यदि हम अपनी भारतीय कम्पनियों के निक्षेप का नियंत्रण चाहते हैं और यह चाहते हैं कि निक्षेप इस प्रकार विनियोजित न किये जायें जिससे योजना खतरे में पड़ जाये, तो विदेशी पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी । यदि किसी संस्था को कार्यवहन पूंजी की आवश्यकता हो तो वित्त मंत्री यथोचित कार्यवाही करेंगे । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जहां तक प्रशासनिक असुविधाओं की बात है, वह उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक कार्यवाही वर्गहीन समाज का आदर्श कार्यरूप में परिणत करने में सहायक होगी । मैं ऐसी कोई नीति अपनाना नहीं चाहता जिससे मूल उद्देश्य समाप्त हो जाये ।

पिछले छः साल से हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष अप्रत्यक्ष कर लगाये जा रहे हैं । विलास की वस्तुओं पर कर लगाने में मुझे आपत्ति नहीं है किन्तु उसके साथ-साथ ग़रीबों के लिये आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगाया जा रहा है । मुझे आश्वासन मिलना चाहिये कि सबको समान त्याग करना होगा और केवल ग़रीबों पर ही बोझ नहीं डाला जायगा । बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर भी उचित रूप से बोझ पड़ना चाहिये और समान त्याग का वातावरण होना चाहिये ।

[श्री गाडगील]

मैं इन प्रस्थापनाओं को केवल वित्तीय प्रस्थापनाओं के तौर पर नहीं समझता। किन्तु मैं उसके सैद्धान्तिक पहलू पर जोर देता हूं। किसी ने सरकार की आलोचना की थी कि वह आदर्शों के पीछे बहुत पड़ी हुई है। मैं ऐसा नहीं समझता। वह हमेशा ही कुछ करना चाहती है। उसका सदा ही याचक सा बर्ताव रहा है जबकि वह दृढ़ता का होना चाहिये था।

अन्त में, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र को रहने की अनुमति दी जाती है, उसे अपना उचित और वैध अधिकार भी मिलना चाहिये। उससे हमारी अपील है कि वह समाज विरोधी कार्यवाही में भाग न ले। जबकि देश में अनाज की कमी है, वह ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है या चोरी से इस देश से बाहर भेजा जा रहा है। योजना की सफलता के लिये उन्हें मूल्यों का स्तर स्थिर रखना होगा। हमें इस बात का निश्चय हो कि हम सभी एक हैं, हमारे तरीके साफ हैं और हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। यदि योजना असफल होती है तो लोकतन्त्र असफल हो जाता है। किन्तु वह लोकतन्त्र किसी अर्थ का न होगा यदि मेरा व्यक्तिगत जीवन पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा न हो। मैं तभी इसे मानूंगा जब कुछ ठोस अनुभव, अधिक अच्छा भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा सुविधाओं के रूप में लोकतन्त्र सामने आये। मानव कष्ट की कुछ सीमाएं होती हैं और अब जनता अधिक कष्ट सहन नहीं करेगी क्योंकि वह अपनी राजनैतिक शक्ति के बारे में जागरूक हो गई है।

अतः इस प्रकार के विधेयक का विरोध करने के लिये कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर कुछ बढ़ाना सम्भव होता तो मैं वह करता किन्तु वह व्यवहार्य नहीं है। अतः मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : अतिरिक्त करों की प्रस्थापनाओं पर कुछ कहने के पूर्व, मैं उसके अधिक विस्तृत ढांचे पर कुछ कहना चाहता हूं। आगे की कठिनाइयां दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करें। प्रायः हम सभी देश के अन्दर की हालत से संतुष्ट मालूम होते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि हमारे सम्मुख जो गम्भीर स्थिति है, उसका महत्व कम करके वित्त मंत्री ने न्याय नहीं किया है। समय-समय पर कर लगाये जा रहे हैं और कहा जाता कि और अधिक कर लगाये जायेंगे। किन्तु फिर भी साधन कम होते जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कठिन होती जा रही है और हमारा विदेशी विनिमय का भंडार कम होता जा रहा है। योजना को कार्यान्वित करना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है और हम यह देखते हैं कि हम पीछे पड़ते जा रहे हैं।

तीन साल पहले तो राष्ट्रीय आय में कुछ वृद्धि हुई थी किन्तु तब से प्रतिवर्ष उस वृद्धि की दर घटती जा रही है। हमने समझा था कि हमने विकास के मार्ग ढूंढ लिये हैं किन्तु अब की घटनाओं को देखने पर यह दिखायी पड़ता है कि वह आकस्मिक वृद्धि थी और हम अब भी अवरोध की हालत में ही हैं। धन प्राप्त होने के जरियों में काफी मौसमी परिवर्तन हुए हैं किन्तु उन सभी घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिये मेरे पास इतना समय नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व अपने प्रतिवेदन में रिजर्व बैंक ने इस समस्या का ठीक निरूपण किया था। तब से स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। प्रतिवेदन म कहा गया है कि राष्ट्रीय उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा है परन्तु विकास सम्बन्धी व्यय बढ़ा देने से सरकारी लेखों म घाटा ही है। इसका यह अर्थ है कि बचत नहीं की जा सकती। जब तक बचत नहीं की जायेगी तब तक अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम थोक मूल्यों की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में बताते हैं, परन्तु इसकी जानकारी नहीं रखते कि जनता क्या मूल्य दे रही है। कुछ दिन पूर्व, पूना नगर का श्री डी० आर० गाडगील ने सर्वेक्षण किया तथा उन्होंने बताया कि २५ प्रतिशत व्यक्ति निर्धन हैं तथा ७५ प्रतिशत लगभग निर्धन हैं। इससे यह पता लगता है कि जनता का जीवन-स्तर कम हो रहा

†मूल अंग्रेजी में।

है। प्रधान मंत्री ने बताया था कि हमें देश का निर्माण करने के लिये, खून पसीना एक कर देना चाहिये। उसी का यह परिणाम है कि पिछले दस वर्षों में १० प्रतिशत व्यक्ति और अधिक निर्धन हो गये हैं क्योंकि दस वर्ष पूर्व के सर्वेक्षण में ७६ प्रतिशत व्यक्ति लगभग निर्धन थे।

जब भी कभी करारोपण विधेयकों पर चर्चा की जाती है मेरे मित्र श्री चटर्जी तथा श्री तुलसी दास कठिनाइयों के सम्बन्ध में बताने लगते हैं। मैं भी इन कठिनाइयों को समझता हूं परन्तु एक मूलभूत बात को हम कभी नहीं भूल सकते वह है बेकारी। कुछ दिन पूर्व नगरों में बेकारी का सर्वेक्षण किया गया था जोकि एक सरकारी संस्था ने किया था। उससे यह पता चलता है कि ५० लाख व्यक्ति बेकार हैं अथवा उनको उपयुक्त नौकरी नहीं मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि २० से २५ प्रतिशत श्रमिक बेकार हैं अथवा उपयुक्त रोज़गार में नहीं लगे हुए हैं। उनको क्या हो रहा है। जब हम यह कहते हैं कि थोक के मूल्यों का देशनांक ४३३ पायन्ट हो गया है तो इसका मतलब यह होगा कि गत सात मास में मूल्य ५० पायन्ट बढ़ गया है अर्थात् प्रत्येक मास में २ प्रतिशत मूल्य बढ़ रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिये कि यह बढ़ते हुए मूल्य ही जनता के जीवन-स्तर की गिरावट का कारण है। योजना भी धन की कमी के कारण बीच में लटक रही है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री देश को बताएं कि यह कमी हम जनता के सहयोग से ही पूरी कर सकते हैं। मेरे मित्र श्री चटर्जी का कहना है कि यदि संचित धन सरकार के पास जमा किया जाये तो इस धन का क्या होगा। युद्ध-काल में सभी रिज़र्व और लाभ जमा किये जाते थे परन्तु उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अब यह आपत्ति इसलिये उठायी जाती है क्योंकि वित्त मंत्री यह नहीं बता सकते हैं कि इस समय युद्ध-काल के समय जैसा ही आपातकाल है।

विदेशी विनिमय तथा आयात में बड़ा अन्तर है। वर्तमान वित्त मंत्री जब वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे तब वे कहा करते थे कि विदेशी मुद्रा की कमी कुछ अधिक नहीं है और इसका कारण उनकी आयात, निर्यात है। मैं यह बात पसन्द नहीं करता तथा यह भी नहीं चाहता कि मंत्री महोदय अपना मत एक मंत्रीपद से दूसरे मंत्रीपद पर पहुंचने पर बदलते रहें। श्रम मंत्री तथा योजना मंत्री लगभग २५ प्रतिशत मजूरी बढ़ाने के बारे में बताते हैं परन्तु साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ाना चाहिये। हम इन तथ्यों को भुला नहीं सकते। यदि माननीय मंत्री इन कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें सभी समस्याओं को हल करना चाहिये जिससे वह हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें।

जैसा कि रिज़र्व बैंक के प्रतिवेदन में कहा गया है, उनकी व्यापार नीति, नियंत्रित ढंग से अधिक आयात की अनुमति देने की है। मेरा विचार है कि हमारी नीति नियंत्रित नहीं है अपितु प्रगतिवादी ही है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, वह १९५४ से समान स्तर पर ही रखी जाती है। और १९५२, १९५३ में इसमें वृद्धि भी हुई है। हमने जानबूझ कर वर्ष के प्रारम्भ से ही इसमें से राशि निकलवाई है। परन्तु यह भूत-काल में आयात तथा निर्यात की नीति का एक अंग था जब हम इन संसाधनों को बढ़ा रहे थे।

†**श्री अशोक मेहता** : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यह हमारी जान बूझ कर बनाई गई नीति है।

यह नीति ऐसे समय बरती जा रही है जब स्टर्लिंग मुद्रा स्वयं खतरे में है। स्टर्लिंग क्षेत्र की डालर और सोने की रक्षित निधियां कम हो रही हैं। स्वेज़ नहर का यातायात बन्द हो गया है जहां से भारत को ६५ प्रतिशत माल आता है ये सब कठिनाइयां हैं तथा देश को इन सब कठिनाइयों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि विशेष आय-व्ययक पुरःस्थापित करते समय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में चेतावनी देंगे।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अशोक मेहता]

मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह डालर क्षेत्र के अथवा राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्रियों से मिलें तथा वाशिंगटन जायें। मुझे विश्वास है कि यदि वह वहां जायेंगे तो अधिक सहायता मिल सकती है। इस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि उनको इसकी पर्याप्त जानकारी है। मेरे मित्र श्री चटर्जी और अन्य रूढ़िवादी अर्थशास्त्री घाटे की अर्थ-व्यस्था को कम करना चाहते हैं। परन्तु यदि इस अर्थ-व्यवस्था तथा योजना को कम किया गया तो बेकारी आदि अन्य समस्यायें बढ़ जायेंगी। इसलिये इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये वित्त मंत्री को ज़ोरदार क़दम उठाने चाहियें और इस सम्बन्ध में उन्हें भारत के बाहर जाने को भी तैयार रहना चाहिये।

अब मैं आय-व्ययक प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश मुझे यह फिर कहना पड़ रहा है कि इस बार भी आय-व्ययक का भेद खुल गया। पूंजीगत लाभ कर लगाया गया परन्तु कुछ व्यापारियों को इसका पता चल गया और उन्होंने इसको छिपा लिया। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह इसकी जांच कराने को तैयार हैं अथवा यह सरकार की सामान्य नीति होने जा रही है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं अपने मित्र को केवल इतना बता सकता हूं कि यह भेद तभी खुल सकता था जब मैं सोते समय बड़बड़ाता रहा होऊं। क्योंकि यह कुछ व्यक्तियों को ही मालूम था तथा यदि कोई व्यक्ति हो सकता है तो वह मैं ही हूंगा जिसने सोते समय यह भेद बता दिया हो। मैं समझता हूं कि मेरे सोते समय कोई मेरे घर नहीं आता।

†**श्री अशोक मेहता :** मैं तथा कलकत्ते के मेरे मित्र यह ही जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय इनको जांच कराना चाहते हैं या नहीं।

बैंकिंग संशोधन विधेयक से तथा वित्त मंत्री द्वारा लागू किये गये कुछ ऋण निर्बन्धनों से भी मुझे प्रसन्नता हुई है। वित्त मंत्री ने बैंकरों से बातचीत की तथा उन्होंने उनको कोई सुझाव नहीं दिये। मेरी बम्बई में बैंकरों से बातचीत हुई तथा मुझे पता चला कि लगभग १०० करोड़ रुपया ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में घूम रहा है जो नक़द दामों पर व्यापार कर रहे हैं। आय-कर, बिक्री-कर कुछ वसूल नहीं हो पाता है। यदि माननीय मंत्री चाहें तो मैं उनको बैंकरों के नाम बता सकता हूं। हम नये-नये कर लगा रहे हैं परन्तु कर अपवंचकों के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाता। वित्त मंत्री ने बताया था कि यदि सभी कर-दाता कर दे दें तो योजना २५ प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है जिसका अर्थ है कि लगभग २०० करोड़ रुपये की हानि हो रही है। यदि उनका भी यही विचार है तो उन्हें नये कर नहीं लगाने चाहियें। पूंजीगत लाभ आदि ऐसे व्यक्तियों पर लगाने चाहियें जो इन करों को दे सकें। जब हम केन्द्रीय बिक्री कर, तथा किसानों पर लगान बढ़ा सकते हैं तभी हमें इन करों को उगाहने के सम्बन्ध में भी गम्भीरतया विचार करना चाहिये।

और फिर मुझे पता नहीं कि बचत के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति में इंगलैंड में राष्ट्रीय बचत समिति स्थापित की गई थी जिसका कार्य व्यय कम करना था। पहले वित्त मंत्री ने बताया था कि मंत्रिमंडल इस प्रकार की समिति बनाने जा रहा है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि आय व्ययक के सभी प्राक्कलनों पर मैं स्वयं विचार करता हूं।

†**श्री अशोक मेहता :** जब संसद् करारोपण की स्वीकृति देती है, तब यह उत्तरदायित्व अकेले वित्त मंत्री का ही किस प्रकार हो सकता है। यह इस सभा का विशेषाधिकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मुझे प्रसन्नता है कि पूंजीगत लाभ कर, पर कार्यवाही की जा रही है। इसमें भी बहुत सी छूट दी गई हैं। प्रोफेसर कालडोर ने छूट देने के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यदि दान, हस्तांतरण आदि को छूट दी जाये तो इससे दो तिहाई कर नहीं उगाहा जाता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वित्त-मंत्री को इस प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिये। जहां तक इस कर का सम्बन्ध है मेरे विचार से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है।

लाभांशों पर कर के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि वित्त मंत्री को कर का एकीकरण करना चाहिये। हम यही जानना चाहते हैं कि उनका विचार करों का एकीकरण किस प्रकार करने का है। मैं उन से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह बचत तथा विनियोग का समाजीकरण कर रहे हैं।

रिज़र्व जमा करने के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि आपातकाल में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। मैं नहीं जानता कि इनके जमा कराने से, जो कुछ अब हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने २० उद्योगों की सूची बनाई हैं जिसमें यह रिज़र्व लगाये जा सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में अधिक जानना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार की बातें बहुत दिनों से चल रही हैं तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिये लाभदायक नहीं हैं। मैं अपने उन मित्रों से इस सम्बन्ध में सहमत हूं कि वित्त मंत्री को इन परिवर्तनों का बैंक संसाधनों पर असर भी सावधानी से देखना चाहिये।

अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक घाटे की अर्थ-व्यवस्था है। मेरे विचार में भूतपूर्व वित्त मंत्री पहले नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करके बाद में कर लगाना चाहते थे। परन्तु अब वह नीति कठिन मालूम हुई, इसलिये यह परिवर्तन किया गया। परन्तु मेरे विचार से नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था को एकदम अलग नहीं कर देना चाहिये। हमें बचत का भी ध्यान रखना चाहिये तभी संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं। इसके साथ-साथ खाद्यान्नों तथा कपड़े के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अचानक ही हमारे प्रधान मंत्री कृषि सहकारी समितियों में रुचि लेने लगे हैं तथा जब कभी वह किसी चीज़ में रुचि लेने लगते हैं तब लगभग सभी उसमें रुचि लेने लगते हैं। पोलैंड में श्री गोमुल्का को इसका बुरा अनुभव हुआ है। इसलिये हमें जल्दबाज़ी में ये काम नहीं करने चाहियें क्योंकि इस से हानि हो सकती है। सहकारी ढंग से वित्रय का प्रबन्ध आदि आवश्यक अवश्य हैं परन्तु इन कठिन परिस्थितियों में हमें ऐसी दशा उत्पन्न करनी है, जिससे छोटे-छोटे किसानों को सहायता मिले। यह आपातकाल हैं तथा आपातकालोन कार्य करने चाहियें।

श्रम के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। उनमें से एक यह है कि मजूरी बढ़ाने के साथ अधिक उत्पादन होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री कार्मिक संघों से बातचीत करें तथा उनका सहयोग प्राप्त करें। उद्योगपतियों से भी अपने प्रबन्ध को परिवर्तित करने के लिये कहना चाहिये। अन्यथा श्रम से अपील करना व्यर्थ है। मेरा विश्वास है कि जनता तथा सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करके खाद्यान्नों तथा कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह सहयोग तभी हो सकता है जब जनता को इस संकट की स्थिति की जानकारी हो जाये तथा एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा उसमें जागृत हो जाये।

†**श्री मुरारका** (गंगानगर-झुंझनू) : श्री तुलसी दास ने इस विधेयक को प्रवर-समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूर्वसूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थक नहीं हूं परन्तु मैं वित्त मंत्री के इन विचारों से भी सहमत नहीं हूं कि इसमें शीघ्रता करनी चाहिये क्योंकि इस सत्र की समाप्ति तक

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री मुरारका]

इसको दोनों सभाओं द्वारा पारित कराना है। आप जानते हैं कि वार्षिक आय-व्ययक तथा वित्त विधेयक पर चर्चा के लिये लगभग दो मास का समय दिया जाता है और तब वह पारित होता है।

१९५२-५३ में नये कर नहीं लगाये गये थे। १९५३-५४ में १·५ करोड़ रुपये, १९५४-५५ में ११·८५ करोड़ रुपये तथा १९५५-५६ में ११·७० करोड़ रुपये नये करों द्वारा उगाहे गये। १९५६-५७ में तीसरी बार हम नये कर लगा रहे हैं। फरवरी में लगभग ३४·१५ करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये थे। इसके पश्चात् उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया और अब तीसरी बार हम १६ करोड़ रुपये के नये कर लगा रहे हैं। मैं इनका आपातकाल के कारण विरोधी नहीं हूं परन्तु मैं इसका विरोधी हूं कि इन कर प्रस्तावों को इतनी शीघ्रता से पारित किया जाये।

पिछली बार जब वित्त मंत्री ने उत्पादन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे तब उन्होंने कुछ तथ्य तथा आंकड़े बताये थे। उन्होंने बताया था कि कपड़े के उचित मूल्य तथा जो मूल्य लिया जाता है उसमें पर्याप्त अन्तर हैं अतः वह उत्पादन शुल्क बढ़ा कर जो मूल्य लिया जा रहा है उसको उचित मूल्य बना रहे हैं। परन्तु मुझे लोगों ने बताया है कि वित्त मंत्री द्वारा बताये गये आंकड़े ठीक नहीं है। २२ सितम्बर, १९५६ के '**कामर्स**' ने लिखा है कि उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा बताये गये आंकड़ों की जांच की और यह पाया कि वित्त मंत्री द्वारा बताये गये मूल्यों में उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है। इससे यह पता चलता है कि उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी ने गलत जानकारी दी है। मैं कर बढ़ाने का विरोधी नहीं हूं परन्तु मैं यह चाहता हूं कि जब इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें तब उनके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हमें बतायी जाय।

वर्तमान प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी मुझे यही कहना है कि हमें यह नहीं बताया गया कि पूंजीगत लाभ कर के कारण कुल कितना लाभ हमें मिलेगा। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि लाभांश कर के बढ़ाने से कितना धन एकत्रित होगा। अनिवार्य निक्षेपों से उन्हें कितना धन मिलने की आशा है। इन सब बातों की हमें जानकारी होनी चाहिये अन्यथा हम चर्चा किस पर करेंगे। यह प्रस्ताव सत्र के प्रारम्भ में १४ नवम्बर को प्रस्तुत करने चाहियें थे जिससे इन पर पूर्णतया चर्चा करने का समय मिलता।

मैं दूसरी बात 'एक सीमा विशेष तक कर लगाने के अधिकार प्राप्त करने' के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उत्पादन शुल्क बढ़ाते समय भी उन्होंने यही कहा था कि वह छः आना, चार आना तथा दो आना उत्पादन लगाने का अधिकार चाहते हैं जबकि अभी वह चार आने, तीन आने तथा दो आने ही बढ़ा रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि वह चाहते हैं कि सारा व्यापार उनके कब्जे में रहें। क्या यह उचित है? करारोपण के प्रस्ताव निश्चित, विशिष्ट तथा उचित होने चाहियें। तभी यह सभा उन पर विचार कर सकती है। प्रो० कालडोर ने भी करारोपण के मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार देने की आलोचना की है।

वे इस समय पूर्णतया कर नहीं बढ़ाना चाहते हैं अपितु कर बढ़ाने के अधिकार लेना चाहते हैं। रेयन के सूत को ले लीजिये। उस पर इस समय मंत्री का विचार दो आना प्रति पौंड उत्पादन शुल्क लगाने का है परन्तु अधिकार वह डेढ़ रुपया तक उत्पादन शुल्क लगाने का लेना चाहते हैं। क्या सभा उनको यह अधिकार देना चाहती है? उन्हें कर बढ़ाते समय हर बार इस सभा से उन करों को बढ़ाने की अनुमति लेनी चाहिये। मुद्रांक शुल्क भी वह इस समय ५ रुपये, १० रुपये बढ़ाना चाहते हैं परन्तु अधिकार वह ५० प्रतिशत तक बढ़ाने के लेना चाहते हैं। अनिवार्य निक्षेपों का भी यही हाल है। वह वर्तमान लाभों का ७५ प्रतिशत तथा भूतकाल के एकत्रित संचित निधियों का २५ प्रतिशत लेने का अधिकार इस विधेयक के द्वारा लेना चाहते हैं। जबकि इस समय वर्तमान लाभों का ५० प्रतिशत ही लेने का उनका विचार है। वह यह अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? जब उन्हें कर बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, तब वह इस सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि अंग्रेजी सरकार के समय श्री तुलसी दास, श्री सोमानी तथा श्री चटर्जी ने इन नियन्त्रणों के समय आपत्ति क्यों नहीं उठायी थी। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ऐसी बात कही क्योंकि वह बहुत चतुर व्यक्ति हैं। मेरे विचार से वह यह नहीं बता सकते कि उस सरकार ने ऐसा कोई विधान पारित किया था। उस सरकार ने बिल्कुल वैसा ही आदेश उस समय दिया जैसा इस समय पूंजी निर्गम निर्बन्धन आदेशों में है।

उसी प्रकार अतिरिक्त लाभ कर था। परन्तु आजकल हर एक समवाय के रिज़र्व कहीं न कहीं विनियोजित हैं तथा बेकार नहीं पड़े हैं। ऐसी मेरी राय ही नहीं है अपितु कर जांच आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन के ग्रन्थ १ के पृष्ठ १०८ पर ऐसा ही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ४०७ समवायों के सम्बन्ध में रिज़र्व बैंक ने सर्वेक्षण किया था तथा उन्हें जानकारी हुई थी कि १९४६-५१ में इन समवायों ने अपने रिज़र्वों को पुनः विनियोजित कर दिया था। प्रो० कालडोर ने भी अपने प्रतिवेदन में इन रिजर्वों के सम्बन्ध में ऐसा ही कहा है।

मैं इससे यह सिद्ध करना चाहता हूं कि जिन समवायों के रिज़र्व आप सरकार में जमा कराना चाहते हैं उनके पास रिज़र्व हैं ही नहीं। वित्त मंत्री ने भी कहा है कि बाज़ार में शिथिलता है तथा इसी कारण वाणिज्य तथा उद्योग में जितना धन लगना चाहिये, नहीं लग रहा है। इस स्थिति में समवायों के पास सरकार को देने के लिये धन कहां से आयेगा। इसके अतिरिक्त क्या इससे शिथिलता और नहीं बढ़ जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री के विचार जानना चाहता हूं। उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये जिससे उद्योगों पर इसका बुरा असर न पड़े। कुछ उदारता से भी काम लेना चाहिये। यदि किसी संस्था ने अपने समस्त रिज़र्व धन को व्यापार में लगा रखा है तो उस पर यह अनिवार्य उपबन्ध लागू नहीं होना चाहिये।

इसके पश्चात् मैं विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने बताया कि विदेशी विनिमय की स्थिति बड़ी नाजुक है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार में ११०० करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया था। जिसका अर्थ है २०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष कमी हुई। यह कमी क्यों हुई। यह केवल इसलिये हुई क्योंकि विदेशी सहायता हमें पूर्णतः नहीं मिली। इसीलिये स्थिति गंभीर हो गई है। अब इस गंभीर स्थिति को ठीक करने के लिये वित्त मंत्री क्या कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव वित्त मंत्री ने रखे हैं। इनसे कुछ राजस्व तो अवश्य बढ़ेगा परन्तु विदेशी विनिमय बढ़ाने का यह ठोस उपाय नहीं है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं लाभांश कर बढ़ाने का स्वागत करता हूं। परन्तु जब तक लाभांश अंशों पर कर नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि समवाय लाभांश अंशों को बढ़ाते जायेंगे। इससे एक तो वह २५ प्रतिशत रिज़र्व बैंक में जमा नहीं करेंगे, दूसरे लाभांश कर भी नहीं देंगे क्योंकि लाभांश कर अधिक पूंजी पर लिया जाता है। इसलिये यदि वित्त मंत्री लाभांश तथा पूंजी रिज़र्व लेने की नीति को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें लाभांश अंशों की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** (तिरुपुर) : यह आवश्यक है कि योजना को क्रियान्वित किया जाये और इसके लिये संसाधन और आय इकट्ठी की जाये। किन्तु क्या कर बढ़ाने से पहले, यह देखना हमारा कर्तव्य नहीं है कि प्रत्येक रुपया उचित रूप से खर्च किया जाये। आय-व्ययक भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि मंत्रालयों में अपव्यय को रोका जायेगा और मितव्ययता से काम लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि अपव्यय अब भी जारी है। हम देखते हैं कि परियोजनाओं में बहुत अपव्यय हो रहा है। दिल्ली में

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० सु० अ० चट्टियार]

करोड़ों रुपये के खर्च से बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। विज्ञान भवन पर ८० से १३० लाख रुपये तक खर्च हुए हैं। जब हम योजना के लिये पाई-पाई तक बचाना चाहते हैं, तो क्या नई इमारतों पर इतना खर्च करना उचित है ? पूंजी-व्यय के सम्बन्ध में, आवश्यकता से बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है।

१९३५ में सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या ४५,००० थी। अब यह ६५,००० बताई जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन के काम को कैसे मापा जाता है और क्या इतने कर्मचारी आवश्यक हैं ?

मैं करारोपण के पक्ष में हूं। अमीर लोगों और ऊंचे लाभांशों पर कर लगाने ही चाहियें। किन्तु ऐसा करने से पहले यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक रुपये का उचित उपयोग किया जाये। ऐसा नहीं हो रहा।

वित्त मंत्री ने बताया है कि अब घाटे की अर्थ-व्यवस्था बन्द करनी होगी। मैं यह जानना चाहूंगा कि कि ऐसी व्यवस्था के लिये उन्होंने कितने नोट जारी किये हैं और कितने वापस लेना चाहते हैं। अब वे केवल १६ करोड़ रुपया इकठ्ठा करना चाहते हैं। यह नहीं बताया गया कि शेष राशि जो ४०० से ५०० करोड़ तक होगी, वे कैसी इकट्ठी करेंगे।

करारोपण प्रस्तावों के बारे में, वित्त मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि अनिवार्य निक्षेपों का मामला एक नया मामला है, जो आय-कर विधि के क्षेत्र में लाया जा रहा है, सदन को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिये। ऐसी जांच सामान्यतया प्रवर समिति द्वारा की जाती है और इस मामले को भी एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये था। प्रवर समिति बहुत शीघ्र, एक-दो दिन में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती हैं। अतः अध्यक्ष महोदय के इस निर्णय का कि यद्यपि करारोपण सम्बन्धी विधेयकों को प्रवर समिति को नहीं सौंपा जाता, तथापि आय-कर अधिनियम के महत्वपूर्ण संशोधनों को प्रवर समिति को सौंपना चाहिये, अनुसरण करना चाहिये, क्योंकि वित्त मंत्री वर्ष में किसी समय भी ऐसे विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

मेरे विचार में यह प्रथा ठीक नहीं है कि सरकार को अधिकतम सीमा तक कर लगाने की शक्ति दी जाये। कर बढ़ाने के लिये संसद् की मंजूरी लेनी पड़ती है। किन्तु यदि सरकार को अधिकतम सीमा तक कर लगाने की शक्ति दे दी जाये, तो संसद् की मंजूरी निरर्थक हो जाती है, क्योंकि वास्तव में आवश्यकता उससे बहुत कम कर लगाने की होती है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे और केवल उतने करारोपण की शक्ति लेंगे, जितने के लिये आज आवश्यकता है। जब अधिक धन की आवश्यकता पड़े, तो वह फिर संसद् से मांग कर सकते हैं।

मैं एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। वह यह है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि राष्ट्रीयकरण सब बुराइयों का इलाज है। राष्ट्रीयकरण के कारण कभी-कभी कार्यक्षमता कम हो जाती है और काम भी उतना अच्छा नहीं होता। इसके अतिरिक्त, अधिक खतरनाक बात यह है कि राष्ट्रीयकरण के लिये नौकरशाही अनिवार्य है और जनता को इन नौकरशाही अधिकारियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगता है। मेरे विचार में केवल उन अत्यावश्यक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, जिनका सरकार प्रबन्ध कर सके। आज हमारे पदाधिकारियों में ऐसे लोग नहीं हैं जो उद्योग या कारबार चला सकें। सरकार को कारबारी अनुभव वाले पदाधिकारियों का एक पुंज चाहिये, तब हम बड़े-बड़े उपक्रमों का प्रबन्ध कर सकेंगे।

करों के सम्बन्ध में, मैं यह कह सकता हूं कि लाभांशों पर अधिक कर लगाना अनुचित नहीं है, क्योंकि ३० प्रतिशत लाभांश बहुत अधिक है। अनिवार्य निक्षेपों के बारे में यह डर है कि नौकरशाही नियन्त्रण के अधीन, उद्योग में प्रयोग करने के लिये इन निक्षेपों को निकालने के लिये जब अनुमति लेनी पड़ेगी, तो

उद्योगों को हानि होगी । कहा गया है कि ७५ प्रतिशत धन जमा कराने का आदेश भी दिया जा सकता है । बड़े-बड़े उद्योगपति तो अपने बचने का प्रबन्ध कर लेंगे, हानि छोटे-छोटे उद्योगों को होगी । विधेयक के अन्तर्गत, निक्षेपों के बारे में विस्तृत नियम बनाये जायेंगे । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह मामला केवल पदाधिकारियों के हाथ में छोड़ दिया जायेगा या व्यापारियों या उद्योगपतियों की कोई समिति भी इस से सम्बद्ध की जायेगी । मेरे विचार में ऐसी एक समिति अवश्य सम्बद्ध की जानी चाहिये ।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां): इस विधेयक में केवल दो-तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं । एक यह है कि कम्पनियों को कुछ राशि सरकार के पास जमा करवानी पड़ेगी । अपना रुपया किसी निजी बैंक में या अपने बैंक में रखने के बजाय उनसे यह कहा जायेगा कि वे इस का कुछ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के पास जमा करवा दें और वे ७५ प्रतिशत तक राशि का उपयोग कर सकेंगी, केवल ऐसा करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी । यह अनुमति इसलिये आवश्यक है कि अतिरिक्त राशियों को किसी अनुमोदित उपक्रमों में लगाना अपेक्षित है । हम जानते हैं कि निजी बैंकों में जमा की गई बड़ी-बड़ी संचित निधियों का उन बैंकों के अधिकारियों ने दुरुपयोग किया है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के सरल उपबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । कम्पनी का रुपया कम्पनी का ही रहता है; केवल अतिरिक्त राशि का कुछ प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार के पास जमा करवाना पड़ता है, ताकि वे यह निदेश दे सके कि रुपये का उपयोग किस तरह किया जाना है ।

अब मैं पूंजी लाभ को लेता हूं । यह कर कोई नया नहीं है । कहा गया है कि इसे केवल आपातकाल में लगाया जा सकता है । यदि पंचवर्षीय योजना की अवधि आपातकाल नहीं है, तो और क्या है ?

हमारे उद्देश्य के सामने संविधान से सम्बन्धित प्रविधिक आपत्तियों का भी कोई महत्व नहीं है ।

यह भी कहा गया है कि इस कर से केवल १० से १५ करोड़ रुपये तक की आय होगी । यदि ऐसा है तो इसका इतना विरोध क्यों किया जाता है । देश को रुपये की आवश्यकता है और यह जहां से मिल सके, लेना चाहिये । यह अधिकर तभी बढ़ाया जायेगा, यदि यह लाभांश कुछ प्रतिशत से बढ़ जाये, मैं पूछता हूं कि क्या १० प्रतिशत काफ़ी राशि नहीं है ? मैं आपको ऐसे उद्योग बता सकता हूं, जिसमें लाभांश मूल विनियोग से १० प्रतिशत नहीं , १०० या २०० प्रतिशत बढ़ गया है । यदि इसमें से कुछ धन सरकारी कोष के लिये ले लिया जाये, तो क्या हानि है ? क्या उद्योगपति इतना भी नहीं दे सकते ? मैं उद्योग-पतियों और पूंजीपतियों से कहूंगा कि वे देश की प्रवृत्तियों पर और लोगों की स्थिति पर ध्यान दें । जनता सरकार से आशा करती है कि वह उसकी दशा सुधारेगी और योजना को कार्यान्वित करेगी ।

सभा का कार्य

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : प्रवर समिति आदि से सम्बन्धित संवैधानिक चर्चा के बारे में लगभग डेढ़ घंटा लग जाने से विधेयकों पर यथार्थ चर्चा के लिये केवल सात घंटे ही बचे हैं । माननीय मंत्री का कथन है कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक विषय पर चर्चा हो सकती है परन्तु अभी तो विधेयकों के मुख्य उपबन्धों पर भी चर्चा नहीं हुई है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद): दूसरे विधेयकों के सम्बन्ध में बचाये गये समय का उपयोग किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर आज चर्चा कब आरम्भ हुई थी ?

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : ३ बज कर ४५ मिनिट पर ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : अभी तो दलों के कुछ नेताओं ने भी भाषण नहीं दिये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य अपना भाषण पन्द्रह-बीस मिनिट तक सीमित रखें तो कल कुछ व्यक्तियों को अवसर मिल सकता है ।

†**श्री अ० म० थामस** : अभी तक जिन विषयों पर चर्चा की गई है उनमें यह सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यदि इस पर कुछ और समय देने का निश्चय किया जाये, तो यह किसी भी अवस्था में कल से आगे न बढ़ने पाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल बारह से छः बजे तक हमारे पास छः घंटे हैं । हमें इसे कल समाप्त कर देना चाहिये । सामान्य चर्चा के लिये पांच घण्टे नियत कर खण्डवार चर्चा के लिये एक घण्टा निश्चित किया जा सकता है ।

केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** (तिरुपुर) : जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह साधारण होते हुए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय कालेज में भरती होने वाले विद्यार्थियों के लिये हिन्दी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है भले ही ये विद्यार्थी किसी भी राज्य के हों । इस नियम से अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों को हानि रहेगी । दक्षिण भारत के निवासी हिन्दी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और आगामी दस वर्षों में वे इसमें प्रवीण हो जायेंगे । उन्हें हिन्दी सीखने में कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु हिन्दी को लेकर ईर्ष्या और विद्वेष की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये ।

केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय संस्था है और केन्द्रीय सरकार की निधि से इसका खर्च चलता है । ऐसी किसी संस्था को जिसमें गवेषणा कार्य होता है अखिल भारतीय संस्था ही समझा जाना चाहिये ।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि एम० एस० सी० का कोर्स केन्द्रीय कृषि कालेज का भाग नहीं है । यह पृथक् है । यह नियम इस पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं है । गवेषणा कार्य पर भी यह लागू नहीं होता है । यह केवल बी० एस० सी० (कृषि) तक ही सीमित है । इस कालेज में पढ़ाया जाने वाला केवल यही पाठ्यक्रम है ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : यदि यह केवल बी० एस० सी० पर ही लागू है तो अनेक राज्यों में बी० एस० सी० (कृषि) कालेज हैं । मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है । समूची संस्था को प्रबन्ध की दृष्टि से विश्वविद्यालय को सौंपने का प्रस्ताव है । मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि क्या केवल बी० एस० सी० का कोर्स ही विश्वविद्यालय को सौंपा जायेगा अथवा अन्य गवेषणा-कार्य भी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : केवल ग्रेजुएट (स्नातक) कोर्स ही क्योंकि वहां केवल यही है। और गवेषणा, एम० एस० सी० आदि के लिये जो कुछ भी है उसे पूसा की संस्था कर रही है। यह सर्वथा पृथक् संस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पूसा संस्था में यह नियम लागू नहीं किया जा रहा है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी, नहीं। ये अलग-अलग संस्थायें हैं—केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय और पूसा संस्था। यह नियम केवल केन्द्रीय कृषि कालेज पर ही लागू है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : क्या अनिवार्य हिन्दी सीखने का नियम इस प्रकार की अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जाता है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : तब आपकी दलील बेकार है।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : एम० एस० सी० और गवेषणा-कार्य का प्रबन्ध अनेक राज्यों में नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये इस प्रकार का कोर्स रखना संभव नहीं है। इन कोर्सों का प्रबन्ध अखिल भारतीय संस्था के हाथ में रहना चाहिये। सरकार को इस प्रकार का वचन देना चाहिये कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भरती के मामले में हानि न रहे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हिन्दी प्रसार के लिये शिक्षा मंत्रालय ने एक नीति निर्धारित की है क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने भी इस विषय में किसी नीति का निर्माण किया है। कुछ संस्थायें स्थानीय अथवा प्रादेशिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और कुछ अखिल भारतीय स्तर पर हैं। क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की भी कोई नीति है और यदि हां तो क्या वह शिक्षा मंत्रालय की नीति से भिन्न है तथा क्या शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में उस पर निर्णय किया गया था ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य से सहमत हूं कि हिन्दी का ऐसे किसी रूप में प्रयोग न किया जाये जिससे देश के किसी भाग में रहने वाले व्यक्तियों को कष्ट हो अथवा उनकी उन्नति अवरुद्ध हो।

किन्तु यहां कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। दो अलग-अलग संस्थायें हैं। एक दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केन्द्रीय कृषि कालेज है। दूसरा पूसा गवेषणा-संस्था है जो सही रूप में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था कहलाती है। हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करने का उपबन्ध केन्द्रीय कृषि कालेज में ही लागू है और पूसा संस्था पर लागू नहीं है। केन्द्रीय कृषि कालेज कृषि में केवल अवर-स्नातक शिक्षण प्रदान करता है यह सच है कि इसका खर्चा केन्द्रीय निधि से दिया जाता है, किन्तु हाल ही में हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस कालेज को चालू रखने की आवश्यकता नहीं है। यह कालेज उन राज्यों के विद्यार्थियों के लिये था जहाँ कृषि सम्बन्धी कालेज नहीं है। अब भारत के प्रत्येक राज्य में कृषि कालेज है अतः इस कालेज की आवश्यकता नहीं है।

कुछ समय पहले हमने इस कालेज को समाप्त करने का निर्णय किया था किन्तु तभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि हम इसे बंद न करें। मैंने कहा कि कृषि मंत्रालय का काम इस प्रकार का कालेज चलाना नहीं है और यदि दिल्ली विश्विद्यालय चाहे तो इसे संभाल सकता है। कुछ वार्ता हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धन की सहायता मांगी। यदि यह रुपया मिल गया तो हम कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सुपुर्द कर देंगे अन्यथा इसे बन्द कर दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० प्र० जैन]

यह कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् आदि ने निर्णय किया कि अवर-स्नातक पाठ्यक्रम में हिन्दी का एक अनिवार्य पर्चा रहेगा । यह मंत्रालय का निर्णय नहीं है । दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के कारण यह निर्णय इस कालेज पर भी लागू होता है ।

वस्तुतः इस प्रश्न का विशेष महत्व नहीं है क्योंकि यह कालेज बन्द हो रहा है अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंप दिया जायेगा । ऐसा होने पर उसका अखिल भारतीय स्वरूप नहीं रहेगा ।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा): क्या यह निश्चित है कि एक राज्य में एक ही कालेज हो । क्या माननीय मंत्री का विचार है कि योजना की अवधि में हमें और कालेज की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह विचित्र प्रश्न है । कृषि प्रशिक्षण के लिये हमने पर्याप्त संख्या में कृषि कालेज स्थापित कर दिये हैं । यदि और कालेजों की आवश्यकता हुई, तो राज्य सरकारें और कालेज स्थापित करेंगी तथा हम आवश्यक सहायता देंगे । यह भी स्मरण रखना है कि अवर-स्नातक शिक्षा राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है केन्द्रीय सरकार का नहीं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६]

विषय **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९३७–३८

निम्न पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अधीन त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियम, १९५२ में कतिपय संशोधन करने वाली निम्न त्रावनकोर-कोचीन अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :

(१) अधिसूचना संख्या टी ४–११८४६/५५–पी डब्लू सी, दिनांक २६ अप्रैल, १९५६

(२) अधि-सूचना संख्या टी ४–५१४६/५४–पी डब्लू सी, दिनांक १८ जुलाई, १९५६

(२) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अधीन निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(१) अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० २३४२, दिनांक २० अक्तूबर, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०९, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६

(३) १९५५-५६ में हुए संयुक्त राष्ट्र गेहूं सम्मेलन में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

पारित विधेयक ९३८–६६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

विचाराधीन विधेयक ९६६–७९

वित्त (संख्या २) और वित्त (संख्या ३) विधेयकों पर विचार करने के प्रस्तावों पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई

आधे घंटे की चर्चा ... ९८०–८२

केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के सम्बन्ध में २८ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के उत्तर से उत्पन्न बातों पर श्री ति० सु० अ० चेट्टियार ने आधे घंटे की चर्चा उठाई। खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६ की कार्यावलि—

वित्त (संख्या २) और वित्त (संख्या ३) विधेयकों पर आगे विचार और उन्हें पारित किया जाना ।

M50LSD—190—10-4-58—GIPF.